महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 13 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

असम में प्रदर्शन उग्र, सुरक्षाबलों की गोलीबारी में दो लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

असम, त्रिपुरा और मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया है। असम में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच हजारों की संख्या में लोगों ने गुरुवार को गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरे। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर अर्द्धसैनिक बलों ने गोलियां चलाईं, जिनमें से दो लोगों के मरने की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। कई लोग घायल हैं और अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तेजपुर और ढेकियाजुली में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जोरहाट, गोलाघाट, तिनसुकिया और चराईदेव जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है।

तिनसुकिया में रेलवे स्टेशन फूंके जाने की खबर है। गुवाहाटी में जीएस रोड पर असम के पुलिस प्रमुख भाष्कर ज्योति महंत के काफिले पर पथराव किया गया। असम के चबुआ में कैब-विरोधी प्रदर्शनकारियों ने विधायक बिनोद हजारिका के आवास को जलाया, वाहनों को फूंका, सर्किल कार्यालय में भी आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने असम के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक दलों व उनसे जुड़े संगठनों के कई दफ्तरों को भी फूंक डाला।

इस बीच, आरटीआई कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई को जोरहाट से ऐहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया। उधर, असम विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा कि नागरिकता बाकी पेज 8 पर

राष्ट्रपति ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी

कर्फ्यू तोड़ लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, तिनसुकिया में रेलवे स्टेशन फूंका गया।

असम और त्रिपुरा आने-जाने वाली ट्रेन सेवाएं रोकी गईं

इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक 48 घंटे और बढ़ाई गई।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को जारी किया परामर्श ।

असम के पुलिस प्रमुख के काफिले पर पथराव **गुवाहाटी** के पुलिस आयुक्त को हटाया गया, कई अधिकारियों के तबादले।

कैब विरोधी प्रदर्शनकारी गुरुवार को गुवाहाटी में सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए।

बांग्लादेश के विदेश व गृह मंत्री का भारत दौरा रद्द

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

अब्दुल मोमेन

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने गुरुवार से शुरू होने वाला भारत का अपना तीन दिवसीय दौरा रद्द कर दिया है।

ढाका में जारी एक बयान में मोमेन ने कहा कि उन्हें अपनी व्यस्तताओं के चलते भारत की यात्रा रद्द करनी पड़ी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पहले जारी एक बयान बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। असमिया और अंग्रेजी भाषा में किये कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से और केंद्र सरकार 'धारा छह की भावना के अनुसार लोगों को राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।' असम समझौते की धारा छह स्थानीय अधिकारों, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी देती है।

मुसलिम लीग ने दी चुनौती

इंडियन यूनियन मुसलिम लीग ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लीग का कहना है कि विधेयक से संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और यह धर्म के आधार पर एक तबके को अलग रखते हुए अवैध शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना है।

-विस्तृत खबर पेज 13 पर

अयोध्या पर संविधान पीठ ने सभी अठारह पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अपने नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर सभी 18 याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं।

अदालत ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि 'रामलला' को सौंपते हुए यहां राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चेंबर में इन याचिकाओं पर विचार किया और इनमें कुछ खास नहीं पाने पर इन्हें खारिज कर दिया।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना खामिल थे। संविधान पीठ के समक्ष चेंबर में सिर्फ उन पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर किया गया जो इस विवाद से संबंधित चार मुकदमों में पक्षकार थे। अदालत में दायर 18 पुनर्विचार याचिकाओं में से नौ याचिकाएं मूल पक्षकारों ने दायर की थीं जबकि शेष याचिकाएं तीसरे पक्ष ने दायर की थीं।

संविधान पीठ ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया जो मूल वाद में पक्षकार नहीं थे। संविधान पीठ द्वारा इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार से इनकार किए जाने की वजह से इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध भी खारिज हो गया। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने

संविधान पीठ ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया जो मूल वाद में पक्षकार नहीं थे। संविधान पीठ द्वारा इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार से इनकार किए जाने की वजह से इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध भी खारिज हो गया।

18 पुनर्विचार याचिकाओं में से नौ याचिकाएं मूल पक्षकारों ने दायर की थीं जबकि शेष याचिकाए तीसरे पक्ष ने दायर की थीं।

सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक राम लला के पक्ष में देने के साथ केंद्र सरकार को उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मुख्य स्थान पर पांच एकड़ भूमि आबंटित करने का भी निर्देश दिया था।

संविधान पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया था कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक न्यास का गठन किया जाए। शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले दो दिसंबर को बाकी पेज 8 पर

शिवसेना को गृह, कांग्रेस को राजस्व, राकांपा को वित्त

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के दो सप्ताह बाद गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार में विभागों के बंटवारे की घोषणा की गई, जिसमें शिवसेना को महत्त्वपूर्ण गृह विभाग मिला है। इसके पहले ठाकरे के अलावा शिवसेना, राकांपा तथा कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने 28 नवंबर को शपथ ली थी।

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में विभागों का बंटवारा **शिवसेना** से एकनाथ शिंदे व सुभाष देसाई, राकांपा से जयंत पाटील व छगन भुजबल और कांग्रेस से बालासाहेब थोराट व नितिन राउत बने मंत्री

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को गृह, शहरी विकास, वन, पर्यावरण, बिजली आपूर्ति, जल संरक्षण, पर्यटन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और संसदीय मामलों का प्रभार सौंपा गया है। शिवसेना के अन्य मंत्री सुभाष देसाई को उद्योग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, बागान, परिवहन, मराठी बाकी पेज 8 पर

अक्तूबर माह में औद्योगिक उत्पादन घटा, नवंबर में खुदरा महंगाई बढ़ी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

खाने-पीने की वस्तुओं के दाम चढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.54 फीसद पर पहुंच गई। यह खुदरा मुद्रास्फीति का तीन साल का उच्चस्तर है जबकि अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 3.8 फीसद घट गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इसी साल अक्तूबर में 4.62 फीसद और नवंबर, 2018 में 2.33 फीसद रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी

5.54 फीसद पहुंच गई नवंबर में खुदरा महंगाई दर

3.38 फीसद तक घट गया औद्योगिक उत्पादन अक्तूबर में

10.01 फीसद बढ़े नवंबर में खाने-पीने की वस्तुओं के दाम

आंकड़ों के अनुसार माह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.01 फीसद पर पहुंच गई। अक्तूबर में यह 7.89 फीसद और एक साल पहले इसी महीने में 2.61 फीसद थी। इससे पहले जुलाई, 2016 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.07 फीसद दर्ज की गई थी।

सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को चार फीसद के दायरे में (दो फीसद ऊपर या नीचे) रखने का लक्ष्य दिया है। उधर गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़े बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे हैदराबाद मुठभेड़ की जांच

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की गुरुवार को न्यायिक जांच के आदेश दिए। अदालत ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की बागडोर शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर को सौंपी है।

जांच आयोग के अन्य सदस्यों में बंबई हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा संदूर बाल्डोटा और सीबीआइ के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन शामिल हैं। आयोग को छह महीने के भीतर

तीन सदस्यीय जांच समिति गठित, छह महीने में देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के अलावा मामले की कोई अन्य जांच नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की घटना के संबंध में लंबित कार्यवाही पर लगाई रोक

अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के तीन सदस्यीय बाकी पेज 8 पर

धरती व इनसानी नस्ल को बचाने की मासूम अपील

मैड्रिड, 12 दिसंबर (भाषा)।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अपने जुनून के कारण भारतीय 'ग्रेटा' के नाम से मशहूर आठ साल की लिसीप्रिया कंगुजम ने वैश्विक नेताओं से धरती और उसके जैसे नन्हें बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए फौरन कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

यहां चल रहे 'कॉप-25' सम्मेलन में मणिपुर की नन्हीं जलवायु कार्यकर्ता ने दुनिया को अपने संकल्प की झलक पेश की और वैश्विक नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने

मणिपुर की पर्यावरण कार्यकर्ता लिसीप्रिया कंगुजम के 'कॉप 25' में जाने के लिए मां ने बेची चेन, स्पेन सरकार ने उठाया 13 दिन की यात्रा का खर्च

का अनुरोध किया। कंगुजम जलवायु परिवर्तन पर 21 देशों में अब तक अपनी बात रख चुकी हैं। नन्हीं कंगुजम बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय खंडपीठ ने कहा

370 को वृहद पीठ को भेजने पर हो सकता है विचार

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दे सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा पक्षकारों की शुरुआती दलील सुनने के बाद कर सकता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले केंद्र के फैसले को कुछ पक्षकारों द्वारा चुनौती दिए जाने पर शीर्ष न्यायालय की यह टिप्पणी आई है।

पक्षकारों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 1959 और 1970 में दिए गए दो विरोधाभाषी फैसले हैं। वरिष्ठ

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'हम सभी पक्षकारों की शुरु आती दलीलें सुनने के बाद ही इस विषय को वृहद पीठ के पास भेजने के सवाल पर विचार कर सकते हैं।'

अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ता प्रेम शंकर झा की ओर से पेश होते हुए यह दलील दी। उन्होंने इस विषय को निश्चित निष्कर्षों के लिए सात जजों की वृहद पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन केंद्र के फैसले के खिलाफ कुछ पक्षकारों की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि न्यायालय को पहले उन पक्षकारों को सुनना चाहिए जिन्होंने इस अनुच्छेद को रद्द किए जाने को चुनौती दी है। उसके बाद विषय को वृहद पीठ के पास भेजने के बारे में सुनवाई करनी चाहिए। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत बाकी पेज 8 पर

निर्भया मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 17 को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में शामिल एक दोषी के द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

दरअसल मामले में दोषी ठहराए गए इस व्यक्ति ने अपनी मौत की सजा की पुष्टि किए जाने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान में गैर मुसलिमों के लिए आरक्षित सीट से थे डिवायाराम सांसद | **नागरिकता विधेयक** | उम्मीद थी कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो उनकी आवाज उठाएगा

हरियाणा में मूंगफली बेच रहे पाक के पूर्व सांसद को भारतीय नागरिक बनने की आस

संजीव शर्मा
चंडीगढ़, 12 दिसंबर।

पाकिस्तान धार्मिक प्रताड़ना से तंग आकर भारत में आकर बसे एक परिवार में खुशी का माहौल है। वजह है, लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का पास होना। इन्हीं में से एक हैं, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में सांसद रहे डिवायाराम जो अब हरियाणा के फतेहाबाद में रह रहे हैं।

पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जाने के बाद वह वहां से जान बचाकर फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ पहुंचे। वह सर्दियों में मूंगफली तो गर्मियों में कुल्फी बेचकर अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहे हैं। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने से डिवायाराम बहुत खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इससे उन्हें और उनके परिवार को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद बंधी है। उन्हें उम्मीद जगी है कि भारत की नागरिकता पाकर अब उनके परिवार का भी राशन कार्ड बनेगा और वे सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

डिवायाराम ने बताया कि पाकिस्तान में गैरमुसलिमों के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती हैं। बेनजीर भुट्टो अपने पिता की मौत के बाद जब बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान में 25 बीघा जमीन छोड़कर आया हूं

74 वर्षीय डिवायाराम परिवार के 12 सदस्यों के साथ गांव रतनगढ़ में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनके परिवार के पास 25 बीघे जमीन थी लेकिन धार्मिक प्रताड़ना के कारण उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। वे मुसलमान बनाने के लिए गोवंश का मांस खाने के लिए दबाव बनाते। जब उन्होंने मुसलिम धर्म अपनाने से मना कर दिया तो कई तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। डिवायाराम का कहना है कि वहां की सरकार भी उन्हें शह देती थी तो मजबूरन जमीन व घर छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि भारत में उनके लिए कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो उनके हकों के लिए आवाज उठाएगा। अब वे खुश हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी।

साल 2000 में आए थे भारत

मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लहिय्या जिले के गांव 150 चक पीडी के निवासी डिवायाराम अपने परिवार के साथ जनवरी, 2000 में एक महीने के वीजा पर भारत आए थे। शुरुआत में रोहतक जिले के कलानौर और रोहतक शहर में रहे। वीजा समाप्त हुआ तो उन्होंने रोहतक के तत्कालीन उपायुक्त से समक्ष पेश होकर अर्जी दी कि वह और उनका परिवार किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। उस दौरान बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों ने उनकी मदद की। उपायुक्त ने भी उन्हें वहां रहने की छूट दे दी। इसके बाद वह वर्ष 2006 में रोहतक से फतेहाबाद के रतिया कस्बे के निकट गांव रतनगढ़ में आकर रहने लगे। पिछले 13 सालों से वहीं रह रहे हैं।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,**Veena** D/O-Budhiram Rakesh R/O-C-1/213, Gali.No.23, Khajoori Khas,Badar-Pur Khadar, Sabhapur,Delhi-94,have changed my name to Veena Anand for,all purpose. 0040523965-8

I,**Radhay** Shyam S/o Asharfi Lal Sharma R/o-Kunda Colony,Bhangel, Noida, GautamBuddha Nagar,Uttar Pradesh-201304,have changed my name Radhey Shyam Sharma for all purpose. 0040523965-2

I,**Pardeep** Kumar Gupta S/O Madan Lal Gupta R/O-B-199, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085. Changed my Name to Pradeep Kumar Gupta. 0040523971-7

I,**Ashok** Agyani,s/o-Kali Charan,R/o-1501,Near.MC Primary school Narela,Dehli-40,have inform,that Ashok kumar and Ashok Agyani both,are name of one,and the same,person. 0040523965-6

I, hitherto known as Mauj Ram Son of Late Sh.Vidya Ram resident of House no.47 P-1 Block Sultanpuri-North west Delhi-110086. have changed my name and shall hereafter be known as Mauji Ram. 0040523992-8

I, Yogeshwar Kumar S/o Sh. Bihari Prasad Gupta R/o H. No.1200/55, Gali No.54/4B, Sanjay Colony, Faridabad, Sector-22, Faridabad, Haryana-121005 have changed my name and shall hereafter be known as Devender Kumar. 0070687832-1

I, Yetanlal alias Yatan Lal barkade alias Yetanlal Barkade S/o tulsiram barkade R/o Ward No.10, Bichhua Chhindwara, Madhya Pradesh-480111 have changed my name and shall hereafter be known as Yetan Lal Barkade. 0070687882-1

I, Vinay Sheel Gautam R/o C-1, Sector-23, Noida(U.P.) have changed my minor Son's name from Vedavrat Gautam to Vedvrat Gautam for all future purposes. 040523920-1

I, Vaibhav Gupta S/o Arun Gupta R/o-H.No.5, street No.14, East Punjabi-Bagh, Delhi have Changed my Daughter Namee Tvishaa to Tvishaa Gupta. 0040523992-4

I, Usha Rani alias Usha Rani Arora W/o Krishan Lal Arora R/o G/1, Beg Mirza Juma, Chaupatiya Colony, Lucknow, Uttar Pradesh-226003 have changed my name and shall hereafter be known as Usha Arora. 0070687879-1

I, Tejinder Kaur Dhawan W/o Dharmender Singh R/o-C-2, Shivalik, Malviya-Nagar, Delhi-110017 have changed my name to Pinky Chawla. 0040523992-3

I, Swetha I D/o Mr. V.Raju R/o-Mannoormekketharay Village-Panmana Tehsil-Karunagapalli Post-Edappally Cotta Telegraph-Office & P.S.Chavara Distt. Kollam Kerala-691583. Have changed my name from Swetha I to Swetha Raju vide-Affidavit Date-9-12-2019. 0040523853-3

I, Swaranjit Sammi W/o Baljinder Singh Aujla R/o-H.NO.75-76, Top-Floor, Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Swaran Jit Kaur. 0040524016-4

I, Sushil Mishra S/o Sashi Prasad Mishra R/o E-62B Sector-11, Vijay Nagar Pratap-Vihar Ghaziabad UP-2001009. inform that my father name wrongly written as Sashi Prasad in my educational documents. The actual name of my father is Sashi Prasad Mishra. 0040524029-3

I, Sushil Kumar S/o Sashi Prasad Mishra R/o E-62B Sector-11, Vijay Nagar Pratap Vihar Ghaziabad UP-2001009 changed my name to Sushil Mishra. 0040524029-4

I, Suneeta Rani D/o Late Jai Dev Dhingra W/o-Sanjay Bhutani R/o-389, Chhattarpur, New-Delhi-110074, have changed my name to Suneeta Bhutani for all purposes. 0040524012-8

I, Solanki Kartavyakumar Amrutbhai, am legally brother of No.14854613L Sep/MT Solanki Vikeshkumar Amrutbhai, resident of VPO:Majara, Teh: Prantij, Distt: Sabarkantha (Gujarat) have changed my name from Solanki Kartavyakumar Amrutbhai (Old Name) to SOLANKI KARTVYAKUMAR AMRUTBHAI (New Name) vide affidavit dated- 05/11/2019 before Delhi- Court. 0040524039-7

I, Solanki Amrutbhai, am legally father of No.14854613L Sep/MT Solanki Vikeshkumar Amrutbhai, resident of VPO: Majara Teh:Prantij, Distt: Sabarkantha (Gujarat),have changed my name from Solanki Amrutbhai(Old Name) to SOLANKI AMRUTBHAI MAGANBHAI (New-Name) vide-Affidavit dated-05/11/2019 before Delhi-Court. 0040524039-8

I, Shilpi D/o Umesh Baweja Residing at-597/600B, RishiNagar, RaniBagh, Saraswati-Vihar, Delhi-110034, have changed my name to Shilpi Gambhir. 0040524012-9

I, Sanjay Kumar Bhutani S/o-Ram Ditta Bhutani R/o-389, Chhattarpur, New Delhi-110074,have changed my name to Sanjay Bhutani for all purposes. 0040524012-7

I, Sanath Kumar S/o Jagdish Singh R/o H-357, Nanak Pura, Moti Bagh-2, Delhi-110021 have changed my name from Sanath Kumar to Sanat Kumar for all future purposes. 0040523906-1

I, Ruchi D/o Radhey Shyam Sharma R/o-Kunda Colony,Bhangel, Noida, GautamBuddha Nagar, Uttar Pradesh-201304,have changed my name Ruchi Sharma for all purpose. 0040523965-1

I, Rishab Jettly S/o Sh. Yash Pal Sharma R/o H. No. 15/11, Subhash Nagar, New Delhi-110027 declare that name of mine has been wrongly written as Rishab Jaitley in my Driving Licence No. DL-1020100043734. The actual name of mine is Rishab Jettly, which may be amended accordingly. 0070687830-1

I, Rinku Babu S/o Rajender Prasad Tripathi R/o H. No. 123, Gali No. 12, A-Block, Part-2, Sonia Vihar, Delhi-110094 have changed my name and shall hereafter be known as Raghav Tripathi. 070687844-1

I, Reni Devendrakumar Swami D/o Devendra Kumar Swami R/o G-865, 2nd Floor, Suncity, Sector-54 Gurgaon-122011, have changed my name to Reni Swami for all purposes. 0040523947-1

I, Reeta Devi W/O Suresh Chand R/0H.NO.10/4, Gali.No-11, B-Block,Kamal-Vihar Kamalpur Burari Delhi-84,Have Change My Name Rita Devi To Reeta Devi.For All Purpose. 0040524012-2

I, Ravi Jain S/o- Late Babu Lal R/o:RZ-I-10, Upper-Ground-Floor, Mahavir-Enclave, NewDelhi-45. Have Changed My Name to Ravi Kumar. 0040524012-6

I, Raman Deep W/o Harpreet Singh R/o E-1/60, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Raman Deep Kaur. 0040524016-1

I, Rajesh Tanwar S/O Lal Singh Tanwar H-No Wz-572 B2 Naraina Village N.Delhi 110028 Changed My Name To Rajesh Kumar Tanwar. 0040524039-6

I, Rahul S/o Dhaneshwar Singh R/o-949/1, Vikas Nagar, Line-Par, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507 have changed my name to Rahul Saini permanently. 0040523971-5

I, Rahul Mandal S/o Byomkesh Mandal R/o 49C 3rd Floor Mohammadpur-Village N.Delhi-110066 changed my name to Navendu Mandal. 0040523992-5

I, Rafi Mohammad S/o Nasruddin R/o 466, Gali Bahar Wali, Chhatta Lal Mian, Darya Ganj, Delhi-110002 have changed my name to Mohd Rafi for all purposes. 0040523912-1

I, R.K Arora S/O Shri Khairati Lal R/O-L-11, Budh Vihar, Phase-1, Delhi-110086, have changed my name to Raman Kumar. 0040524016-2

I, Prunvut Singh Gulati S/o Sh. Harpreet Singh R/o H.No.24, Road No.52, Punjabi Bagh West, Delhi-110026 have changed my name to Pranvut Singh Gulati, for all future purposes. 0040523899-1

I, Promila Neelam Joshi, W/o-Subhash Chander Joshi, R/o-H.No.B-254, Surajmal-Vihar, Delhi-92,have changed my name and shall hereafter be known as Neelam Joshi,for future purpose. 0040524016-6

I, Prince S/O Rajender Kumar R/O 725, Pocket-1, Paschim Puri, Paschim Vihar, Delhi-110063. Changed My Name To Prince Kumar. 0040523971-10

I, Preeti Malik W/o Parvesh Kumar Malik R/o H.No.75, Old Arya Nagar, Ghaziabad, U.P.-201001, changed my name to Nutan Sehgal. 0040524029-1

I, Pradeep Kumar S/o Om Prakash R/o 45, Gali No.14, Sanjay Nagar, Delhi-110033 inform that my name and Date of Birth wrongly written in my Passport No.H0838002, Pardeep Kumar and D.O.B. 05/01/1963 instead of Pradeep Kumar, 05/10/1963. 0040523916-1

I, Pradeep Kumar S/o Late Shri Sumender Singh R/o H-94, Sector-27, Noida, have changed his minor son's name from Nemish Rexwal to Nemish Raxwal for all purposes. 0040523914-1

I, Payal D/O Mukesh Kumar Sharma H-No-B-2/77, Sewak Park Uttamnagar West Delhi-110059 Changed My Name To Payal Sharma. 0040524039-1

I, Paramjeet Singh S/O Nanak Singh R/O-Jp-83, Maurya Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Paramjit Singh. 040523971-8

I, Nitesh Giri, am legally brother of No.14834617A Sep/MT Arvind Kumar Giri, resident of-Vill:Koral, Teh:Pakridayal, Distt: East Champaran(Bihar) have changed my name from Nitesh Giri (old name) to Nitesh Kumar Giri (New Name) vide Affidavit dated-05/11/2019 before Bihar-Court. 0040524039-10

I, Neena Rani W/o Shri Jitender Kumar R/o-GP-1, Maurya Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name to Neena Dhiman. 0040524016-5

I, Munu Swamy S/O Dasu Swamy H-No 101/C-1 Block-A First Floor Deoli Extention South Delhi 110062 Changed My Name Tomunu Swami Naidu. 0040524039-5

I, Motapalukula Bharath Kumar S/o Motapalukula Guruvaiah R/o 10-59, Mutyampet, Korvichelma, Adilabad, Andhra Pradesh-504215 have changed my name and shall hereafter be known as Devagana Sidharth Varma. 0070687835-1

I, Mohd. Zaffar Khan S/O Inamulla R/O Village-Akera Mewat 122107. Have Changed My Name To Mohammad Jafar. 0040524012-1

I, Mohd Yonus S/o Syed Mohammad Ibrahim R/o H.No. 46, Gali Kababiyan Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110006 have changed my name to Syed Mohammad Yunus. 0040523897-1

I, Mohammad Yaseen Wangnoo S/o Abdul Khaliq Wangnoo R/o F/160, Jal Vihar Road, Lajpat Nagrar, New Delhi–110024, do hereby informs that Mohammad Yaseen and Mohammad Yaseen Wangnoo is same person that is me. 0040523930-1

I, Mohammad Siraj S/O Mohammad Gulzar R/O Flat no.-201, Tower-D-9, Ireo-Victory Valley,Sec-67, Badshahpur,Gurgaon, Haryana-122101,Changed My Name To Mohd Shiraz Sheikh. 0040524012-4

I, Mayuri D/o Yashwant Vasudev Vichare R/o 1584, Laxmi Bai Nagar, New Delhi-110023 have changed my name from Mayuri to Mayuri Yashwant Vichare for all future purposes. 040523892-2

I, Manpreet Singh Chhatwal S/o Gurvinder Singh R/o B-76 Subhdra colony, Sarai Rohilla, Delhi-110035, have changed my name to Manpreet Singh for all purposes. 040523952-1

I, Manoj Kumar Saxena S/o.Sh.Radhey Prasad Saxena R/o.B-9/S-1 Rampuri Surya Nagar Ghaziabad-201011-UP declare that Manoj Saxena and Manoj Kumar Saxena are one and the same person i.e.myself. 0040524012-3

I, Manoj Garg R/O A-24, Park View Apartment, Liberal Housing Society Nr.Inderenclave, Delhi-110087. Changed my Child Name Ridhima To Ridhima Garg. 0040523971-9

I, Manish Jain S/o-Mahavir Prashad R/o-G-29/47-48, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed minor daughter's name from Siya Jain to Aashika Jain. 0040524012-10

I, Lakhvinder Singh S/o Yashpal Singh R/o-C-120, Flat No.4, Paryavaran-Complex, Saidulajab, Delhi-110030 have changed my name to Lakhvinder Singh Mann. 0040523992-2

I, Kunal Pal S/o Satish Kumar R/o H.No.175, Street No.11, Village Wazirabad, Delhi-110084, inform that my father name wrongly mentioned in my 10th Class Marksheet and school records as Satish Pal instead of Satish Kumar. 0040523918-1

I, Kumari Chander Rani alias Abha Kapoor D/o Sh. Durga Dass W/o Sh. Ravi Kapoor R/o 84, Jhanda Mohalla, Dehradun, Uttarakhand-248001 have changed my name and shall hereafter be known as Abha Kapoor. 0070687877-1

I, Krishan Gopal S/o.Sh. Amar Chand R/o-F-2/21, Dayal Pur,Extension Delhi-110094,have changed my name to Krishan Gopal Sood. 0040523965-3

I, Km. Priti Rani W/O Baljit Singh H-No 87-B, Lig Dda Flats Motia-Khan. Changed My Name To Preeti Babbar. 0040524039-4

I, Kamal Kishore Bhasin S/O Malik Ram R/O-H.No.10, Pocket-G-26, Sec-3, Rohini, Delhi-85, Have Changed My Name To Kamal Bhasin. 0040523992-1

I, Kamal Hasija S/o S.R. Hasija R/o 67A, DDA Flats, Masjid Moth, Ph-2, New Delhi-110048, hereby inform that the name of my wife is wrongly mentioned in my Passport No. J5301477 as Sangita Hasija. Her correct name is Sangeeta Hasija. 0040523892-1

I, Juhee Kumari W/o Anand Srivastava R/o-404/b, Royal Palm Appartment Sector-56 Haryana-122011 have changed my name to Juhi Kumari to Juhee Kumari for all future puposes. 0040523963-1

I, Jugnu Verma alias Ghanshyam Verma S/o Sh. Om Prakash Verma R/o MCF-44-45, Near Shiv mandir, Prem Nagar, Yadav Colony, ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004 have changed my name and shall hereafter be known as Ghanshyam Verma. 0070687887-1

I, Jitender Kumar S/o Sh. Dhram Singh R/o G-8/20, Sector-11, Rohini, Delhi-85, have changed the name of my minor son from Arjun Joon to Arjun Singh for all future purposes. 040523972-1

I, Jasvinder Kaur alias Jasvinder Kaur Dhaliwal D/o Jaggar Singh Dhaliwal R/o 197, Dashmesh Enclave, Zirakpur, Dhakauli, Dera Bassi, SAS Nagar, Mohali, Punjab-140603 have changed my name and shall hereafter be known as Jasvinder Kaur Dhaliwal. 0070687839-1

I, Jai Bhagwan S/o Sh. Bhim Singh R/o 504/5, Mohan Nagar, Kurukshetra-136118, Haryana have changed my name and shall hereafter be known as Jai Chahal. 0070687842-1

I, Jaced Pervez S/o Zulfiqar R/o 1800, Kucha Faulad Khan, Kala Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my name to Javed Parvez. 0040523896-1

I, Indhu Pushpavally W/oMr. V.Raju R/o-Mannoormekketharay Village-Panmana Tehsil-Karunagapalli Post-Edappally Cotta Telegraph-Office & P.S.Chavara Distt.Kollam Kerala-691583. Have changed my name,from Indhu Pushpavally to Indhu Raju. vide-Affidavit Date-9-12-2019. 0040523853-2

I, Hasina Begum W/O Hazi Shamitullah H-No-T-220/A Savitri-Nagar, Near Shiv Mandir, Post-Office, Malviya Nagar N.Delhi-110017. Changed My Name To Hasina Begem. 0040524039-2

I, Harish Chandra Gupta S/o Ramesh Chandra Gupta residing M-8, G.S. Apts. Plot No. 38, Sector-13, Rohini Delhi, have changed my name to Harish Gupta for all purposes. 0040523900-1

I, Gurmit Singh S/o Boota Singh R/o KH-94/23/G-5, Block-B, Baba Colony, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Gurmeet Singh for all purposes. 040523915-1

I, Ghanshyam Verma S/o Sh. Om Prakash Verma R/o MCF-44-45, Near Shiv Mandir, Prem Nagar, Yadav Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004 declare that name of my father has been wrongly written as Om Prakash in my 10th class marksheet and certificate. the actual name of my father is Om Prakash Verma, which may be amended accordingly. 0070687884-1

I, Farooque Ali S/o Kallu R/o H.No.T-283, Dildar Nagar, Basti Hazrat Nizamuddin, Delhi-110013 have changed my name to Farooq Ali for all future purposes. 040523942-1

I, Erotu Goutami, am legally wife of No.14856262A Sep/MT Samenu Vijay Kumar, resident of VPO:Girisola, Teh:Chikiti, Distt: Ganjam (Odisha) have changed my name from Erotu Goutami(Old Name) to SAMENU GOUTAMI (New Name) vide Affidavit dated- 05/11/2019 before Delhi-Court. 0040524039-9

I, Dimlpe Ahuja W/o Shri Hridaya Jashnani R/o-G-16/31, Third-Floor, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Nyra Jashnani. 0040524016-3

I, Devender Bhuradia S/o Kishan Lal R/o 5/5190, Krishan Nagar, Near Khalsa College, Karol Bagh, New Delhi-110005 have changed my name to Davinder Kumar for all purposes. 0040523935-1

I, Dalip Kumar Bathla S/o Moti Ram R/o-91 New Model Apartment Sector-13 Rohini Delhi-110085 changed my name to Dalip Kumar permanently. 0040523971-1

I, Chandan Kumar S/o Ramesh Kumar, DOB 24/01/1968 R/o B-364 Ground Floor Prashant Vihar Delhi-110085 have changed my name to Chandan Arora. 040523614-1

I, Babita Singh D/o Iqbal Chander Ganda, resident of-3C, Pocket-1, Mayur Vihar, Phase-I, East Delhi, Delhi-110091. have changed my religion from HINDU to ISLAM (Muslim) w.e.f 11.12.2019. 0040523971-2

I, Babita Singh D/o Iqbal Chander Ganda, Resident of-3C, Pocket-1, Mayur-Vihar, Phase-I, East-Delhi, Delhi-110091. have changed my from BABITA SINGH to SHEHNAZ ADIL NIZAMI. 0040523971-6

I, Anil Kumar Thakkar S/o Himat Lal Thakkar, R/o 25/117, First Floor, Shakti Nagar, Delhi-110007, have changed my name to Anil Thakkar for all purposes. 0040523910-1

I, Amit Maheshwari S/o Raj Kumar Maheshwari R/o H.No.413, Sector-37 Faridabad Haryana-121003 have changed my name to Amit Mahesshwari. 0040524029-5

I, Ajay Kejriwal S/o Late.Biswanath Kejriwal R/o-150, Vaishali-Pitampura, Delhi-110034 inform that the date of birth of my son namely Aman Kejriwal is 30.01.2002. 0040523992-9

I, Aisha Feroze D/o Sardar Feroze Khan R/o B 92/1st Floor, Ashoka Enclave-2, Sector 37, Faridabad, Haryana, have changed my name to Aisha Kalra for all purposes. 0040523908-1

I, Afsana Saifee W/O Faisal Shah H-No-3a, Gali No 1 Aram-Park Shastri Nagar Khureji Delhi 110031. Changed My Name To Afsana Saifi. 0040524039-3

I, A PRIYA D/o Azad Singh R/o 1, Lodi Estate, New Delhi-110003 have changed my name to PRIYA SINGH for all purposes. 0040523923-1

I hitherto known as Geeta W/o Rishi Pal Singh D/o Momraj Singh residing at-H.No.F-650, Gali No-22, Chand-Bagh, Dayalpur, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as Suman Rani. 0040523971-4

I chandan Kumar s/o Ram Nandan Singh R/o-Hanuman Nagar near-T.V Tower Gandhi-nagar patna-bihar. Have changed my name from chandan kumar to chandan singh, for all purposes. 040523992-6

I Sonali Chakrabarty D/O Gobinda Chakrabarty R/O-E-802, Nirala-Eden-Park, Ahinsakhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, UP., changed The Name Of My Minor Daughter Aarna Chakrabarty To Ananya Chakrabarty Aged 1.5-Year. 0040524012-5

I Shailesh Kumar S/o Munish chand,R/o I-12 Ground Floor Vijay Vihar Phase-2, Rohini Delhi-85 have changed my name to Salesh. 040524029-2

I Feroz Malik S/o Late Sh.Mahesh Mohan Malik R/o S-358, 3rd Floor, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048 have changed my name to Feroz Mohan Malik for all purposes. 040523889-1

I Daljit Kaur W/o Narinder Singh R/o Talwandi, Chaudhrian, Kapurthala, Punjab-144606, have changed my name to Baljit Kaur. 0070687827-1

I Archna W/O Sanjeev Rampal R/O-H.No-570, Sec-28 Faridabad Haryana-121008. Have Changed My Name To Archna Rampal. 0040523971-3

I, Jitender Kumar S/o Vidya Parkash R/o F-21 C,Mukhram Garden,Tilak Nagar,New Delhi-110018 have changed my name from Jatinder Suri to Jitender Kumar for all future purposes. 040523909-1

I, Mrs.Neena Bakshi W/o Mr.Anil Bakshi R/o-J-66,Ground Floor,Near DDA Dispensary,Sriniwas Puri,New Delhi-110065,have changed my name to Lata Bakshi for all purposes. 0040524060-1

खोया+पाया

I, Yash Paul Dhall, have lost my Original Builder Buyer Agreement and Allotment Letter issued by DLF Universal Pertaining to Property No.5417, DLF City, Phase-4, Gurgaon, in the favour of Madhu Arora. Finder Contact:-9999365417. 0040523917-1

It is notified for the information that my Original Qualification Examination Marksheet of Main Secondary Examination of Year 2018 and Roll No.8227013, issued by CBSE have been actually lost. Anmol Gupta S/o Pawan Kumar Gupta, R/o 313, Hari Nagar Ashram, New Delhi-110014, Mobile 9999228338. 0040523895-1

My qualifying/passing Marksheet/certificate issued by CBSE of having passed the secondary examination year-2015 RollNo.8700227 has been lost. Ravjeet Kaur D/o, Sharanjit Singh R/o-E-87/D, Mansarover Garden, Delhi-15. 0040523992-7

I, Niket Bhardwaj S/o Sh. Hare Krishna Bhardwaj R/o C-4/130, Keshavpuram, Delhi-35, have lost my Original Marksheet & Certificates of CBSE Xth (Year 2011, Roll No. 8147020) & XIIth (Year 2013, Roll No. 9142376). Finder please inform me. 0040523977-1

I, Avantika Tripathi D/o Late S C Tripathi R/o Durga Puri Colony, Bharwara Crossing Gate No. 186-C have lost my Marksheet No. 5671932 of class 12th CBSE Board, Kendriya Vidyalaya, Gomti Nagar, Lucknow, Mob:-8545845445. 0060071497-2

I, Romil Singh, S/o-Mahendra Kumar r/o-MO,Durga Prasad Bard No.1, Post-Bisalpur, Bisalpur, Pilibhit, U.P.-262201,have lost my marksheet of secondary CBSE and Roll.no.- 5224204 and passing year-2011. 0040524016-7

सूचना

सूचनार्थ मैंने अपना नाम महवाश जावेद से परिवर्तित कर महवाश शम्सी रख लिया है। यह सभी जगह प्रयोग होगा। महवाश शम्सी 144/90डी गुलशन ए मतलूब, नियामत उल्ला रोड, अमीनाबाद, लखनऊ

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुव्वकिल शीला पत्नी श्री जय प्रकाश निवासी 10789/15 गली न 13 से 17 प्रताप नगर दिल्ली–110007 ने अपने पुत्र पूरन चंद पुत्र वधु रानी और पौत्र संस्कार पार्चा को गलत व्यवहार/आचरण के कारण अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है भविष्य में यह कोई लेन देन करते है तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे/मेरी मुव्वकिल व उनका परिवार दीवानी और फौजदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती आशा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नन्द प्रकाश निवासी ई–22, गली नं0.4, पूर्वी सन्दर नगर, नजदीक कृष्णा नगर, पूर्वी, दिल्ली–110051, मे रहती है। मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री नन्द प्रकाश व उसकी पत्नी श्रीमती लता सुपुत्री श्री अरुन दास को अपनी चल व अचल सम्पत्ती से बेदखल कर दिया है और सुरेन्द्र कुमार व उसकी पत्नि लता से मेरी मुवक्किल व उसके परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। अतः भविष्य में वह समस्त कार्यों व लेन देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

जटी अफाक (एडवोकेट) रेफ–4022, कड़कड़डूमा कोर्ट, शाहदरा, दिल्ली–110032

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Share Certificate of Flat No. A-46 of The Sheetal CGHS Ltd. Sector 14, Rohini, Delhi -110085 standing in the name of Dr. B L Khanna have been reported lost/ Misplaced. Application for issue of Duplicate Certificate has been made. To whom the objection if any against issuance of duplicate certificate, should be made within 14 days from the date of publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Share Certificate of Flat No. A-46 of The Sheetal CGHS Ltd. Sector 14, Rohini, Delhi -110085 standing in the name of Smt. Meetu Proothi have been reported lost/ Misplaced. Application for issue of Duplicate Certificate has been made. To whom the objection if any against issuance of duplicate certificate, should be made within 14 days from the date of publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Smt. Veena Miglani W/O Late Sh. Hari Kishan Miglani R/O G-2/10-9, Sec-16, Rohini, Delhi-110085 has severed all relations and disowned/debarred his son namely Naveen Kumar Miglani and Daughter in Law Smt. Shipra (wife of Naveen Kumar Miglani) from all movable and immovable properties due to their conduct, misbehavior and as they both are out of her control. Any person dealing with them in any manner shall be on his/her risk and consequences. My client shall not be responsible for any acts, things or liability done by them.

Sd/-
ISHWAR SINGH (ADVOCATE)
(D/2927/14)
306, BLOCK-III, LAWYERS' CHAMBERS,
DELHI HIGH COURT
NEW DELHI-01

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मेरे मुव्वकिल जयंती प्रसाद शर्मा पुत्र स्व श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा व श्रीमती बिरमा देवी पत्नी जयंती प्रसाद शर्मा निवासी-मकान नं. बी 86 जैन कालोनी नानेश इन्कलेव बवाना रोड बरवाला दिल्ली 110039. उपरोक्त दोनों मुव्वकिल ने अपनी पुत्री चांदनी व उसके पति विनय कुमार से उनके दुर्व्यवहार व नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर उनको अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके किसी भी कृत्य या लेन–देन के लिए मेरा मुव्वकिल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./ ललित कुमार रावल
एडवोकेट
मो. 9350896743

PUBLITC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my clientess Manjeet Kaur W/o Late Surinder Singh Bindra R/o B-128, Uday Vihar, Chander Vihar, Nilothi Extn., New Delhi-110041 do hereby disown and debar her son Joginder Singh Bindra and his wife Sita alias Simran from all her movable and immovable properties with immediate effect because they are out of control of my clientess Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR IInd, B Campus,Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLITC NOTICE

Know all men by these presents that my clientess Smt. Charanjeet Kaur W/o S. Amarjeet Singh R/o WZ-99A, Street No.7A, Virender Nagar, Janakpuri, New Delhi-110058, do hereby disown and debar her son Gagan Deep Singh, daughter-in-law Harmeet Kaur and Grandson Karamjot Singh, her daughter Amandeep Kaur, son-in-law Jaspreet Singh and Grand maternal daughter Ishpreet Kaur from all her movable and immovable properties with immediate effect because they are out of control and misbehaves with my clientess. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. My clientess will not be held responsible for their any acts, deeds and things done by them in future.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
SR IInd, B Campus, Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

I,Nisha D/o Shri Vijay Kumar, R/o F-350A, Gali No.23, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045. Declare that I am marrying Shri Nitin Kumar (Dhingaan) S/o Shri Anil Kumar R/o Teen Murti Bhawan, Inside Compound, House No.5, Gale No.8, Teen Murti, New Delhi. I also declare that henceforth after this marriage I will have no further relation with my parents and family and I will have no right/title in any of the movable/immovable property. This declaration is given by me of my own free will and without any force or coercion practiced upon me from any quarter whatsoever. I have already sworn an affidavit/declaration to this effect, duly notraised on 09.12.2019

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Dinesh Kumar S/o Shri Kanchhi Lal and Smt. Kiran Devi W/o Sh. Dinesh Kumar both R/o 1791/A, Gali No.9, Govind Puri Extn. Kalkaji, New Delhi-110019, have disowned and debarred their daughter MS. PRIYA AGGARWAL from all moveable, immovable properties of my clients & severed their all relations with her. My clients shall not be responsible for her acts, conduct & deeds in future whatsoever. Anybody dealing with her is doing so at their own risk.

DEEPAK THAREJA (Advocate)
Office: B-233, UGF C.R. Park, New Delhi-19

PUBLIC NOTICE

It is hereby inform to the public at large that our clients Sh. Rajender Kumar Yadav S/o Sh. Hariram Yadav & Smt. Babu Devi Yadav W/o Sh. Rajender Kumar Yadav both R/o Village Silarpur PO. Dulohi Jat, Distt. Mahender Garh (Haryana) - 123021 & H.N. 878-C, Gali No.4 Bhood Colony Old Faridabad Haryana-121002 have debarred their son Surender Yadav R/o H.N.856 Gali No.4 Bhood Colony Old Faridabad Haryana-121002 and daughter in law Rekha R/o H.N.80, Sector-48, Faridabad Haryana-121002 from their all movable & immovable properties and severed their relationship since they are out of control of our clients. Anybody deals with them shall do so at their own risks, costs & consequences.

Sunil Kumar (Advocate)
Ch. No. 362 Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

General Public hereby informed that my client Rajender Prakash Aggarwal S/o Late Shri Ved Prakash Aggarwal R/o House No. 6/182, Near Prerna Prak, Sector-2, Rajender Nagar, I.E. Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201010, has severed his relations and disowned his son Vicky Aggarwal his wife Nancy Aggarwal from his all movable –immovable properties, due to their unethical acts, deeds misbehaves and neglecting to my client and his wife, he and his family are not control under my client. If anybody deals with his and his family will be doing so at their /his/her own risk, cost and responsibility. My client shall not be responsible for any kind of acts done by his and his family.

Rajesh Kabir, Advocate
Ch. No. 460, Lawyer Chamber,
Patiala House Court, New Delhi

असम : हवाईअड्डे पर फंसे लोग

गुवाहाटी, 12 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता विधेयक को लेकर असम में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तथा इंटरनेट सेवाएं बंद होने से सैकड़ों यात्री गुवाहाटी हवाईअड्डे पर फंसे हुए हैं।

शहर से 30 किलोमीटर दूर बोरझार स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के भीतर और बाहर छात्रों से लेकर कामकाजी पेशेवर, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक की भीड़ देखी जा सकती है। सुरक्षाबल हवाईअड्डे पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। असम पुलिस और कमांडो की तैनाती की गई है। हवाईअड्डा परिसर के भीतर प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर सेवाएं बंद हैं। आइआइटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रही पूजा शर्मा और पीएचडी कर रहे हर्षल कावले भी हवाईअड्डे पर फंसे हुए हैं। पूजा ने कहा, 'पता नहीं अमीनगांव में मैं कैंपस तक कैसे पहुंचूंगी। मैंने आइआइटी गुवाहाटी अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की लेकिन सड़कों पर वाहनों का प्रवेश निषेध है तो मैं यहां फंसी हुई हूं।'

सुबह की फ्लाइट से जयपुर से यहां आई कंचन पारीख ने कहा, 'मेरे माता–पिता गुवाहाटी में रहते हैं। दो साल पहले शादी के बाद मैं जयपुर बस गई।' उसने कहा,'मैंने कुछ दिन पहले अपने टिकट बुक किए थे लेकिन मेरी मां ने शहर के हालात को देखते हुए मुझे टिकट रद्द कराने को कहा। मैंने टिकट रद्द नहीं कराए क्योंकि विमान सेवाएं चालू थीं। मुझे नहीं पता था कि यहां हालात इतने खराब हैं। मैंने अपने पिता से संपर्क किया जो यहां दुपहिया वाहन से आए।' यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है क्योंकि स्थानीय टैक्सी चालक उनसे मनमाने किराए वसूल रहे हैं। ईटानगर, दीमापुर और आइजोल जाने वाले कई यात्रियों के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है। सैनिक उस्मान साब अपनी पत्नी और साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ बंगलुरू से आए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं दीमापुर में रहता हूं लेकिन पता नहीं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचूं।' दीमापुर के रहने वाले और जयपुर से एक शादी में शिरकत करके आए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीत जैन ने कहा, 'मैं एक शादी के लिए जयपुर गया था लेकिन ट्रेन रद्द हो गई। मैंने गुवाहाटी की फ्लाइट की टिकट कराई। अब मैं दीमापुर जाने का जरिया तलाश रहा हूं।'

टीवी चैनलों को सरकार ने किया सतर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है जो हिंसा भड़का सकती है, राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है तथा जिसमें ऐसा कुछ हो जो देश की अखंडता को प्रभावित करे।

कुछ टीवी चैनलों ने बुधवार को संसद में पारित हुए नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्व में कई मौकों पर मंत्रालय ने निजी उपग्रह चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 और उसके बाद बने नियमों के अनुसार कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए परामर्श जारी किए हैं।

परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसी किसी भी सामग्री के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जो हिंसा भड़का सकती है या जिसमें कानून एवं व्यवस

नई दिल्ली
राजधानी
जनसत्ता, नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2019 3

आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से जनसभा आयोजन कर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल रही थी। इसी क्रम में कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में 'भारत बचाओ रैली' का आयोजन करने जा रही है। रामलीला मैदान में रैली के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा, पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली, हारुन यूसुफ और मंगत राम सिंघल पहुंचे। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, नोट बंदी के बाद से देश की जनता बुरे दौर से गुजर रही है। अब केंद्र सरकार संविधान पर सीधा हमला कर रही है। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने रैली को कामयाब करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि वार्ड स्तर पर भी कार्यकताओं को दिल्ली के आम नागरिकों को रैली में शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुकेश शर्मा ने कहा कि यह रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित की जा रही है। दिल्ली के लोग नोटबंदी के बाद बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग छोटी-मोटी नौकरियां कर भी रहे हैं उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी नौकरी भी छूट ना जाए। वहीं, माना जा रहा है कि कांग्रेस इस रैली को आयोजित कर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीते कुछ महीने में सरकार के फैसले जनविरोधी रहे हैं। इससे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फायदा होने की उम्मीद है।

केजरीवाल की चुप्पी समर्थन का दे रही इशारा

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी से साफ है कि वह भी इस विधयेक का समर्थन करते हैं। ट्वीट करते हुए चोपड़ा ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, जब उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार का समर्थन किया है। वहीं, मुकेश शर्मा ने कहा कि एक रणनीति के तहत जनता को भ्रमित करने के लिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आधे अधूरे मन से विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेकर बीच का रास्ता लेते हुए बोलते है। यदि ऐसा नहीं है तो केजरीवाल इस विधेयक पर सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करें और दिल्ली की जनता को यह बताएं कि आखिर कौन से ऐसे कारण है, जिनके चलते उनका दल इस विधेयक के खिलाफ सड़कों पर आकर संघर्ष नही कर रहा है।

पांच साल में 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाई सरकार : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है।

तिवारी ने कहा कि 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आज तक लटका हुआ था। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और केंद्रीय शिक्षा नीति के तहत सबको शिक्षा का फायदा मिल सकता था लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है।

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत M/s Pigeon Buildhome Pvt. Ltd. के भूखण्ड संख्या GH-07A सेक्टर-Techzone-04 ग्रेटर नौएडा पर दिनांक 06.08.2013 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा (Tower-C-1, Tower-C-2 & Tower-D-1 & Commercial & Villa) अधिभोग प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) हेतु दिनांक 28.11.2019 को आवेदन किया गया है, जिसमें पूर्व स्वीकृत फ्लैटों के डिजाईन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी consent दी गई है या नही के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declarations एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9.30 से सायं 6.00 बजे के मध्य निगोजन विभाग के displayed में नक्शे में किया जा सकता है। मानचित्रों में उ.प्र. अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा में स्थित वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु) विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तु)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank

कैंटोनमेंट शाखा
472/11, ओल्ड रेलवे रोड,
गुरुग्राम, हरियाणा-122001
ई-मेल आईडी : br.8210@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)
[अधिनियम के तहत परिशिष्ट IV-नियम 8(1)]

जबकि,

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (2002 की अधिनियम सं. 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने कर्जदार आवरण एवं जमानती हुकुम सिंह चौहान को सूचना में लिखित राशि रु. 2,72,18,518.85 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख अठारह हजार पाँच सौ अठारह एवं पचासी पैसे मात्र) एवं उस पर भावी लागत, ब्याज आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 07 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता/जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 31.05.2019 तक रु. 2,72,18,518.85 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख अठारह हजार पाँच सौ अठारह एवं पचासी पैसे मात्र) एवं 01.06.2019 से प्रभावी उस पर भावी लागत, ब्याज आदि के लिए सिंडीकेट बैंक (शाखा कार्यालय : कैंटोनमेंट शाखा) के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट सं. 146, निकट पावर हाउस, सेक्टर-9, आईएमटी बावल, रिवाड़ी, स्वामित्व हुकुम सिंह चौहान, सीमा : उत्तर : प्लॉट सं. 147, दक्षिण : प्लॉट सं. 145, पूर्व : प्लॉट सं. 139, पश्चिम : 20 मी चौड़ी सड़क।
2. आवासीय भूमि प्लॉट सं. ए-86, खसरा नं. 1991, 1992, अलवर सं. 1, गणपति विहार, तिजारा फाटक, अलवर, स्वामित्व हुकुम सिंह चौहान, सीमा : उत्तर : 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : ए-101 तथा ए-102, पूर्व : ए- 85, पश्चिम : ए-87.
3. आवासीय भूमि प्लॉट सं. 297, जेडीए आवासीय कॉलोनी, रोहिणी नगर, फेज-I, सांगनेर-रेनवल रोड, जयपुर, स्वामित्व हुकुम सिंह चौहान, सीमा : उत्तर : प्लॉट सं. 288, दक्षिण : 18 मी चौड़ी सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 298, पश्चिम : प्लॉट सं. 296.

तिथि : 13.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : बावल, अलवर, जयपुर सिण्डीकेट बैंक

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE® PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A (2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu (**"RoC"**) on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 174 of the red herring prospectus (**"RHP"**).

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India; **Corporate Office:** 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

QIB Portion: Not more than 50% of the Offer
Retail Portion: Not less than 35% of the Offer
Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Offer

Price Band: ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 17.70 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 17.80 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 84 Equity Shares and in multiples of 84 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**
*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs").**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

**ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.*
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 380 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**, and together with BSE, the **"Stock Exchanges"**) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link; www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact; JM Financial Limited - Prachee Dhuri (+91 22 6630 3262) (ppfi.ipo@jmfl.com); Edelweiss Financial Services Limited – Yashraj Shetty (+91 22 4342 6202) (Yashraj.Shetty@edelweissfin.com); Edelweiss Securities Limited – Madhuri Tawde – (+91 22 6626 4903) (Madhuri.Tawde@edelweissfin.com). Link Intime India Private Limited – Shanti Gopalkrishnan (+91 22 4918 6200) (princepipes.ipo@linkintime.co.in). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

Risks to Investors:

- **The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.**
- **The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.**

BID/OFFER PROGRAMME*

BID/OFFER OPENS ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019*

BID/OFFER CLOSES ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

** Our Company and the Promoter Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investors shall Bid during the Anchor Investor Bidding Date, i.e., one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members, and by intimation to Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**), the Registered Brokers, Registrar and Share Transfer Agents (**"RTAs"**) and Collecting Depository Participants (**"CDPs"**).

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b)(ii) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**), read with Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (**"SEBI ICDR Regulations"**), wherein a minimum Offer size of at least such percentage of Equity Shares equivalent to a value of ₹ 4,000 million (calculated at the Offer Price) will be offered to the public. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein 50% of the Offer shall be available for allocation to Qualified Institutional Buyers (**"QIB Portion"**). Provided that, our Company and the Promoter Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**), out of which at least one-third will be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Such number of Equity Shares representing 5% of the Net QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only. The remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price such that, subject to availability of Equity Shares, each Retail Individual Bidder shall be Allotted not less than the minimum Bid Lot, and the remaining Equity Shares, if available, shall be allotted to all Retail Individual Bidders on a proportionate basis. All potential Bidders, other than Anchor Investors, shall participate in the Offer mandatorily through the Applications Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process (including UPI ID in case of Retail Individual Bidders, if applicable) by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding Bid Amount will be blocked by the SCSBs. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see the section titled *"Offer Procedure"* on page 380 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 174 of the RHP and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 497 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 1,500,000,000 divided into 144,035,000 Equity Shares of ₹ 10 each and 596,500 compulsorily convertible preference shares of ₹ 100 each. The issued, subscribed and paid-up Equity share capital of our Company is ₹ 959,808,160 divided into 95,980,816 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the capital structure, see *"Capital Structure"* on page 81 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The signatories to the Memorandum of Association are Jayant Shamji Chheda, Gangji Shamji Chheda, Mulchand Shamji Chheda, Kishore Shamji Chheda and Arvind Shamji Chheda and were alloted 1,000 Equity Shares each. For details of the share capital history and capital structure of the Company see *"Capital Structure"* beginning on page 81 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company has received in-principle approvals from BSE and NSE for listing of the Equity Shares pursuant to their letters dated November 14, 2018 and November 16, 2018, respectively. For the purposes of the Offer, BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange. A signed copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents which shall be available for inspection from the date of filing of the Red Herring Prospectus with the RoC, until the Bid/ Offer Closing Date, see the section titled *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 497 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities stated in the offer document. The investors are advised to refer to page 357 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (The Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investor is advised to refer to the page 365 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 365 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled *"Risk Factors"* on page 17 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
JM FINANCIAL **JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6630 3030 **Facsimile:** +91 22 6630 3330 **E-mail:** ppfi.ipo@jmfl.com **Investor Grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	Edelweiss **Edelweiss Financial Services Limited** 14th Floor, Edelweiss House, Off. C.S.T Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4009 4400; **Facsimile:** +91 22 4086 3610 **E-mail:** ppfi.ipo@edelweissfin.com **Investor Grievance E-mail:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Contact Person:** Mohit Kapoor/Nishita John **SEBI Registration No.:** INM0000010650	LINKIntime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4918 6200 **Facsimile:** +91 22 4918 6195 **E-mail:** princepipes.ipo@linkintime.co.in **Investor grievance E-mail:** princepipes.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058	**Pravin Jogani** **Prince Pipes and Fittings Limited** 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road) Dadar West, Mumbai-400 028, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220 **E-mail:** investor@princepipes.com **Website:** www.princepipes.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Offer, in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the BRLMs at www.jmfl.com and www.edelweissfin.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED:** Telephone: +91 22 66022222, Facsimile: +91 22 66022220; **BRLMs: JM Financial Limited:** Telephone: +91 22 6630 3030, Facsimile: +91 22 6630 3330 and **Edelweiss Financial Services Limited:** Telephone: +91 22 4009 4400, Facsimile: +91 22 4086 3610; **Syndicate Member: JM Financial Services Limited:** Telephone: +91 22 6136 3400, Facsimile: Not applicable and **Edelweiss Securities Limited:** Telephone: +91 22 4063 5569, Facsimile: +91 22 6747 1347 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Almondz Global Securities Ltd., Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd., Axis Capital Ltd., Bajaj Financial Securities Ltd., Centrum Broking Ltd., Dalal & Broacha Stock Broking Pvt. Ltd., Eureka Stock & Share Broking Services Ltd., HDFC Securities Ltd., ICICI Securities Ltd., IIFL Securities Ltd., Keynote Capitals Limited, Kotak Securities Ltd., LKP Securities Ltd., Motilal Oswal Securities Ltd., Prabhudas Lilladher P. Ltd. Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Ltd., SBICAP Securities Ltd., Sharekhan Ltd., SMC Global Securities Ltd., YES Securities Ltd. and Zerodha Broking Ltd.

ESCROW COLLECTION BANK, PUBLIC OFFER BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited.

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 12, 2019

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its equity shares (**"Equity Shares"**) and has filed the RHP with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, JM Financial Limited and Edelweiss Financial Services Limited. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see *"Risk Factors"* on page 17 of the RHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	21.5 डि.से.	21.5 डि.से.	21.2 डि.से.	21.7 डि.से.
न्यूनतम	12.8 डि.से.	12.8 डि.से.	12.8 डि.से.	12.7 डि.से.

जेएनयू में सेवा और उपयोगिता भार यूजीसी देगा : एचआरडी मंत्रालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावासों के लिए प्रस्तावित सेवा और उपयोगिता भार को अगले आदेश तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वहन करेगा। मंत्रालय की ओर से जेएनयू प्रशासन और छात्र संघ से कहा है कि वे विश्वविद्यालय में सामान्य वातावरण तैयार करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इसके साथ ही कहा गया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए दो सप्ताह का और समय उपलब्ध कराएगा।

एचआरडी मंत्रालय की ओर मिली जानकारी के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को मंत्रालय ने आइएसए की नई नियमावली आने के बाद परिसर में बनी स्थितियों को सामान्य करने के लिए जेएनयू अधिकारियों और छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में तय किया गया है कि जेएनयू से जुड़े सभी हितधारकों को लचीला रुख अपनाना होगा ताकि एक महीने से अधिक से जारी आमने-सामने की स्थिति को खत्म किया जा सके।

बैठकों में तय किया गया है कि छात्रावास के कमरों का किराया 300 रुपए (दो व्यक्तियों के लिए) और 600 रुपए (एक व्यक्ति के लिए) रहेगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले विद्यार्थियों को 50 फीसद छूट मिलेगी। वहीं, छात्रावासों के लिए प्रस्तावित सेवा और उपयोगिता भार का भुगतान यूजीसी करेगा। ये बदलाव आइएसए की बैठक में अनुमादित किए जाएंगे और यह बैठक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार बुलाई जाएगी।

जेएनयू छात्र संघ को अधिसूचित करने के संबंध में तय किया गया है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय को हाई कोर्ट का निर्णय मानना होगा। छात्र संघ से कहा गया है कि वह तुरंत अपना आंदोलन वापस लेगा और आगे प्रशासनिक खंड, अकादमिक खंड व रिहायशी क्षेत्रों में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा अक्तूबर से अब तक के घटनाक्रम पर जेएनयू प्रशासन विद्यार्थियों के खिलाफ नर्म रुख रखेगा।

विद्यार्थियों ने किया परीक्षाओं का बहिष्कार

जेएनयू के विद्यार्थियों ने छात्रावास की फीस वृद्धि के मुद्दे पर गुरुवार को परीक्षाओं का बहिष्कार किया। हालांकि स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज (एसएसआइएस) में विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठें। सूत्रों के मुताबिक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड आंत्रप्रन्यॉरशिप में भी परीक्षाएं हुईं। एसएसआइएस के प्रोफेसर हरि राम मिश्रा ने कहा कि सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे की पाली में परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थी उपस्थित हुए।

प्रशासन और छात्रावास अध्यक्षों की बैठक बेनतीजा

गुरुवार को प्रशासनिक खंड में जेएनयू कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रावास अध्यक्षों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तीनों रेक्टर, रजिस्ट्रार, छात्र कल्याण डीन और एसोसिएट डीन मौजूद थे। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में तुरंत सामान्य हालत तैयार करने की जरूरत है ताकि जेएनयू के प्रामाणिक विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं दे सकें। इस दौरान छात्र कल्याण डीन ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के संबंध में बताया कि वे हाई कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हैं। वहीं, छात्रावास अध्यक्षों का कहना है कि बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि हमने आइएचए की बैठक को लोकतांत्रिक तरीके से फिर आयोजित करने की मांग की लेकिन कुलपति का कहना है कि वह बैठक पूरी तरह से वैधानिक थी।

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे बच्चे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

रणहौला थाना क्षेत्र में हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से दो बच्चे झुलस गए। घटना की सूचना बुधवार दोपहर पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बच्चों की पहचान आतिफ (8) और रियान (6) के तौर पर हुई है। ये बच्चे करंट की चपेट में आने से 60 फीसद तक झुलस गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के समय दोनों बच्चे खेल रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि दो बच्चे हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से आतिफ को दीनदयाल उपाध्याय और रियान को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बच्चे घर की छत पर लोहे की इंच टेप से खेल रहे थे। खेलते-खेलने वह घर के ऊपर से जा रही हाईटेंशन की तारों की ऊंचाई नापने लगे। जैसे ही इंच टेप तारों के संपर्क में आया, तभी वह बुरी तरह झुलस गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय निवासी सचिन ने बताया कि हादसे के दौरान बच्चे छत से नीचे भी गिर गए थे। दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ विकास नगर, रणहौला में रहते हैं।

कैब के विरोध में सड़क पर उतरे विद्यार्थी संगठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

कई विद्यार्थी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और इंडिया गेट पर नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के विरोध में प्रदर्शन किया। डीयू के उत्तरी परिसर में एकजुट-डीयू बैनर के तहत एसएफआइ और पिंजरा तोड़ मुहिम से जुड़े विद्यार्थियों ने प्रदर्शन का आयोजन किया। आइसा के नेतृत्व में इंडिया गेट पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कैब की प्रतियां भी चलाईं। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना था कि यह विधेयक भारतीय संविधान की भावना के बिलकुल विपरीत है। इससे देश में धार्मिक कटुता बढ़ेगी।

बारिश गुरुवार शाम बारिश के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ गई तो जाम लगने के कारण कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार थम गई।

बढ़े प्रदूषण स्तर के कारण निर्माण कार्य थे प्रतिबंधित

निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, पूरी हो सकेंगी अहम परियोजनाएं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 12 दिसंबर।

बढ़े वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर रोक हटने के बाद बिल्डर, रियल एस्टेट समेत ढांचागत परियोजनाओं के काम की राह आसान कर दी है। हालांकि पिछले तीन सालों में 2019 में सबसे अधिक 33 दिन वायु में प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर रोक रही है। निर्माण कार्य दिन में करने की मंजूरी मिलने के बाद नोएडा की करीब 800 करोड़ रुपए की विकासशील योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। खास तौर पर नोएडा- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर प्रस्तावित तीन अंडर पास और चिल्ला से महामाया फ्लाई ओवर के बीच बनने वाले एलिवेटेड मार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी आएगी।

वायु प्रदूषण के कारण 2017 में छह दिन तक निर्माण कार्य पर रोक रही थी। जबकि 2018 में यह रोक 12 दिन रही। 2019 में निर्माण कार्यों पर 33 दिन तक रोक रही है। गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने दिन में निर्माण कार्य करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसके कारण एक्सप्रेस वे 10, 13 और 19.4 किलोमीटर पर बनने वाले तीन अंडर पास का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। सेक्टरों और गांवों की एक्सप्रेस वे से बेहतर यातायात संपर्क उपलब्ध कराने के लिए करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से तीन अंडर पास बनाए जाने हैं। इसके लिए कंपनी चयन की प्रक्रिया हो चुकी है। दस्तावेजी जांच के लिए रिपोर्ट को दिल्ली और रुड़की आइआइटी भेजा गया है। जहां से मंजूरी आने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा। इसी तरह नोएडा प्रवेश द्वार पर व्यवस्त घंटों के दौरान लगने वाले जाम को दूर करने के लिए करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कराया जाना है। हालांकि 10 महीने पहले इस परियोजना का शिलान्यास हो चुका है। उसके बाद दस्तावेजों में बदलाव और नई विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट तैयार करने समेत विभिन्न कारणों से यह परियोजना बंदिशे झेल रही है।

खबरों में शहर

मामला दर्ज नहीं करने पर, एसएचओ को अदालत ने तलब किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने धमकी मिलने की एक बलात्कार पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। पीड़िता को यौन उत्पीड़न का मामला वापस लेने के लिए कुछ लोगों ने कथित तौर पर धमकी दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस बाबत जहांगीरपुरी थाना प्रभारी से इस संबंध में जवाब मांगा है। अदालत ने थाना प्रभारी को 17 दिसंबर तक इस संबंध में लिखित जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि कुछ लोगों ने उसके घर पहुंचकर उसे धमकी दी थी और मामला वापस लेने को कहा था। महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार की घटना हुई थी और आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सुनसान इलाकों में करते थे लूटपाट, तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सुनसान इलाकों में लोगों से लूटपाट करने वाले शानू गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने यमुनापार के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से अपना आतंक फैला रखा था। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान संजय रावत (25), रंजीत उर्फ डबू (24) और आमिर उर्फ इमरान (22) के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर एक पिस्तौल, चाकू और चोरी की गई एक महंगी मोटरसाइकिल जब्त की है। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया है कि ये नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 14 मामले सुलझाए हैं।

दस साल बाद धनौरी में देखा गया ईस्टर्न इंपीरियल ईगल

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 दिसंबर।

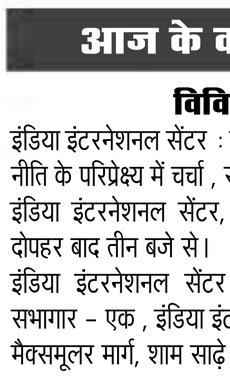

दस साल में पहली बार गौतम बुद्ध नगर में विलुप्त प्राय प्रजाति का ईस्टर्न इंपीरियल ईगल (पूर्वी शाही ईगल) धनौरी पक्षी विहार (वैटलेंड) में देखा गया है। ठंड बढ़ने के चलते उत्तर पूर्व अफ्रीका से यह पक्षी यहां प्रवास के लिए आया है। गुरुवार को इस प्रजाति के एक पक्षी को धनौरी पक्षी विहार में देखा गया। वन विभाग ने टीमें लगाई हैं, जो यह देख रही हैं कि पक्षी अकेला आया है या फिर जोड़ा है।

नियुक्ति के पहले दिन सांसद आवास पर पीएसओ ने की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

- अपने सर्विस पिस्तौल से अपने कनपटी पर मारी थी गोली
- हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इलाके में थे तैनात

भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर सुरक्षा में तैनात एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) ने नियुक्ति के पहले ही दिन आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि पीएसओ उनिस कुमार (46) खून से लथपथ हालत में पड़े हुए हैं। स्थानीय पुलिस और पीसीआर टीम उन्हें पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। २२२२

पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 21 अशोका रोड पर सरकारी आवास मिला हुआ है। गुरुवार सुबह हेड कांस्टेबल उनिस कुमार पहले दिन ड्यूटी पर पहुंचे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे उन्होंने खुद के सर्विल पिस्तौल से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर मौके पर अफरा-तफरी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस उन्हें पास के अस्पताल में लेकर पहुंची तो पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

उनिस कुमार इन दिनों नरेला में रह रहे थे। साल 1993 में वह दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। इन दिनों दिल्ली पुलिस के सुरक्षा यूनिट में तैनात थे। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस शुरुआती छानबीन के आधार पर मानकर चल रही है कि कहीं परिवारिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया हो।

ई-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने वाले समझौते के खिलाफ कारोबारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर देश के व्यापारियों को ई-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने वाले सरकार के प्रस्तावित समझौते के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों ने गुरुवार को अखिल भारतीय व्यापारी संघ (कैट) की अगुआई में आक्रोश जताया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि ऐसे किसी भी समझौते को तुरंत रद्द किया जाए। देश के व्यापारी इस समझौते को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इन कंपनियों का उद्देश्य हर प्रकार के हथकंडे को अपना कर देश के ई-कॉमर्स और खुदरा बाजार पर कब्जा करना है। सरकार इनके जाल में फंस रही है।

दिल्ली-एनसीआर संयोजक सुशील कुमार जैन ने कहा कि ये कंपनियां आदतन आर्थिक अपराधी हैं जो दुनिया भर के अनेक देशों में अपने कारोबारी प्रारूप के लिए बदनाम हैं। ऐसी कंपनियों के साथ सरकार की साझेदारी, सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वो कंपनियां हैं जिनके खिलाफ अनेक देशों में जांच चल रही है और इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से एफडीआइ पालिसी 2016 के प्रेस नोट संख्या दो, जिसका स्पष्टीकरण 2018 में दिया गया था, के प्रावधानों के खिलाफ अमेजन और फ्लिपकार्ट लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, पोर्टल पर बिकने वाले सामान पर नियंत्रण रखना, अपनी मनमर्जी के विक्रेताओं की ओर से सामान की बिक्री करवाना और अनेक उत्पादों को केवल अपने पोर्टल पर ही बेचना जैसे काम कर रही हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि कैट ने वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है की इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कर वंचना को लेकर इनके व्यापारिक खातों की जांच की जाए।

ओशो का जन्मोत्सव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

फरीदाबाद के लेक व्यू होटल में दस से 12 दिसंबर को ओशो का जन्मोत्सव मनाया गया। 'ओशो फ्रेगरेंस' में साधकों के लिए ये तीन दिन ध्यान, उत्सव, सत्संग, प्रश्नोत्तर के बीच गुजरे। बुधवार की शाम सूफी गायक हमसर हयात ने भावपूर्ण गीतों से ओशो के प्रति अपने भाव प्रकट किए। जन्मदिन की शाम देश-विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को मां अमृत प्रिया ने ध्यान करवाया। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने ओशो की दस मौलिक आज्ञाएं सबको बताईं, जिसमें अंतिम आज्ञा थी- 'खोजो मत। जो है, रुको और देखो'। उन्होंने कहा कि हम सब बहुत भागते हैं जीवन भर। अब तो कुछ क्षण रुको और देखो स्वयं में स्वयं की खोज में लगें तो यही जीवन आनंदमय, प्रेममय बन जाता है।

मजनू का टीला से लेकर रोहिणी शिविर तक पहुंचे भाजपा नेता

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपना चुनावी हथियार बनाएगी। नागरिकता दिलाने के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब पार्टी का लक्ष्य होगा कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में रह रहे ऐसे परिवारों को देश की मूल नागरिकता दिलाई जाए। इसके लिए पहले ही दिन से भाजपा ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। इसका सीधा असर अगले वर्ष फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। केंद्र सरकार के प्रमुख फैसलों के बाद अब भाजपा रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के मुताबिक, इस रैली के लिए भाजपा ने समय मांगा था और प्रधानमंत्री का समय प्रदेश भाजपा को मिल गया है। सूत्र बताते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा सभी शरणार्थी (रिफ्यूजी) कॉलोनी में पहुंचेगी और उसका मकसद इस वोट बैंक को जोड़ना होगा। इसके लिए पार्टी आलाकमान ने अन्य राज्यों को सक्रियता दिखाने के लिए भी कहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऐसी सभी कॉलोनियों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे और इसकी सीधी निगरानी पार्टी के स्थानीय नेता संभालेंगे। इन शिविरों की मदद से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से आम जनता को अवगत कराएगी। पार्टी का मानना है कि देश भर में इस फैसले का लाभ लाखों लोगों को होगा। इस विधेयक को पारित कर भाजपा ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है और इससे भाजपा को जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा।

मनोज तिवारी ने बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक का आम आदमी पार्टी ने विरोध करके अपनी जड़ें खुद ही खराब कर ली हैं।

फाइल फोटो

विपक्ष इसे काला दिन बता रहा है जबकि इस दिन शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का रास्ता खुला है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे खुद दिल्ली की शरणार्थियों की कॉलोनी में गए हैं। जहां लोगों ने भाजपा सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इससे पूर्व राम मंदिर, तीन तलाक समेत अन्य बड़े फैसले किए हैं। इसके अलावा झुग्गी को वहीं मकान देने का वादे पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा दिल्ली की सत्ता में आएगी और जनता को घर तक शुद्ध जल पहुंचाएगी।

कांग्रेस विधेयक को अदालत ले जाने की तैयारी में

गुरुवार को भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब कांग्रेस इस विधेयक को अदालत ले जाने की तैयारी कर रही है। जबकि जनता की अदालत ने इस पर अपना फैसला जता दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। विजय गोयल इस विधेयक के पारित होने के बाद मजनू का टीला पहुंचे और वहां दस सालों से रह रहे शरणार्थी परिवारों के साथ मिलकर इस विधेयक के पारित होने का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। उसके साथ भाजपा नेता जय प्रकाश भी शामिल हुए।

मिठाई और ढोल नगाड़े

विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता रोहिणी स्थित पाकिस्तानी शिविर में पहुंचे। जहां इस विधेयक को पारित होने पर शरणार्थियों के बीच मिठाइयां बांटी गई और ढोल-नगाड़े बजाए गए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद यह तय हो गया है कि अब अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में जन्मे नागरिकों के समान ही भारत के सम्मानित नागरिक हैं और केंद्र सरकार ने इस फैसले से लाखों शरणार्थियों को उनका दशकों से खोया सम्मान लौटाया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर आप व कांग्रेसी नेता तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक जैसे बयान दे रहे हैं।

आज के कार्यक्रम

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : महात्मा गांधी की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा , सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, दोपहर बाद तीन बजे से।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पुस्तक पर चर्चा, सभागार - एक , इंडिया इंटरनेशनल सेंटर , 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

www.readwhere.com

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. **Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.**

PRINCE® PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A (2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu (**"RoC"**) on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled **"History and Certain Corporate Matters"** on page 174 of the red herring prospectus (**"RHP"**).

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India; **Corporate Office:** 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com; **Corporate Identity Number:** U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

QIB Portion: Not more than 50% of the Offer
Retail Portion: Not less than 35% of the Offer
Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Offer

Price Band: ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 17.70 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 17.80 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 84 Equity Shares and in multiples of 84 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.**
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs").**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

**ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.*
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 380 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**, and together with BSE, the **"Stock Exchanges"**) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: JM Financial Limited - Prachee Dhuri (+91 22 6630 3262) (ppfl.ipo@jmfl.com); Edelweiss Financial Services Limited – Yashraj Shetty (+91 22 4342 8202) (Yashraj.Shetty@edelweissfin.com), Edelweiss Securities Limited – Madhun Tawde – (+91 22 6826 4903) (Madhun.Tawde@edelweissfin.com), Link Intime India Private Limited – Shanti Gopalkrishnan (+91 22 4918 6200) (princepipes.ipo@linkintime.co.in). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

Risks to Investors:

- **The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.**
- **The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.**

BASIS FOR OFFER PRICE

The Offer Price will be determined by our Company and Promoter Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, on the basis of assessment of market demand for the Equity Shares offered through the Book Building Process and on the basis of qualitative and quantitative factors as described below. The face value of the Equity Shares is ₹10 and the Offer Price is 17.70 times the face value at the lower end of the Price Band and 17.80 times the face value at the higher end of the Price Band.

Bidders should also refer to the sections titled *"Our Business"*, *"Risk Factors"*, *"Financial Statements"* and *"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"* on pages 150, 17, 212 and 309, respectively of the RHP, to have an informed view before making an investment decision.

Qualitative Factors

1. Strong brands in the pipes and fittings segment with over 30 years' experience and multiple industry awards and accolades. 2. Comprehensive product portfolio across polymers serving diverse end-use applications. 3. Strategically located manufacturing facilities with a core focus on quality. 4. Large and growing distribution network. 5. Our technical collaboration with a reputed international player, which helps to improve the quality of our products and our manufacturing efficiency. 6. Strong management team. For further details, please refer to the section titled *"Our Business – Strengths"* on page 150 of the RHP.

Quantitative Factors

Some of the information presented in this chapter is derived from the Restated Financial Statements of our Company. For details see *"Financial Statements"* on page 212 of the RHP.

Some of the quantitative factors which may form the basis for computing the Offer Price are as follows:

1. Earning per share ("EPS") per Equity Share of face value of ₹ 10 each:

Financial Year / Period Ended	Basic EPS (in ₹)	Weight	Diluted EPS (in ₹)	Weight
March 31, 2017	7.85	1	7.85	1
March 31, 2018	8.08	2	8.08	2
March 31, 2019	9.26	3	9.26	3
Weighted Average	8.63		8.63	
June 30, 2019*	2.96	-	2.96	-

**Not annualised*

Notes: i) Basic Earnings per share before adjusting exceptional item = Net profit after tax attributable to equity shareholders (as restated)/ weighted average number of equity shares outstanding during the year/period. **ii)** Diluted Earnings per share before adjusting exceptional item = Net profit after tax attributable to equity shareholders (as restated)/ weighted average number of diluted equity shares outstanding during the year/period. **iii)** Weighted average number of equity shares is the number of equity shares outstanding at the beginning of the year adjusted by the number of equity shares issued during year/period multiplied by the time weighting factor. The time weighting factor is the number of days for which the specific shares are outstanding as a proportion of total number of days during the year/period. **iv)** Earnings per share calculations are done in accordance with Ind AS 33 'Earnings Per Share' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. **v)** The above statement should be read with the notes to restated summary statements of assets and liabilities, profits and losses and cash flows as appearing in Annexure G of Restated Financial Statements as appearing in the section titled *"Financial Statements"* on page 212 of the RHP. **vi)** The figures / ratios disclosed above are based on Restated Financial Statements.

2. Price earning ("P/E") ratio in relation to the Price Band of ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share:

Particulars	As per our Restated Financial Statements
P/E ratio based on Basic EPS for the financial year ended March 31, 2019 at the Floor Price:	19.11
P/E ratio based on Diluted EPS for the financial year ended March 31, 2019 at the Floor Price:	19.11
P/E ratio based on Basic EPS for the financial year ended March 31, 2019 at the Cap Price:	19.22
P/E ratio based on Diluted EPS for the financial year ended March 31, 2019 at the Cap Price:	19.22

Industry P/E ratio

	P/E Ratio
Highest	65.37
Lowest	19.13
Average	38.89

Notes: i) *The average, highest and lowest Industry P/E shown above is based on the industry peer set provided below under "Comparison with Listed Peers". The industry composite has been calculated as the arithmetic average P/E of the peer set provided below, based on consolidated EPS numbers. For further details, see "Basis for Offer Price – Comparison with Listed Peers" hereunder.* **ii)** *P/E ratios for the peers are computed based on closing market price as at November 21, 2019 on BSE, divided by Diluted EPS (on consolidated basis) based on the financial results of such companies for the Fiscal Year 2019.*

3. Return on Net Worth ("RoNW"):

Year/Period ended	RoNW (%)	Weight
March 31, 2017	31.47%	1
March 31, 2018	23.52%	2
March 31, 2019	21.18%	3
Weighted Average	23.68%	
June 30, 2019*	6.34%	-

**Not Annualised.*

Note : 1. Return on net worth (%) = Net profit after tax (as restated)/ net worth as at the end of year/period. 2. Net worth = Equity share capital + Reserves and surplus (includes General Reserve and surplus in Profit and Loss Account) in accordance with Section 2 (57) of The Companies Act, 2013

4. Minimum Return on Net Worth after Offer required to maintain Pre-Offer EPS for the year ended March 31, 2019:

a) To maintain pre-Offer Basic EPS for the year ended March 31, 2019

Particulars	(%)
At the Floor Price	13.60%
At the Cap Price	13.59%

b) To maintain pre-Offer Diluted EPS for the year ended March 31, 2019

Particulars	(%)
At the Floor Price	13.60%
At the Cap Price	13.59%

5. Net asset value ("NAV") per Equity Share of face value of ₹ 10 each:

Particulars	NAV (in ₹)
As on March 31, 2017	52.37
As on March 31, 2018	34.36
As on March 31, 2019	43.71
As on June 30, 2019	46.70
After the Offer	At Floor Price: 70.53
	At Cap Price: 70.58
Offer Price*	[•]

**Offer Price per Equity Share will be determined on conclusion of the Book Building Process.*

***Note: i)** Net asset value per equity share (Rs) = Net worth (as restated)/ Total number of equity shares outstanding as at the end of year/period. **ii)** Net worth = Equity share capital + Reserves and surplus (includes General Reserve and surplus in Profit and Loss Account) in accordance with Section 2 (57) of The Companies Act 2013.*

6. Comparison with Listed Peers

	Name of the company	Face Value per Equity Share (₹)	Total Income[2] (₹ Million)	Basic EPS (₹)	Diluted EPS (₹)	P/E[4] (Based on Basic EPS)	P/E[4] (Based on Diluted EPS)	RoNW[5] (%)	NAV per equity share[6] (₹)
1	Prince Pipes and Fittings Limited[1]	10	15,789.95	9.26	9.26	[•]	[•]	21.18%	43.71
2	Peer Group[3]								
	Astral Poly Technik Limited	1	25,227.33	16.27	16.27	65.37	65.37	15.45%	106.64
	Finolex Industries Limited	10	31,317.34	29.59	29.59	19.13	19.13	14.26%	207.60
	Supreme Industries Limited	2	56,197.70	35.32	35.32	32.17	32.17	20.83%	169.57
3	Industry Composite[7]					38.89	38.89	16.84%	161.27

***Notes:** 1. Peer Group Companies' financial details set out in the above table are based on their respective consolidated audited results as at and for the year ended March 31, 2019. 2. Total Income refers to Revenue from Operations and Other Income. 3. Company information is based on the Restated Financial Statements as at and for the year ended March 31, 2019. 4. P/E Ratio has been computed using the closing market prices of the peer companies on BSE sourced from BSE's website as on November 21, 2019, as divided by the basic and diluted EPS respectively. 5. RoNW has been calculated as Profit after Tax (post minority interest, if any) divided by the Net Worth of these companies. Net worth has been computed as sum of Share Capital and Reserves & Surplus (attributable to equity shareholders). 6. Net asset value per equity share is calculated as the Net Worth of the peer companies (as mentioned in the point 5 above), divided by the outstanding number of fully paid up equity shares. 7. The industry composite has been calculated as the arithmetic average of the industry peer set disclosed above.*

The Offer Price of ₹ [•] has been determined by our Company and Promoter Selling Shareholders, in consultation with the BRLMs on the basis of the demand from investors for the Equity Shares through the Book Building Process and is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters.

Investors should read the above-mentioned information along with "Risk Factors", "Financial Statements" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" on pages 17, 212 and 309 respectively of the RHP, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares of our Company could decline due to the factors mentioned in the section titled 'Risk Factors" or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

For further details, please see the chapter titled "BASIS FOR OFFER PRICE" on page 109 of the RHP.

BID/OFFER PROGRAMME*

BID/OFFER OPENS ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019* | BID/OFFER CLOSES ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

** Our Company and the Promoter Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investors shall Bid during the Anchor Investor Bidding Date, i.e., one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date.*

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members, and by intimation to Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**), the Registered Brokers, Registrar and Share Transfer Agents (**"RTAs"**) and Collecting Depository Participants (**"CDPs"**).

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b)(ii) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**), read with Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (**"SEBI ICDR Regulations"**), wherein a minimum Offer size of at least such percentage of Equity Shares equivalent to a value of ₹ 4,000 million (calculated at the Offer Price) will be offered to the public. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein 50% of the Offer shall be available for allocation to Qualified Institutional Buyers (**"QIB Portion"**). Provided that, our Company and the Promoter Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**), out of which at least one-third will be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Such number of Equity Shares representing 5% of the Net QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only. The remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price such that, subject to availability of Equity Shares, each Retail Individual Bidder shall be Allotted not less than the minimum Bid Lot, and the remaining Equity Shares, if available, shall be allotted to all Retail Individual Bidders on a proportionate basis. All potential Bidders, other than Anchor Investors, shall participate in the Offer mandatorily through the Applications Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process (including UPI ID in case of Retail Individual Bidders, if applicable) by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding Bid Amount will be blocked by the SCSBs. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see the section titled *"Offer Procedure"* on page 380 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 174 of the RHP and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 497 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 1,500,000,000 divided into 144,035,000 Equity Shares of ₹ 10 each and 596,500 compulsorily convertible preference shares of ₹ 100 each. The issued, subscribed and paid-up Equity share capital of our Company is ₹ 959,808,160 divided into 95,980,816 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the capital structure, see *"Capital Structure"* on page 81 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The signatories to the Memorandum of Association are Jayant Shamji Chheda, Gangji Shamji Chheda, Mulchand Shamji Chheda, Kishore Shamji Chheda and Arvind Shamji Chheda and were allotted 1,000 Equity Shares each. For details of the share capital history and capital structure of the Company see *"Capital Structure"* beginning on page 81 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company has received in-principle approvals from BSE and NSE for listing of the Equity Shares pursuant to their letters dated November 14, 2018 and November 16, 2018, respectively. For the purposes of the Offer, BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange. A signed copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents which shall be available for inspection from the date of filing of the Red Herring Prospectus with the RoC, until the Bid/ Offer Closing Date, see the section titled *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 497 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities stated in the offer document. The investors are advised to refer to page 357 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (The Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investor is advised to refer to the page 365 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 365 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled *"Risk Factors"* on page 17 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
JM FINANCIAL **JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India; **Telephone:** +91 22 6630 3030 **Facsimile:** +91 22 6630 3330; **E-mail:** ppfl.ipo@jmfl.com; **Investor Grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com; **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	Edelweiss **Edelweiss Financial Services Limited** 14th Floor, Edelweiss House, Off. C.S.T Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India; **Telephone:** +91 22 4009 4400; **Facsimile:** +91 22 4086 3610 **E-mail:** ppfl.ipo@edelweissfin.com **Investor Grievance E-mail:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com; **Contact Person:** Mohit Kapoor/Nishita John **SEBI Registration No.:** INM0000010650	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India; **Telephone:** +91 22 4918 6200; **Facsimile:** +91 22 4918 6195 **E-mail:** princepipes.ipo@linkintime.co.in **Investor grievance E-mail:** princepipes.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in; **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058	**Pravin Jogani** **Prince Pipes and Fittings Limited** 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road) Dadar West, Mumbai-400 028, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220 **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Offer, in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the BRLMs at www.jmfl.com and www.edelweissfin.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED:** Telephone: +91 22 66022222, Facsimile: +91 22 66022220; **BRLMs: JM Financial Limited:** Telephone: +91 22 6630 3030, Facsimile: +91 22 6630 3330 and **Edelweiss Financial Services Limited:** Telephone: +91 22 4009 4400, Facsimile: +91 22 4086 3610; **Syndicate Member: JM Financial Services Limited:** Telephone: +91 22 6136 3400, Facsimile: Not applicable and **Edelweiss Securities Limited:** Telephone: +91 22 4063 5569, Facsimile: +91 22 6747 1347 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Almondz Global Securities Ltd., Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd., Axis Capital Ltd., Bajaj Financial Securities Ltd., Centrum Broking Ltd., Dalal & Broacha Stock Broking Pvt. Ltd., Eureka Stock & Share Broking Services Ltd., HDFC Securities Ltd., ICICI Securities Ltd., IIFL Securities Ltd., Keynote Capitals Limited, Kotak Securities Ltd., LKP Securities Ltd., Motilal Oswal Securities Ltd., Prabhudas Lilladher P. Ltd, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Ltd., SBICAP Securities Ltd., Sharekhan Ltd., SMC Global Securities Ltd., YES Securities Ltd. and Zerodha Broking Ltd.

ESCROW COLLECTION BANK, PUBLIC OFFER BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited.

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 12, 2019

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its equity shares (**"Equity Shares"**) and has filed the RHP with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, JM Financial Limited and Edelweiss Financial Services Limited. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see *"Risk Factors"* on page 17 of the RHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

www.readwhere.com

जनसत्ता

13 दिसंबर, 2019

चिंता की दर

भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार कमजोर होते जाने को लेकर चर्चा बहुत पहले से शुरू हो गई थी, पर सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर घट कर साढ़े चार फीसद पर आ गई, तब सरकार के माथे पर चिंता की लकीर कुछ गाढ़ी हुई। फिर भी वित्तमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर कुछ सुस्त जरूर है, पर इसे मंदी कहना उचित नहीं। जल्दी ही विकास दर का रुख ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। दूसरी तिमाही के नतीजों को देखते हुए भारतीय रिजर्व ने इस वर्ष की विकास दर पांच फीसद के आसपास रहने का अनुमान जताया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर छह फीसद के आसपास रहने का अनुमान लगाया है। अब एशियाई बैंक ने भारत में वृद्धि दर 5.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। यानी भारत के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। एशियाई विकास बैंक ने यह भी बताया है कि रोजगार सृजन की दर घटी है और फसलों के खराब होने और कर्ज की कमी के कारण खेती और ग्रामीण क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा है। रोजगार की कमी की वजह से उपभोग की दर भी घटी है, जिसके चलते औद्योगिक विकास दर पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

भारत की विकास दर में कमी अचानक नहीं आई है। इसकी रफ्तार पिछले चार साल से लगातार न सिर्फ सुस्त है, बल्कि इसका रुख निरंतर नीचे की तरफ बना हुआ है। पहले नोटबंदी की मार छोटे कारोबारियों पर बहुत गंभीर पड़ी थी। फिर जीएसटी लागू होने के बाद रही-सही कसर भी पूरी हो गई। इसमें करों का ढांचा तर्कसंगत न होने और नियम-कायदों की अव्यावहारिकता के कारण बहुत सारे छोटे कारोबारियों को परेशानी पैदा हुई। इसके चलते भी बहुत सारे रोजगार बंद हुए। जब छोटे कारोबार बंद होते हैं, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर भी बंद हो जाते हैं। फिर बैंकों की बहुत बड़ी रकम बट्टे खाते में चली जाने और कर्ज वसूली न हो पाने के कारण भी न सिर्फ उनके, बल्कि दूसरे अन्य क्षेत्रों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा। भवन निर्माण के क्षेत्र में कुछ तो नियमों की सख्ती की वजह से सुस्ती आई और कुछ लोगों की आय घटने या रोजगार जाते रहने से घट गई। इस तरह इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बंद हो गए। यों कुशल युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए कर्ज मुहैया कराए गए, जिससे उम्मीद थी कि नए रोजगार पैदा होंगे, पर वह योजना भी कारगर साबित नहीं हुई।

इन तमाम स्थितियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होती गई। अर्थव्यवस्था के खराब रहने का बड़ा असर निवेश पर पड़ता है। निवेश रुक जाता है। विदेशी कंपनियां भी खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों में कारोबार को लेकर उत्साहित नहीं होतीं। फिर जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए विश्वबैंक आदि से जो कर्ज लिए गए होते हैं, उनके ब्याज चुकाने भारी पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, तब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी और जब तक अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी, तब तक रोजगार के मोर्चे पर सुस्ती से पार पाना मुश्किल बना रहेगा। ऐसे में सरकार को बहुत सावधानी और संजीदगी से आर्थिक नीतियों पर विचार और फिर कोई व्यावहारिक कदम उठाने पड़ेंगे।

सफर का तकाजा

न सिर्फ दिल्ली और दूसरे महानगरों में, बल्कि देश के लगभग सभी शहरों और कस्बों तक में सड़कों पर जाम एक बड़ी समस्या है। आमतौर पर सभी लोग इससे जूझते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस समस्या पर गौर करने की जरूरत समझी जाती है। जाम की वजह से वक्त की बर्बादी और जरूरी काम न हो पाने से लेकर जान के जोखिम जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए यातायात महकमे की ओर से फौरी तौर पर तो कुछ कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद फिर से वही स्थिति कायम हो जाती है। अब इस मसले पर गठित राज्यसभा की एक विशेष समिति ने अपने अध्ययन के बाद कुछ सिफारिशें की हैं। अगर उन पर अमल होता है तो कम से कम दिल्ली में सड़कों पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। समिति के मुताबिक एक विशेष लेन यानी मार्ग की व्यवस्था की जाए, जो खासतौर पर एंबुलेंस और दमकल जैसे आपात वाहनों के लिए हो। बेतरतीब चलने वाले दुपहिया वाहनों के लिए भी अलग रास्ता होना चाहिए। इसके अलावा, नए वाहन खरीदने की इजाजत तभी मिले, जब पुराने वाहन की समय सीमा खत्म हो जाए और खरीदार के पास पार्किंग की व्यवस्था हो।

यों, एक सुव्यवस्थित शहर में यातायात के लिए अलग से इन सिफारिशों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सड़क-निर्माण में विशेष लेन की व्यवस्था के साथ-साथ लोगों की आम आदत में जरूरत और उपभोग का संतुलन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसे दृश्य आम हैं कि सड़क पर पीछे से एंबुलेंस या दमकल जैसे आपात वाहन आ रहे हों तो उसके आगे चल रहे वाहन किनारे होना जरूरी नहीं समझते, जबकि यह एक सामान्य समझ होनी चाहिए कि एंबुलेंस और दमकल किसी की जान बचाने की कोशिश में जा रहे होते हैं और उनका पहले निकलना बेहद जरूरी है। दुनिया के कई देशों में एंबुलेंस या दमकल के लिए रास्ता खाली करना एक सहज बर्ताव है। मगर हमारे देश में यह अफसोस कायम है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि सड़कों पर वाहनों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कई बार पीछे से आ रहे वाहनों के लिए रास्ता छोड़ना मुमकिन नहीं हो पाता। शायद इसी वजह से राज्यसभा की समिति ने ऐसे वाहनों के लिए विशेष लेन की सिफारिश की है।

एक मुश्किल यह है कि कई लोगों के पास पहले से अपनी जरूरत के वाहन होते हैं, फिर भी वे नई गाड़ी खरीद लेते हैं। यह भी संभव है कि उनके पास वाहन की पार्किंग की जगह न हो। इससे सड़कों पर तो वाहनों की भारी तादाद बड़े जाम की वजह बनती ही है, अक्सर मुहल्लों-कॉलोनियों में सड़कों के दोनों ओर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सड़कों पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जो वाहन चलाते हुए यातायात के सभी नियम-कायदों का खयाल रखते हैं। जबकि ऐसे तमाम लोग हैं, जो न केवल लापरवाही से वाहन चलाते हैं, बल्कि कई बार नियम तोड़ने में अपनी शान भी समझते हैं। यह सड़क-निर्माण के मामले में बुनियादी ढांचे में खामी के बरक्स ऐसी समस्या है, जिसके रहते सहज और सुरक्षित सफर सुनिश्चित हो पाना लगभग नामुमकिन है। यानी व्यवस्थागत कमियों के समांतर अगर वाहन चालक और बाकी लोग अपनी गड़बड़ियों के बारे में अपने रुख में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक सड़कें सहज और सुरक्षित नहीं हो सकेंगी।

कल्पमेधा

मनुष्य आश्चर्य पर मुग्ध होता है। यही हमारे सम्पूर्ण विज्ञान का मूल आधार है।
– इमर्सन

चीन के लिए चुनौती बना हांगकांग

ब्रह्मदीप अलूने

हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम पर भी जनता को भरोसा नहीं रह गया है। लोग उन्हें चीनी एजेंट के तौर पर देखते हैं। जनता को स्थानीय पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे में इस व्यापारिक केंद्र में कानून-व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है। हाल के स्थानीय चुनावों में लोकतंत्र समर्थकों को शानदार जीत मिली है। इस जीत को एक तरह से जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है।

आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सुधार पर आधारित नीतियों से संपूर्ण मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। लोकतंत्र पर आधारित समाज राजनीतिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, शांति और सुख-समृद्धि महसूस करता है, इसलिए उसे आर्थिक उच्च विकास के नाम पर खामोश नहीं किया जा सकता। आज हांगकांग इसी स्थिति से गुजर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हांगकांग अब तक उच्च विकसित अर्थव्यवस्था के लिए पहचाना जाता था, लेकिन इस समय यह चीन की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर होकर खड़ा है। यहां के युवा तेजी से अलगाववादी बन रहे हैं, हथियार उठा रहे है, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका जैसा देश उनका राजनीतिक समर्थन कर चीन को चुनौती दे रहा है।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच अलगाव पैदा करने की डेंगशियाऊ पिंग की चीन की पुरानी विदेश नीति भारत, रूस, अफगानिस्तान या अन्य देशों में भले ही सफल हो जाए, लेकिन उसके अपने भाग हांगकांग में यह बुरी तरह पस्त पड़ गई है। जनवादी चीनी गणराज्य द्वारा प्रशासित पूंजीवादी हांगकांग में राजनीतिक उदारीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बीच सामंजस्य कायम न कर पाने की चीनी नाकामी हिंसक होकर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने देने को आमादा है। साम्यवादी चीन हांगकांग के विकास को आर्थिक नीतियों से जोड़ कर वहां के बाशिंदों के राजनीतिक अधिकारों को नजरअंदाज कर रहा है और चीन की यह नीति जनता को स्वीकार नहीं है। चीन की यह मान्यता है कि वह अपने विकास के लिए अन्य देशों का शोषण नहीं करेगा, लेकिन उसकी राजनीतिक दृष्टि लोकतंत्र विरोधी रही है, इसलिए उसके अपने इलाकों में ही अंतर्विरोध देखा जा सकता है। एक तरफ चीन अपने अशांत इलाके शिनजियांग प्रांत में विकास कर लोगों को दबा रहा है, जबकि वहां बसने वाले मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए हैं। जनता के राजनीतिक अधिकारों के प्रति साम्यवादी चीन का आक्रामक व्यवहार न शिनजियांग प्रांत के लोगों का विश्वास जीत सका है, न ही वह इस नीति पर चल कर हांगकांग के लोगों का भरोसा जीत सकेगा।

लोकतांत्रिक आंदोलन चीन के लिए विरोध का प्रतीक माने जाते रहे हैं और चीनी शासक और रणनीतिकार इसे बेरहमी से दबाने में भरोसा करते हैं। सन 1989 में चीन के छात्रों ने थियेनमान चौक पर लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन किया था, जिसे चीनी सत्ता ने सख्ती से कुचल डाला था। हांगकांग में चीन आर्थिक उदारीकरण बनाए रखने का समर्थक तो है, परंतु राजनीतिक उदारीकरण का विरोधी है। लोकतंत्र को दबाने की चीन की यह प्रवृत्ति हांगकांग में भी सामने आई है।

इस साल अक्तूबर में हत्या के आरोपी एक हांगकांग युवा के ताईवान में प्रत्यर्पण की खबरों से भी लोग भारी विरोध पर उतर आए थे। चान टोंग-काई नाम के युवक पर पिछले साल ताइवान में अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या करके भाग कर हांगकांग आने का आरोप है, लेकिन हांगकांग और ताइवान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इस मामले के बाद चीनी सरकार ने प्रत्यर्पण कानूनों में बदलाव की योजना बनाई गई थी। चीन के इस कदम से नाराज हांगकांग के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रस्तावित कानून के आलोचकों का कहना है कि चीन में प्रत्यर्पण से कई लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा सकेगा और उन पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। हांगकांग के लोग इस बात से भयभीत हो गए कि चीन यहां के लोकतंत्र समर्थकों को भी निशाना बना सकता है और उन्हें चीन में प्रत्यर्पण कर अत्याचार कर सकता है। हालांकि चीन की ऐसी मंशा को लेकर दुनिया को कोई संदेह भी नहीं है। हालांकि महीनों के भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शन अब तक नहीं थमे हैं।

हांगकांग में लोकतंत्र को नियंत्रित और प्रशासित करने के चीन के साम्यवादी प्रयास वहां की जनता के लिए विरोध का कारण बने हैं। साल 2017 में चीन ने यह तय करने का प्रयास किया था कि हांगकांग में निर्धारित निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के नाम का चयन चीन के साम्यवादी दल द्वारा किया जाएगा। हांगकांग के लोगों ने चीन की इस नीति को अपने मौलिक और पारंपरिक अधिकारों पर अतिक्रमण माना और यहीं से विरोध शुरू हुआ। हांगकांग के लोगों का मानना है कि

उनके प्रतिनिधि के चयन का अधिकार उन्हें ही होना चाहिए। इसके पहले 1997 ने जब ब्रिटिश आधिपत्य से हांगकांग को चीन को हस्तांतरित किया गया था, तब चीन ने यह वादा किया था कि हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना होगी। अब चीन हांगकांग में अपने उस वादे और नीति से उलट काम कर रहा है। इसीलिए उसका वैश्विक विरोध हो रहा है। हांगकांग को लेकर अमेरिका की जो नीति सामने आई है, उससे साफ है कि दुनिया हांगकांग में चीन की लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और वह जनता के साथ खड़ी है। इन सबके बीच बेजिंग की आपत्तियों को दरकिनार कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अब हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम, 2019 बिल कानून बन गया है। यह कानून मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंधों का उपबंध करता है। इसके बाद हांगकांग की पुलिस को ऐसा सामान निर्यात नहीं हो सकेगा जिससे प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिकी समर्थन से हांगकांग के लोग उत्साहित हैं और इस कारण चीन का विरोध बढ़ने का संकट गहरा गया है।

हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम पर भी जनता को भरोसा नहीं रह गया है। लोग उन्हें चीनी एजेंट के तौर पर देखते हैं। जनता को स्थानीय पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे में इस व्यापारिक केंद्र में कानून-व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है। हाल के स्थानीय चुनावों में लोकतंत्र समर्थकों को शानदार जीत मिली है। इस जीत को एक तरह से जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है। चीनी शासन के विरोध में सभी आयु वर्ग के लोग लामबंद हो गए हैं और इसका असर वहां के जनजीवन पर भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर आयोजित जनसभा में लाखों लोगों ने काले कपड़े पहन कर भाग लिया और इसे चीन के विरोध के तौर पर भी देखा जा रहा है। हांगकांग की संसद में घुस कर युवा ब्रिटिश कालीन झंडा फहराकर अपना गुस्सा जता चुके हैं। चीन के राष्ट्रीय गान के प्रति कई मौकों पर असम्मान दिखता है। इन घटनाओं का असर चीन की शक्तिशाली सत्ता पर पड़ना स्वाभाविक है।

हालांकि छह महीने से चल रहे इस आंदोलन से हांगकांग की व्यापारिक प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है और यह देश आर्थिक और कारोबारी संकट से घिरने लगा है। जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है और मंदी का असर जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। इन सबके बीच चीन का नजरिया इस लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने वाला ही नजर आता है। चीन को लगता है कि हांगकांग का आर्थिक विकास कर लोगों को खामोश किया जा सकता है, लेकिन उसकी नीति में लोगों को भरोसा नहीं है। हांगकांग के लोग बिना किसी नेता के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों में अधिकांश युवा हैं। वहीं चीन के समर्थन में भी एक समूह है जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। चीन की जल्दबाज़ी के चलते एक विकसित और अत्याधुनिक क्षेत्र गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। हांगकांग के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्हें साम्यवाद की आक्रामकता स्वीकार नहीं है। ये लोग अपनी भावी पीढ़ी के लिए साम्यवादी चीन की नीतियों को संकट की तरह देख रहे हैं।

शहर में स्त्री

मेहजबीं

दुनिया मेरे आगे

कई बार गांव के लड़के-लड़कियां पढ़ने या रोजी-रोटी कमाने महानगरों में आते हैं और पढ़ाई पूरी करके वहीं बस जाते हैं। कुछ अपने घर वालों की राजी-खुशी से पारंपरिक तौर-तरीके से शादी करते हैं, अपनी बिरादरी या जाति से और अपने क्षेत्र की दुल्हन मोटा दहेज लेकर लाते हैं। कुछ लड़के महानगरों में ही मुहब्बत कर बैठते हैं और घर वालों को मना कर उनसे शादी भी कर लेते हैं। मुसीबत उन जोड़ों के साथ पेश आती है, जहां ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के और शहर में पैदा हुई, पली-बढ़ी लड़की के बीच मुहब्बत हो जाता है। लड़का गांव लौट जाता है। वहीं कोई रोजगार या अपनी खेती देखता है, व्यवसाय करता है। इसके बाद मसला पेश आता है शहर की लड़की गांव जाकर रहेगी या नहीं। परेशानी इसके बाद शुरू होती है। लड़की को गांव के माहौल में ढलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसका प्रेमी भी उससे यही उम्मीद करता है। ऐसे में लड़की अकेली पड़ जाती है।

दरअसल, कुछ भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी को छोड़ दें तो आज भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन सीमित हैं। ये कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से शहर की लड़कियां गांव में नहीं रहना चाहतीं। हालांकि खुद लड़के भी ऐसा ही सोचते हैं। एक बड़ा कारण और है। जहां तक मेरा अनुभव है, बाकी लोगों के अलावा बहुत सारे मुसलिम परिवारों में भी लोगों का रहन-सहन और उनकी सोच एक ऐसी जगह पर कायम है, जहां लोग बेटियों को किसी नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं भेजते। कुछ लोग लड़कियों का किसी स्कूल में पढ़ाना या कोई और नौकरी करना गलत मानते हैं और कहते हैं कि लड़कियों की यह मनमानी उन्हें मजहब से दूर कर देती है। ऐसी सोच अब भी है, इसके बावजूद कि वक्त बदल रहा है और लोग लड़कियों के बारे में अपनी धारणा बदल रहे हैं।

गांव के लोग बहुओं का घर पर रहने और उन्हें घर संभालते हुए घरेलू महिला के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। इसीलिए वहां कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं अगर हैं भी, तो वे सिर्फ घरेलू महिला बन कर रह गई हैं। उन्हें नौकरी करने नहीं दिया जाता और इस तरह उनका पढ़ा-लिखा सब बेकार हो जाता है। ऐसी सोच के मालिक शहरों में भी हैं, जिनके घर में शिक्षित लड़कियां घुट कर रह जाती हैं।

अपने कुछ अनुभवों के आधार पर कह सकती हूं कि गांव की बहुएं आज भी सिर्फ डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने या फिर तीज-त्योहार पर बाजार के लिए ही बाहर निकलती हैं। कितनी जकड़ी सोच है! रिश्तेदारी में फालतू घूमना बुरा नहीं समझा जाता, मगर स्कूल-कॉलेज या विश्वविद्यालय और सेहत के लिए टहलने को बुरा समझा जाता है।

ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जो पढ़-लिख कर भी रोजगारयाफ्ता और खुदमुख्तार नहीं हैं, शहरों में और गांव में भी। उन्हें सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि अब अनपढ़ लड़कियों को लड़के पसंद नहीं करते। लड़कियों की अपनी ख्वाहिश और जरूरत, अपना वजूद, उनकी माली हालत आज भी किसी के लिए मायने नहीं रखती। वे बस सौंदर्यबोध का साधन हैं, घर और जिस्म की जरूरत पूरा करने का जरिया... बच्चे पैदा करने की मशीन।

शहरों में कुछ जगह मिली है लड़कियों को, क्योंकि वहां पढ़ने-लिखने के मौके उनके सामने मौजूद हैं। वह स्कूल-कॉलेज हो या फिर निजी कोचिंग संस्थान। शहरों में मुसलिम परिवारों में भी अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने या नौकरी करने देने में कोई खास हिचक नहीं रही। परदे की भी बहुत मजबूरी नहीं रही। शहरों का जीवन लड़कियों को शायद इसीलिए पसंद है।

सच यह है कि समझदार प्रेमी शहर की लड़की की जरूरतों और इच्छाओं को देखते हुए उसे जबरन गांव नहीं ले जाता। हां, गांव के संपर्क में रहा सकता है। घर वाले भी खुश और प्रेमिका या बीवी भी खुश। जो ऐसा नहीं कर पाते, वे दर्द, क्षोभ और बदला लेने के भाव वाले गीत गाते रह जाते हैं। मेरी राय यह है कि लड़कियों से अनुरोध मत कीजिए कि वे मौका दें, बल्कि अपने गांव का माहौल दुरुस्त करने की जरूरत है। अपने घर में मर्द-औरत की गैरबराबरी को दूर कर लिया जाए, लड़कियों और बहुओं को स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय जाकर उच्च शिक्षा और रोजगार हासिल करके खुदमुख्तार बनने, अच्छी सेहत के लिए सुबह टहलने के मौके और आजादी मुहैया कराएं..! उन्हें सिर्फ अपनी जरूरत का सामान सौंदर्यबोध का आनंद लेने का साधन और बच्चे पैदा करने की मशीन न समझें।

महिलाओं को ये खेत, नदियां, झरने, पहाड़, फूल, दरख्त को देखने और उनकी खूबसूरती के एहसास से दूर रखा जाता है। सवाल है कि क्या प्रकृति को देखते रहने का हक सिर्फ मर्द को है? क्या तालीम और रोजगार हासिल करने का हक सिर्फ मर्द को है? इस तरह के पुरुषवादी, पितृसत्तात्मक और गैरबराबरी वाली सोच और माहौल को खत्म करना होगा। लड़कियां बेवफा नहीं होतीं। लड़कों की सोच सीमित है, जिसे बड़ा बनाने की जरूरत है। लड़कियां भी प्यार करना चाहती हैं, लेकिन अब अपनी शख्सियत और इच्छाओं के दमन की कीमत पर नहीं।

छीजता विश्वास

नागरिकता संशोधन विधेयक सरकार की मंशा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। जब देश के सामने बहुत से बुनियादी मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, सरकार इतिहास में जाकर तत्कालीन फैसलों को मन-मुताबिक बदलने का गैरजरूरी काम कर रही है। वर्तमान सरकार किसी भी तरह बहुसंख्यकों को अपने से बांधे रखना चाहती है। सरकार का यह प्रयास देश के बहुधर्मी समाज के लिए एक गलत संदेश है। जिस लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक समुदाय रह रहे हों, उसे अपने फैसले बहुत सोच-समझ कर लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दो समुदायों के बीच किसी भी तरह की दूरी या अलग-थलग किए जाने की भावना बढ़े।

एक छोटी-सी भूल समाज को अविश्वास के घेरे में ले लेती है। इस तरह का अविश्वास बहुत खतरनाक होता है, जिसकी एक झलक विभाजन के समय देश देख चुका है। उस समय भी एक दो गलत फैसलों ने पूरे देश का मंजर बदल के रख दिया था। सरकार को अगर नागरिकता विषयक कोई संशोधन करना था तो उसके मानक सभी समुदायों के लिए बराबरी के होने चाहिए थे। धार्मिक आधार पर इस तरह का तानाशाही फैसला देश के सामाजिक ढांचे को बेतरह प्रभावित करेगा, जो उचित नहीं। सरकार को अपने कथन 'सबका साथ, सबका विकास' को ध्यान में रखना चाहिए। इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। विडंबना यह है कि इन मुद्दों की परतें लोगों को समझ में आ सके, यह भी स्थिति नहीं बनने दी जा रही है। आक्रामक प्रचार-तंत्र के जरिए भाजपा ने लोगों के बीच में जिस तरह की धारणा बना दी है, वह आने वाले समय में देश के साथ-साथ देश में बौद्धिक कसौटी का भी संकट बनेगा।

● *घनश्याम यादव, अलवर, राजस्थान*

इंसाफ का दरवाजा

अदालतों में मुकदमे की संख्या में बढ़ोतरी अब भयावह रूप लेती जा रही है और यह स्थिति विभिन्न विसंगतियों को जन्म दे रही है। राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले तीस वर्षों में देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करीब पंद्रह करोड़ तक पहुंच जाएगी। आजादी के बाद से ही अदालतों और जजों की संख्या आबादी के बढ़ते अनुपात के मुताबिक कभी भी कदमताल नहीं कर पाई। इस वजह से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के मुताबिक न्यायपालिका में भी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम नहीं हो सका। विधि आयोग ने 1987 में कहा था कि दस लाख लोगों पर कम से कम पचास न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन आज भी दस लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या पंद्रह से बीस के आसपास है।

कहते हैं कि दुश्मनों को भी अस्पताल और कचहरी का मुंह न देखना पड़े। यह इसलिए कहा जाता है कि दोनों जगहें आदमी को तबाह कर देती हैं और जीतने वाला भी इतने विलंब से न्याय पाता है कि वह अन्याय के बराबर ही होता है। छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े को लेकर पचास-पचास साल मुकदमे चलते हैं। फौजदारी के मामले तो और भी संगीन स्थिति हैं। अपराध से ज्यादा सजा लोग फैसला आने के पहले ही काट लेते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। तमाम विसंगतियों के बाद भी न्यायालयी प्रक्रिया के प्रति आम लोगों का विश्वास कुछ इस वजह से भी है कि आम लोगों में विश्वासबहाली के लिए जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए था, वह न्यायालय को करना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में नेताओं की मनमानेपन और अपराधियों से उनकी सांठगांठ पर चुनाव आयोग और न्यायालय ने मिल कर लगाम कसने की जो कोशिश की है, उससे भी आम लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा है। अब वक्त आ गया है कि न्याय के लिए न्याय व्यवस्था में ठोस सुधार किया जाए।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

पर्यावरण का रुख

स्पेन की राजधानी मेड्रिड में पर्यावरण मंत्री ने 'कॉप 25' सम्मलेन में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुरूप काम करने की जानकारी दी। ऐसा लगता है संयुक्त राष्ट्र के मातहत पिछले पच्चीस सालों से सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है। चालीस फीसद कार्बन उत्सर्जन के लिए जो दो देश जिम्मेदार हैं, उसमें से अमेरिका तो इस संकल्पना को ही नकार चुका है। चीन ने किसी भी अंतिम तारीख को मानने से मना कर दिया है। 1995 में बर्लिन में हुए पहले सम्मलेन में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, उत्सर्जन रहित तकनीक के लिए, अमीर देश गरीब देशों को आर्थिक मदद देने पर चर्चा हुई थी।

इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। पेरिस सम्मलेन के बाद यह अघोषित रूप से सहमति बनी कि सभी देश अपने स्तर पर इस पर काम करेंगे। 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने और तापमान को दो डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए अब दुनिया का पास सिर्फ ग्यारह साल बच रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ ठोस हो पाएगा। गरीब देशों पर मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर होता है। पिछले साल केरल के बाढ़ ने वहां के जीडीपी के एक वर्ष की आमदनी को स्वाहा कर दिया था।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

अच्छा भी, बुरा भी

आज के समय में तो सोशल मीडिया के मंचों पर बहुत भीड़ लगी हुई है। हर एक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर भी यह राज कर रहा हैं और इस पर लोग और यहां तक कि बच्चे भी खूब व्यस्त रहते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है, उतना ही नुकसानदेह भी है। यों इसका पहला प्रभाव सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक। बहुत सारी सूचनाएं आज हमें सोशल मीडिया से ही मिल पाती है। नए लोगों से जान-पहचान बनती है, हमारी दुनिया बड़ी होती है। लेकिन यह भी सही है कि इसकी वजह से अपराधों का दायरा भी बढ़ा है। आज जिस तरह बच्चे इसमें अपनी दुनिया को गुम कर ले रहे हैं, वह आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी की तरह है। इसलिए अगर सीमा में इसका उपयोग किया जाए तभी इसका फायदा समाज को मिल सकता है। वरना समाज का चेहरा विकृत भी हो जा सकता है।

● *मो जमील, मधुबनी, बिहार*

www.readwhere.com

नई फिल्म

- मर्दानी 2
- अनफ्रेंड

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
पति पत्नी और वो	49.25 करोड़
पानीपत	23.85 करोड़
कमांडो 3	30 करोड़
पागलपंती	32.75 करोड़

12 दिसंबर तक की कमाई

जन्मदिन

रितेश देशमुख	17 दिसंबर
जॉन अब्राहम	17 दिसंबर
माही गिल	19 दिसंबर
अंकिता लोखंडे	19 दिसंबर

बेटी तो मेरी जान है : रानी मुखर्जी

आरती सक्सेना

लंबे अरसे से दर्शकों को रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 2' का इंतजार है। फिल्म में वह एक बार फिर एक तेज-तर्रार पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं। पेश है रानी से बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल : 2014 में 'मर्दानी' आई थी। अब 'मर्दानी 2' आ रही है। दोनों में क्या फर्क है। 'मर्दानी 2' में आपको क्या मुश्किल लगा?

● 'मर्दानी' का सीक्वल बनना तो तय था लेकिन इसमें देरी कहानी के कारण हुई, जो मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। 'मर्दानी' में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी जो खुफिया विभाग से संपर्क रखती थी। खुफिया विभाग में सभी काम काफी खुफिया तरीके से किए जाते हैं जिससे मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 'मर्दानी 2' में मैं एसपी के किरदार में हूं इसलिए हर शॉट में वर्दी पहनी पड़ी, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 'मर्दानी 2' के लिए मुझे अंडर वाटर तैराकी भी सीखनी पड़ी।

सवाल : बॉलीवुड में आपकी शुरुआत ग्लैमरस और रोमांटिक फिल्मों से हुई थी। लेकिन आपकी पिछली फिल्में 'हिचकी' और 'मर्दानी' बहुत अलग थी। ऐसी फिल्मों को करने का कोई खास कारण?

● मैंने अपने करिअर की शुरुआत 'राजा की आएगी बारात' फिल्म से की थी, जिसमें मैं बलात्कार का शिकार होती हूं और बाद में बदला लेती हूं। इसके बाद मैंने एक फिल्म 'मेहंदी' भी की थी, जिसमें भी सामाजिक संदेश था। कहने का मतलब ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी फिल्में करूं जिसमें सामाजिक बुराई को दिखाया गया हो, महिलाओं की बात हो। 'गुलाम', 'वीरजारा', 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम' जैसी फिल्में कमर्शियल पाइंट ऑफ व्यू से करिअर के लिए जरूरी थीं। 'हिचकी' में मैंने हकलाने से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित करने के का काम किया था। ताकि ऐसे लोगों को इस बीमारी से लड़ने की ताकत और सामना करने की हिम्मत मिले। मैं वही फिल्में करना पसंद करती हूं जिसकी कहानी दमदार हो।

सवाल : आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल हो गएं। आपको यहां मनचाहा मुकाम भी मिला और दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी। ऐसे में आपकी नजर में अभिनय करना क्या है?

● मेरी नजर में अभिनय का मतलब है रिएक्ट करना। अच्छी अदाकारी वही है जो दिल से निकले, तभी तो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। मैंने अपने करिअर में हमेशा यही कोशिश की है कि मैं दिल से एक्टिंग करूं। जब अदाकारी नेचुरल होती है तो वह आपका स्टाइल बन जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि मेरी अदाकारी सहज लगे।

सवाल : आपने जिससे प्यार किया उससे शादी की। आपकी एक प्यारी-सी बेटी भी है। आप तो बहुत खुश होंगी...

● हां, बहुत ज्यादा खुश। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती हूं , वो मेरी जान है। आदित्य से शादी करके तो मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपना हर रिश्ता बहुत ईमानदारी से निभाया है फिर चाहे वो प्यार का हो या फिर दोस्ती का। शायद यही वजह है कि मुझे हमेशा प्यार के बदले प्यार ही मिला है।

सवाल : आपके तो कई फैन हैं, लेकिन इस बॉलीवुड में ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसकी आप फैन हैं और उसके साथ काम करने की इच्छा रखती हों?

● बॉलीवुड में मेरे ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ बच्चन जी है, जिनके साथ मैं हमेशा काम करने की इच्छा रखती हूं। हालांकि उनके साथ मैंने 'ब्लैक', 'कभी खुशी कभी गम' और 'बंटी और बबली' जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके बावजूद दिल चाहता है कि उनके साथ फिल्में करती ही रहूं। अमिताभ बच्चन के अलावा मैं ऋतिक रोशन की भी बड़ी फैन हूं। मेरी नजर में वह सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और हैडसम हीरो है। ऋतिक टैलेंट भी बहुत हैं।

सवाल : अपने करिअर के इन 23 सालों में आप फिल्मजगत में क्या बदलाव देखती हैं...

● बदलाव तो बहुत आया है। आज फिल्म निर्माण में कई सारी सुविधाएं हैं जिसके बाद अभिनय करना, और आसान हो गया है। हमारे समय में काफी मुश्किलें थी। इतनी सारी सुविधाएं नहीं था। वैसे आज के कलाकार पहले के अभिनेता-अभिनेत्रियों के मुकाबले ज्यादा चुस्त और तेज तर्रार हैं। वे हर तरह की प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं जबकि पहले के हीरो और हीरोइन अपनी इमेज को लेकर काफी सोचते थे। उन्हें अपनी इमेज और परिवार वालों का काफी डर रहता था। आज के सारे कलाकार प्रोफेशनल होने के साथ अपने काम को लेकर बहुत गंभीर हैं। उनके लिए काम सिर्फ काम है और कुछ नहीं, जिसे वो पूरी तरह डूब कर करते हैं।

खबर कोना

सिनेमा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता : दीपिका

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का मानना है कि सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है और समाज पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। जब बॉलीवुड फिल्में और गाने महिलाओं का पीछा करने और उनकी सहमति को नजरअंदाज करने को सामान्य बात के रूप में चित्रित करने के लिए लोगों की आलोचना के दायरे में आ रही हैं, ऐसे में दीपिका का कहना है कि सिनेमा लोगों की सोच को प्रभावित करता है। दीपिका ने अपनी अगली फिल्म 'छपाक' के ट्रेलर रिलीज के मौके पर कहा, 'जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बना रहे हो तो वह मनोरंजक नहीं होगी। 'पीकू' ने मनोरंजक ढंग से समाज को संदेश दिया था। ऐसी फिल्में अगर मनोरंजक ढंग से बनाई जाएं तो वह दर्शकों को खुद से जोड़े रखने में सफल साबित होती हैं।' 'छपाक' में दीपिका तेजाब-हमले की शिकार मालती का किरदार निभा रही हैं। मालती का किरदार तेजाब-हमले की शिकार और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। मेघना गुलजार, दीपिका पादुकोण और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सह निर्माण में बनी फिल्म 'छपाक' 10 जनवरी को दर्शकों के सामने आएगी।

मिताली राज की बायोपिक पर काम करेंगी तापसी

फिल्म 'सांड की आंख' में अपनी दमदार अदाकारी दिखा चुकी तापसी पन्नू ने अगली फिल्म के लिए कमर कस ली है। तापसी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिठू' में काम करने के लिए हां कर दी है। वह इसके लिए अगले महीने से खुद को तैयार करना शुरू करेंगी। एक मौके पर उन्होंने कहा, 'यह किरदार निभाना मुश्किल है। मैंने क्रिकेट देखा है लेकिन कभी खेला नहीं है। यह मेरे लिए एक चुनौती साबित होगी। मिताली पहले ही मुझसे कह चुकी है कि वह देखेंगी कि मैं कवर ड्राइव कैसे खेलती हूं। इसलिए अब मुझे कवर ड्राइव के सपने आ रहे हैं।' मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ी है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कप्तान के तौर पर भी वे काफी सफल रही हैं। फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया करेंगे।

फिल्मों की दूसरी पारी के लिए तैयार हैं सुष्मिता सेन

पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह अपने वीडियो और फोटो को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं वहीं खबर है कि सुष्मिता दस साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन ने दस साल के अंतराल के बाद फिल्मों में अपनी वापसी की बीते दिनों घोषणा की। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर यह खबर दी और अपनी वापसी को प्रशंसकों को सर्मिपत बताया। सुष्मिता ने अपनी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे प्रशंसकों के धैर्य और प्यार ने मुझे उनका प्रशंसक बना दिया है। उन्होंने पर्दे पर मेरी वापसी के लिए दस साल का लंबा इंतजार किया है। बेशक मैं उन्हीं के लिए लौट रही हूं।' सुष्मिता सेन को आखिरी बार 2015 में आई बंगाली फिल्म 'निर्बाक' में देखा गया था। फिलहाल उन्होंने अपनी अगली फिल्म के बारे में खुलासा नहीं किया है।

'जर्सी' की कहानी मेरे जीवन के करीब : शाहिद

शाहिद कपूर इन दिनों तेलुगु फिल्म 'जर्सी' की हिंदी रीमेक में काम कर रहे हैं। यह फिल्म एक ऐसे विफल क्रिकेटर की कहानी है जो दोबारा 30वें साल में मैदान में वापस आने का निर्णय लेता है क्योंकि उसके मन में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रहती है और उसका बेटा भी जर्सी की इच्छा रखता है। शाहिद को 'जर्सी' की कहानी अपनी लगती है। उन्होंने कहा कि जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तो वह किसी और काम में हाथ आजमाने की सोच रहे थे। एक समारोह के दौरान अभिनेता कहा, 'मैं इस कहानी से काफी जुड़ा हुआ हूं। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं कुछ और करूं क्योंकि मेरी कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो रही थी। ऐसा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है जब ऐसा लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?' शाहिद की फिल्म 'कबीर सिंह ' ने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।

प्रचार

अभिनेत्री करीना कपूर मुंबई में 'वाट वीमेन वांट सीजन 2' टॉक शो के प्रचार कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

छाई कथक और ओड़िशी की छटा

शशिप्रभा तिवारी

शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में गुरु के साथ शिष्य की प्रस्तुति की परंपरा है। इसके जरिए एक तरफ शिष्य मंच प्रस्तुति की बारीकियों से परिचित होता है, तो दूसरी तरफ उसमें आत्मविश्वास आता है। इसी परंपरा का निर्वाह कथक नृत्यांगना विधा लाल और ओड़िशी नृत्यांगना किरण सहगल बखूबी कर रही हैं। पिछले दिनों नृत्य समारोह में कथक नृत्यांगना वर्षा दासगुप्ता और ओडिशी नृत्यांगना मध्यमा के नृत्य को देखकर, कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ।

अलायंस फ्रांसेस के सभागार में समारोह आयोजित था। इसमें वर्षा दासगुप्ता ने अपने नृत्य का आरंभ शिव स्तुति से किया। शिव स्तुति 'महादेव शंकर जटाजूट नीलकंठ' में वर्षा ने शिव के रूप का निरूपण हस्तकों और भंगिमाओं से किया। नृत्य के क्रम में कवित्त 'पंचबदन त्रिलोचन भष्मांग पार्वतीपति शिव हर-हर' भाव का चित्रण सुंदर था। वहीं नृत्य में 'धा कित धा' और तीन धा से युक्त तिहाइयों का प्रयोग संतुलित था।

नृत्य के अगले अंश में वर्षा ने तीन ताल में शुद्ध नृत्य पेश किया। उन्होंने विलंबित लय में थाट, उठान, चक्क्रदार तिहाई, परण पेश की। वहीं, उन्होंने परण 'धा किट धा गिन धा धा' में सोलह चक्कर का प्रयोग किया। एक अन्य तिहाई में 'नाधिंना' का अंदाज निराला था। उन्होंन द्रुत लय में तिहाइयों और परण आमद पेश किया। अपने नृत्य में कथक नृत्यांगना वर्षा दासगुप्ता ने अभिनय को भी शामिल किया। अभिनय अंश में उन्होंने 'राधाकान्हो' नृत्य रचना को पेश किया। यह रचना राग मालकौंस और रूपक ताल में पिरोई गई थी। इसकी नृत्यरचना कथक नृत्यांगना विधा लाल व गुरु गीताजंलि लाल ने की थी। 'अधरांग राधा कन्हो' और कथक नर्तक अभिमन्यु लाल की रचना को आधार बनाकर, नृत्य पेश किया गया। वर्षा ने राधा और कृष्ण के भावों को मनोरंजक तरीके से पेश किया। नृत्य में घूंघट, गागर, बांसुरी के गीतों का प्रयोग मनोरम था। संचारी भाव की प्रस्तुति में परिपक्वता दिखी।

दरअसल, वर्षा के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। उनकी गुरु विधा लाल अपने करियर के उठान पर हैं। यह अच्छा है कि वर्षा अपनी गुरु के सानिध्य में हैं और उनके साथ भी लगातार काम कर रही हैं। दूसरी ओर उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें अपने गुरु का सहयोग मिल रहा है जो एक बड़ी बात है।

अलाएंस फ्रांसेस में ही ओडिशी नृत्यांगना किरण सहगल की शिष्या मध्यमा ने भी ओड़िशी नृत्य पेश किया। मध्यमा ने मंगलाचरण से नृत्य आरंभ किया। रचना 'कदाचित कालिंदी तीरे' में मध्यमा ने कृष्ण की वंदना की। दूसरी पेशकश पल्लवी थी। यह राग हंसध्वनि और दस मात्रा के झंपा ताल में निबद्ध थी। इसकी परिकल्पना गुरु किरण सहगल ने की थी। विप्रलब्ध नायिका के भावों को अष्टपदी में साकार किया गया। इसके लिए जयदेव की अष्टपदी 'रासे हरि विहित विलासम' का चयन किया गया। यह राग बैरागी और जती ताल में निबद्ध था। उन्होंने अपने नृत्य का समापन गुरू मायाधर राउत की नृत्य रचना किया। यह रचना 'जागो महेश्वर' अनूठी पेशकश थी। यह राग तैलंग में निबद्ध थी। मध्यमा प्रतिभावान नृत्यांगना है, इसकी झलक उनकी प्रस्तुति में दिखी।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी (16 सितंबर,1916-11 दिसंबर, 2004)

आखिरी जन्मदिन का अनोखा तोहफा

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

भारत रत्न कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। कड़ी मेहनत, अथक समर्पण, बिना किसी चाह के जो पाया उसे कई गुना कर समाज को वापस लौटाने का जुनून ही प्रतिभाओं को बेजोड़ रत्न बनाता है। कुंजम्मा यानी मशहूर गायिका मदुराई षण्मुखवादिवू सुब्बुलक्ष्मी का हुनर भी बेजोड़ था। कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में सुब्बुलक्ष्मी का अपना स्थान है। वे 65 सालों के भारत रत्न के इतिहास के 48 भारत रत्नों में गिनी चुनी पांच महिलाओं में से एक थीं। दो दिन पहले, बुधवार को, उनकी 15वीं पुण्यतिथि थी।

वाकया 1947 की उतरती बरसात का है। देश को आजादी मिले एकाध महीना हुआ था। विभाजन के बाद फैले कौमी दंगों से देश गुजर रहा था। हिंसा उफान पर थी। इस मारकाट के बीच सितंबर में ऑल इंडिया रेडियो के मद्रास स्टेशन पर दिल्ली से एक संदेश आया। क्या इस साल दो अक्तूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की मशहूर गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी (कुंजम्मा) कुछ भजन गा सकती हैं? तब सुब्बुलक्ष्मी तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका थीं। पूरा दक्षिण उनका दीवाना था। उनके कार्यक्रमों की टिकटें मिलना मुश्किल हो जाता था। सुब्बुलक्ष्मी ने पारिवारिक कारणों से असमर्थता जताई। बात आई गई हो गई।

एक अक्तूबर, 1947 की सुबह मद्रास स्टेशन में फिर संदेश आया। बापू चाहते हैं कि सुब्बुलक्ष्मी उनके जन्मदिन पर मीराबाई का मशहूर भजन, 'हरि तुम हरो जन की पीर' गाएं। तमिलभाषी सुब्बुलक्ष्मी ने संदेश भिजवाया,'यह भजन मैंने कभी गाया नहीं, न इसकी धुन बनाई है। बेहतर होगा कि दिल्ली में ही किसी गायिका से यह भजन गवा लिया जाए।' उसी शाम रेडियो स्टेशन पर गांधीवादी नेता सुचेता कृपलानी का संदेश आया,'बापू चाहते हैं कि जन्मदिन पर भजन कोई और नहीं सुब्बुलक्ष्मी ही गाएं।'

बापू के प्रति सम्मान के कारण सुब्बुलक्ष्मी इनकार न कर सकीं। शाम को रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में जाकर 'हरि तुम हरो...' की धुन बनाई। आधी रात के आसपास यह भजन रेकॉर्ड किया। सुबह भजन का टेप हवाई जहाज से दिल्ली भेजा। 2 अक्तूबर की शाम को बापू ने अपने 78वें जन्मदिन पर यह भजन सुना, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह उनके अंतिम जन्मदिन का तोहफा होगा। चार महीने भी नहीं बीते होंगे कि 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। शोक में डूबे पूरे देश में धीर-गंभीर आवाज में सुब्बुलक्ष्मी का 'हरि तुम हरो...' देश में गूंज रहा था।

कुंजम्मा के गले में कोयल विराजती थी। देश-विदेश में वह अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुकी थीं। गांधीजी ने पहली बार उन्हें 1941 में सुना था। सेवाग्राम में प्रार्थना के दौरान सुब्बुलक्ष्मी ने कुछेक भजन गाए थे, जिसके बाद गांधी उनके मुरीद बन गए थे। सुब्बुलक्ष्मी ने कस्तूरबा मेमोरियल में फंड जुटाने के लिए कुछ कार्यक्रम भी किए। बापू ने इसके लिए उनकी तारीफ भी की। फंड जुटाने का काम कुंजम्मा ने कमला नेहरु अस्पताल के लिए भी किया। तिरुपति तिरुमला बोर्ड की चलाई जा रही वेद पाठशाला के लिए भी उन्होंने मुफ्त में अपने कार्यक्रम किए। प्राचीन शुद्ध तमिल संगीत को संभालने के काम में लगी संस्था तमिल इसाई संगम के लिए तो कुंजम्मा ने लगातार 13 सालों तक मुफ्त गायन किया और संस्था को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया। यह वह संस्था है जहां देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद का बनाया गाना गाकर सुनाया था। इसलिए कि वह चाहते थे कि देश के स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत को शामिल करने को लेकर देश में जागरुकता फैले, जिससे जीवन में शांति और सुकून आए।

कुंजम्मा को 1998 में भारत रत्न मिला। भारत में संगीत क्षेत्र की किसी प्रतिभा को पहली बार यह सम्मान मिला था। यह सम्मान कुंजम्मा से ज्यादा उस भारतीय संगीत को मिला था, जिसकी मधुरता और विविधता की आज भी दुनिया कायल है।

लोकसभा व विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण 10 साल बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

संसद ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाकर 2030 तक करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 को उच्च सदन में मौजूद सभी 163 सदस्यों के मतों से मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गए आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो और 13 विधानसभाओं में एक-एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी सरकार एससी एवं एसटी वर्ग को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार इन वर्गों में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाने के पक्ष में भी बिल्कुल नहीं है। सरकार ने एटार्नी जनरल के माध्यम से कहा है कि क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो मामले विचाराधीन हैं, उन्हें किसी बड़ी पीठ में भेजा जाए।

इससे पूर्व सदन में कानून मंत्री की किसी टिप्पणी से अप्रसन्न होकर कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। किंतु बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा अपील किए जाने के बाद कांग्रेस सदस्य वापस सदन में आ गए। नायडू ने ध्यान दिलाया कि चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें सदन के पचास फीसद सदस्यों की मौजूदगी और मौजूद सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से इसको पारित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर यह महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया तो देश में इसका गलत संकेत जाएगा।

विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज ही पिछड़ा है, ऐसे में इसे दो भाग में बांटने की जरूरत नहीं है और क्रीमीलेयर की एससी/एसटी समाज में जरूरत नहीं है।

एंग्लो इंडियन समुदाय को विधेयक के दायरे से बाहर रखने के बारे में प्रसाद ने कहा कि वह सेना एवं शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एंग्लो इंडियन समुदाय के योगदान की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद एवं समाज को ऐसे समुदाय के लोगों को मनोनीत करने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की आबादी 296 है और इस संख्या पर शंका करना ठीक नहीं है।

विधि मंत्री ने कहा कि जब अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या 20 करोड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की संख्या 10.45 करोड़ को सही माना जाता है, तब एंग्लो इंडियन वर्ग के लोगों की संख्या पर शंका किया जाना ठीक नहीं है । प्रसाद ने कहा कि एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में विचार करना बंद नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सदन में आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है जो जनवरी, 2020 में समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह आरक्षण कभी भी नहीं हटाया जाएगा ।

पूर्वोत्तर में हिंसा पर लोकसभा में हंगामा, बहिर्गमन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

लोकसभा में गुरुवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को लेकर कांग्रेस व सत्तारूढ़ दल के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई। कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा में दावा किया नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा भड़क गई है।

दूसरी ओर सरकार ने पूर्वी राज्यों में हो रही हिंसा के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में सीएबी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा फैल रही है। वहां सेना तैनात की गई है।

उत्तर पूर्व के राज्यों में इंटरनेट बंद है और हालात कश्मीर जैसे होते दिख रहे हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में इन्हीं लोगों (सरकार और भाजपा) के चलते हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। वैसे ही स्थिति पूर्वोत्तर में बनती जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि दोनों ही रणनीतिक महत्त्व वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने इस संबंध में बांग्लादेश के विदेश मंत्री के बयान का भी उल्लेख किया।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारा देश और यह संसद हमारे संविधान से चलते हैं। कोई दूसरा देश हमें निर्देशित नहीं कर सकता।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि असम समेत पूर्वोत्तर में हिंसा कांग्रेस भड़का रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। असम के भाजपा सांसद भी चौधरी की बात का विरोध करते दिखे।

जवाब में कांग्रेस सांसदों ने भी अपनी आवाज बुलंद की और इसके बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी शून्यकाल में कहा कि पूर्वोत्तर, खासतौर पर असम और त्रिपुरा जल रहे हैं। इस पर गृहमंत्री को बयान देना चाहिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी सदन से वाकआउट किया।

इंटरनेट बंद है, असम के लोग कैसे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का संदेश : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आश्वासन को लेकर कहा है कि वहां के लोग प्रधानमंत्री के संदेश नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है। पार्टी ने यह दावा भी दोहराया कि यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है और इसे किसी ने किसी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम के लोगों को आश्वासन किया कि उन्हें नागरिकता (संशोधन) विधेयक के संसद में पारित होने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई उनके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि असम के हमारे भाई और बहन मोदी जी का संदेश नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके लिए इंटरनेट बंद है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा के यह पूरी तरह असंवैधानिक है और यह सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इसे कौन चुनौती देगा।

370 को वृहद पीठ को भेजने पर हो सकता है विचार

पेज 1 का बाकी

भी शामिल हैं। नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल, जेएनयू की छात्र नेता रह चुकी शेहला राशिद और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत लोकतांत्रिक शक्तियां राज्य के पास थी जबकि कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास थीं।

बुधवार को पीठ द्वारा किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य ही फैसला कर सकता है कि राज्य की संविधान सभा का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके पास भविष्य में संवैधानिक शक्तियां होंगी।' उन्होंने कहा कि मौजूदा दृष्टांत में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए यह फैसला लिया कि अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान सभा की संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा- राष्ट्रपति के आदेश में अनुच्छेद 367 (4) में बदलाव कर।

असम में प्रदर्शन उग्र, सुरक्षाबलों की गोलीबारी में दो लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

संशोधन विधेयक पर संदेह निराधार नहीं है, विभाजन पैदा करने की प्रबल संभावना है।

डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बस अड्डा फूंक दिया और सोनितपुर में हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता के आवास पर हमला किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डिब्रूगढ़, साद्या और तेजपुर के कार्यालयों पर हमले हुए हैं। तेजपुर में भाजपा कार्यालय पर भी हमले हुए। भाजपा के साथ सरकार में शामिल असम गण परिषद के कई दफ्तरों को फूंक दिया गया है। हंगामा बढ़ने के मद्देनजर असम व पूर्वोत्तर जाने वाली ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध है। गुवाहाटी तक की उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

हालात संभालने में विफल रहने पर गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त को हटा दिया गया है और कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल दो व्यक्तियों की गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने की पुष्टि शाम को की गई। शाम साढ़े सात बजे गुवाहाटी के शंकर पथ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जिसमें एक युवक मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए। प्रशासन ने इस युवक की शिनाख्त नहीं जारी की है। इससे पहले गुवाहाटी के उलुबाड़ी के लाचित नगर में सीआरपीएफ जवानों की गोलीबारी में गुरुवार की सुबह कई लोग घायल हो गए। घायलों में से एक ने बाद में मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। दीपांजन दास नामक इस युवक के पेट में गोली लगी थी। इसके अलावा गुवाहाटी के लालुंग गांव इलाके में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 11 प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। गुवाहाटी एक छावनी में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहां प्रत्येक नुक्कड़ और चौराहे पर सेना, अर्द्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं।

पुलिस को गुवाहाटी-शिलांग रोड सहित अन्य इलाकों में भी गोलियां चलानी पड़ी। ये क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और इमारतों में तोड़फोड़ करने के साथ ही सड़कों पर टायर जलाए। प्रदर्शकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़पें जारी रहीं। छात्र संगठन आसू, एनइएसओ और किसान संगठन केएमएसएस ने गुवाहाटी के लताशील मैदान में लोगों को जुटने का आह्वान किया था। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिबंध के बावजूद इस रैली में फिल्म और संगीत क्षेत्र की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जुबिन गर्ग भी सभा में शामिल हुए। आसू के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने इस सभा में कहा, 'यह विधेयक असम के लोगों के साथ धोखा है।' आसू और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनइएसओ) के नेताओं ने कहा कि वह हर साल 12 दिसंबर को 'काला दिवस' के रूप में मनाएंगे। पुलिस ने बताया कि उन्हें रंगिया शहर में गोलियां चलानी पड़ीं। जोरहाट जिले में रात में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है।

असम के राज्य के विभिन्न इलाकों में सेना की पांच टुकड़ियां तैनात हैं और वे गुवाहाटी, तिनसुकिया, जोरहाट और डिब्रूगढ़ में फ्लैग मार्च कर रही हैं। असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है।

त्रिपुरा, मेघायल और मणिपुर में भी एसएमएस सेवाएं और इंटनेट पर रोक लगा दी है। प्रशासन का तर्क है कि सोशल मीडिया का 'दुरुपयोग' रोकने और कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) संजय कृष्णा ने बताया कि लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम और त्रिपुरा में हो रहे हिसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए रेलवे ने असम और त्रिपुरा आने-जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों को स्थगित कर दिया और लंबी दूरी वाली ट्रेनों को गुवाहाटी में ही रोका जा रहा है। रेलवे के प्रवक्ता सुभानन चंदा ने बताया कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला बुधवार रात में लिया गया, जिसके बाद कई यात्री कामाख्या और गुवाहाटी में फंस गए।

आरपीएफ के प्रमुख अरुण कुमार ने बताया कि डिब्रूगढ़ के चबुआ में एक रेलवे स्टेशन में बुधवार की देर रात और तिनसुकिया में पानिटोला रेलवे स्टेशन में आग लगाए जाने के बाद रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) की 12 कंपनियों को क्षेत्र में भेजा गया है। कोलकाता से गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर को जाने वाली कई उड़ानों को रद्द किया गया है या उनके समय में बदलाव किया गया है। प्रदर्शनों के जारी रहने के बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है, जो हिंसा भड़का सकती हैं।

हरियाणा में मूंगफली बेच रहे पाक के पूर्व सांसद को भारतीय नागरिक बनने की आस

पेज 1 का बाकी

राजनीति में आई थीं तो उन्होंने अपने क्षेत्र में उनके स्वागत में भाषण दिया था। इससे खुश होकर भुट्टो ने आरक्षित सीट से उसे सांसद बना दिया। वह बताते हैं कि सांसद बनने के बाद उनके परिवार की मुसीबत अधिक बढ़ गई।

इससे खफा मुसलिम समाज के लोगों ने 15 दिन बाद ही उनके परिवार की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उन्हें पद छोड़ने की धमकियां भी दीं।

निर्भया मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 17 को

पेज 1 का बाकी

का अनुरोध किया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ दोषी अक्षय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। सिंह के वकील ने पुनर्विचार याचिका में मौत की सजा पर ऐसे वक्त में सवाल उठाया है, जब बढ़ते प्रदूषण के चलते जीवनकाल छोटा हो रहा है।

अयोध्या पर संविधान पीठ ने सभी अठारह पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

पेज 1 का बाकी

पहली पुनर्विचार याचिका मूल वादी एम सिद्दिक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की थी। इसके बाद छह दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर कीं। इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को आल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त था।

मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने 14 बिंदुओं के आधार पर इस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था और कहा था कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देकर ही इस मामले में पूर्ण न्याय हो सकता है। उन्होंने नौ नवंबर के फैसले के उस अंश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था जिसमें केंद्र को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक न्यास गठित करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद नौ दिसंबर को दो पुनर्विचार याचिकाएं और दायर की गई थीं। इनमें से एक याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की थी। जबकि दूसरी याचिका 40 से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से दायर की। संयुक्त याचिका दायर करने वालों में इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक, मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर और जॉन दयाल शामिल हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करके मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को आबंटित करने के निर्देश पर सवाल उठाए थे। महासभा ने फैसले से उस अंश को हटाने का अनुरोध किया था जिसमें विवादित ढांचे को मस्जिद घोषित किया गया था।

बताते चलें कि 14 मार्च 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ मूल मुकदमे के पक्षकारों को ही मामले में अपनी दलीलें पेश करने की इजाजत होगी। पीठ ने इस मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

धरती व इनसानी नस्ल को बचाने की मासूम अपील

पेज 1 का बाकी

स्पेन के अखबारों में तुरंत सुर्खियों में आ गईं। यहां के अखबारों ने उसे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्द्ध की 'ग्रेटा' (थुनबर्ग) बताया। कंगुजम को इतनी समझदारी से बोलते हुए देख कर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उसकी जितनी उम्र की बच्ची इस तरह की बातें कर सकती हैं। उसके पिता केके सिंह (28) उसके साथ स्पेन आए हैं।

सिंह ने बताया कि जब कंगुजम को 'कॉप 25' कार्यक्रम में हिस्सा लेने और उसे संबोधित करने का न्योता संयुक्त राष्ट्र से मिला, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी स्पेन की यात्रा के लिए पैसे कहां से लाएंगे। सिंह ने कहा कि परिवार ने इसके लिए कई मंत्रियों को ईमेल कर यात्रा खर्च उठाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि उसकी यात्रा के लिए 'क्राउडफंडिंग' (लोगों से चंदे के जरिए धन एकत्र करना) करने की कोशिश के बाद भुवनेश्वर से एक व्यक्ति ने मैड्रिड के लिए उनकी टिकट बनवा दी। कंगुजम ने कहा, 'मेरी मां ने अपनी सोने की चेन बेच दी और आखिरकार मेरे लिए होटल भी बुक हो गया।' इस बीच, मैड्रिड के लिए भारत से रवाना होने से एक दिन पहले 30 नवंबर को उन्हें स्पेन की सरकार से ईमेल आया कि सरकार उनके 13 दिन की यात्रा का खर्च वहन करेगी।

कई मुश्किलों को पार कर आखिरकार मैड्रिड पहुंची कंगुजम दुनिया को अपनी बात सुनाने के लिए और अधिक कृतसंकल्प हो गईं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 'कॉप 25' दो दिसंबर से 13 दिसंबर तक स्पेन की राजधानी में आयोजित हो रहा है। कंगुजम ने कहा, 'मैं यहां दुनिया के नेताओं को यह बताने के लिए आई हूं कि यह समय कार्रवाई करने का है क्योंकि यह वास्तविक जलवायु संकट है।' उसने इस बात का जिक्र किया कि उसके जैसे नन्हें जलवायु कार्यकर्ता व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं न कि जलवायु परिवर्तन में। वह महात्मा गांधी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से भी प्रेरित है।

कंगुजम को फरवरी में अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वह अपनी अधिकतर कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकी थीं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है, हालांकि उसने शिक्षा जारी रखने के अपने सपने को छोड़ा नहीं है। सिंह के अनुसार कंगुजम दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं।

कंगुजम के पिता सिंह ने बताया कि 2018 में कंगुजम जब महज छह साल की थी, तब उन्हें मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए तीसरे एशिया मंत्रीस्तरीय सम्मेलन, 2018 (एएमसीडीआरआर 2018) में शामिल होने का मौका मिला।

कंगुजम ने कार्यक्रम से अलग बातचीत में कहा, 'यह मेरे लिए जीवन बदलने वाला कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मैं दुनिया के कई नेताओं और विश्व के विभिन्न देशों से आए हजारों प्रतिनिधियों से मिली। कई लोगों ने आपदा से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए। जब मैं आपदा के खतरे के चलते बच्चों को अपने माता-पिता को खोते और लोगों को बेघर होते देखती हूं तो मैं रो पड़ती हूं। आपदा आने पर जब लोग अपनी मदद नहीं कर पाते तो यह देखकर मेरा दिल दुखी हो जाता है। कई मूल कारण जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।' मंगोलिया से लौटने के तुरंत बाद कंगुजम ने धरती तथा अपने जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए दुनिया के नेताओं से अपील करने के वास्ते अपने पिता की मदद से 'द चाइल्ड मूवमेंट' नामक संगठन की शुरुआत की।

यहां पिछले हफ्ते स्वीडिश किशोरी एवं जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के साथ देखे जाने पर कंगुजम को स्पेनीश अखबार एल पेस ने दक्षिणी गोलार्द्ध का ग्रेटा बताया है। कंगुजम को एक पोस्टर लिए देखा गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक कानून पारित करने की मांग की गई है। उसने कहा, 'ग्रेटा थुनबर्ग ने फरवरी 2019 में मुझे काफी प्रभावित किया।

शिवसेना को गृह, कांग्रेस को राजस्व, राकांपा को वित्त

पेज 1 का बाकी

भाषा और संस्कृति मामलों एवं बंदरगाहों का प्रभार दिया गया है।

राकांपा के मंत्री जयंत पाटिल को वित्त एवं योजना, आवास, जन स्वास्थ्य, सहयोग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है। राकांपा के ही मंत्री छगन भुजबल को सिंचाई, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, आबकारी, कौशल विकास, खाद्य एवं मादक पदार्थ प्रशासन विभाग दिए गए हैं।

कांग्रेस के मंत्री बालासाहेब थोराट को राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग सौंपा गया है। कांग्रेस के ही नितिन राउत को पीडब्लूडी, जनजातीय कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वस्त्र, राहत एवं पुनर्वास, ओबीसी, वीजेएनटी, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपे गए हैं। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ठाकरे के पास वे सभी विभाग रहेंगे, जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार 21 दिसंबर को समाप्त हो रहे विधानसभा सत्र के बाद होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे हैदराबाद मुठभेड़ की जांच

पेज 1 का बाकी

पीठ ने इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस घटना के संबंध में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पीठ ने मुठभेड़ के इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट तलब करने के साथ ही कहा कि उसके अगले आदेश तक जांच आयोग के समक्ष लंबित इस मामले में कोई अन्य प्राधिकार इसकी जांच नहीं करेगा।

अदालत ने तीन सदस्यीय जांच आयोग को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की छह महीने की समय सीमा आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू होने के पहले दिन से शुरू होगी और इसे छह दिसंबर की घटना की जांच करने के लिए जांच आयोग को कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। पीठ ने कहा कि इस घटना के बारे में परस्पर विरोधी तथ्यों को देखते हुए सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है।

पीठ ने तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल इस घटना की जांच कर रहा है और वह अपनी रिपोर्ट देगा। पीठ को यह भी बताया गया कि विशेष जांच दल इन चार लोगों की मौत के कारणों की भी जांच कर रहा है। ये चारों पशु चिकित्सक की हत्या और बलात्कार के आरोपी थे और उन्हें घटनास्थल पर ले जाने वाले पुलिस अधिकारियों की हत्या के प्रयास के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विशेष जांच दल की जांच के बाद मृत लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें सजा दी सकती है। पीठ ने कहा- हम नहीं समझ पा रहे कि यह कैसे प्रमाणित किया जाए कि ऐसे मुकदमे से इस घटना से संबंधित सच्चाई का कभी भी पता लग सकेगा जिसमें कहा जाता है कि पुलिस ने मुठभेड़ की और इसमें चारों आरोपी मारे गए। इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि छह दिसंबर की सुबह हैदराबाद में चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने की आवश्यकता है।

इससे पहले सवेरे सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि मुठभेड़ में चार आरोपियों के मारे जाने की घटना की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। तेलंगाना मुठभेड़ की घटना को लेकर अदालत में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

पहली याचिका वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका एक अन्य वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। इनमें संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया गया है। मणि और यादव की याचिका में दावा किया गया है कि कथित मुठभेड़ फर्जी थी और इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। इसी तरह मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत की निगरानी में इस घटना की विशेष जांच दल से जांच कराने का अनुरोध किया था। तेलंगाना पुलिस इन आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी। जहां सवेरे साढ़े छह बजे हुई मुठभेड़ में इन चारों आरोपियों को गोली मार दी गई। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने उनके हथियार छीनने की कोशिश की और उन पर हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी मारे गए।

बांग्लादेश के विदेश व गृह मंत्री का भारत दौरा रद्द

पेज 1 का बाकी

के मुताबिक, मोमेन को गुरुवार शाम पांच बजकर 20 मिनट पर यहां पहुंचना था। दूसरी ओर बांग्लादेश के गृह मंत्री ने मेघालय का अपना तीन दिवसीय दौरा रद्द कर दिया। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) विधेयक के पारित होने से पैदा हुए हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द की है। यात्रा रद्द करने के पहले विधेयक को लेकर मोमेन ने टिप्पणी की थी कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जहां बांग्लादेश जैसा अच्छा सांप्रदायिक सौहार्द है। अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में आकर कुछ महीने गुजारेंगे, तो उन्हें हमारे देश में शानदार सांप्रदायिक सौहार्द दिखेगा।

उनकी इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा, 'बांग्लादेश के बयान से लगता है कि विधेयक को लेकर कुछ भ्रम है। दरअसल, हमने यह बताया है कि धार्मिक प्रताड़ना मौजूदा सरकार के भीतर नहीं हो रही है। बांग्लादेश से आए उन प्रवासियों ने भारत में शरण मांगी है जिन्हें सैन्य शासन में और पूर्व की सरकारों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। हम यह भी मानते हैं और हमें पता है कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार ने अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यकों की चिंताओं को देखते हुए कई कदम उठाए हैं।' उधर, ढाका में जारी एक बयान में मोमेन ने कहा कि उन्हें अपनी व्यस्तताओं के चलते भारत की यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा, 'मुझे भारत का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि मुझे 'बुद्धिजीवी दिवस' और 'विजय दिवस' में भाग लेना है। इसके अलावा हमारे राज्य मंत्री मैड्रिड में है और विदेश सचिव हेग में है।' बांग्लादेश सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में व्यस्तताओं के कारण विदेश मंत्री को भारत दौरा रद्द करना पड़ा।

अक्तूबर माह में औद्योगिक उत्पादन घटा, नवंबर में खुदरा महंगाई बढ़ी

पेज 1 का बाकी

के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के रूप में मापा जाने वाले औद्योगिक उत्पादन एक साल पहले इसी माह में 8.4 फीसद की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र में नरमी दर्ज की गई। इसमें अक्तूबर में 2.1 फीसद की गिरावट आई जबकि एक साल पहले इसी महीने में 8.2 फीसद की वृद्धि हुई थी।

www.readwhere.com

श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन छठे दिन भी बंद

श्रीनगर, 12 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर घाटी में दृश्यता की कमी और घने कोहरे की वजह से लगातार छठे दिन भी श्रीनगर हवाईअड्डे पर विमानों का परिचालन निलंबित रहा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया, 'गुरुवार को श्रीनगर हवाईअड्डे से उड़ान भरने वाली और यहां आने वाली सभी उड़ानें लगातार छठे दिन निलंबित रही।' उन्होंने कहा कि हवाईअड्डे पर दृश्यता की कमी और खराब मौसम उड़ान भरने के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

गोवा तट पर फंसे जहाज को बचाया गया

पणजी, 12 दिसंबर (भाषा)।

गोवा में राज भवन तट पर फंसे जहाज को गुरुवार को मुरगांव पत्तन न्यास (एमपीटी) तक लाया गया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह जहाज तेल ले जा रहा था।

इससे पहले नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को जहाज 'नू-शी नलिनी' को बचाने और उसे खाली करने का ठेका दिया गया था। मानवरहित यह जहाज 24 अक्तूबर को रवाना हुआ था।

BHARAT NIDHI LIMITED
Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982,
E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website :- www.bharatnidhi.com
CIN No. U51396DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholders of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share Certificates and application has been made to the Company by them to issue duplicate share certificates:

Name of the Shareholder	Father/ Husband's Name	No. of Shares held	Folio No.
Maiti Mukul Zaveri	Devcisand Hirachand Zaveri	15	20712
Ashwin Kumar Kothari	Pannalal Chimanlal Kothari	100	14177

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Place: New Delhi
Date: December 12, 2019

For Bharat Nidhi Limited
Sd/-
Company Secretary

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी
लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्स: (011) 23417236

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 27-12-2019 को सांय 4.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसुली हेतु "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" उसको बेचने के अधिकार के साथ इमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट www.bankeauctions.com में प्रदान किये गये ई-नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदारर्स और गारंटर्स का नाम एवं पता मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय
1. मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि.(कर्जदार), 2883/17, रिजन्ट टॉवर, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005 2. श्री सुरेश वर्मा (निदेशक / गारंटर) पुत्र श्री राम कुमार वर्मा ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 3. श्री अशोक वर्मा (निदेशक / गारंटर), पुत्र स्वं श्री प्रकाश चंद वर्मा, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 4. श्रीमती अमिता वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री सुरेश वर्मा, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 5. श्री विजय कुमार (बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री मनी राम, ए-6, डेरावाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 6. श्रीमती पूजा वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री प्रदीप कुमार, डब्ल्यूजेड-1945बी, रानी बाग, दिल्ली-110034 7. मैसर्स अध्टविनायक ज्वैलर्स (प्रा.) लि. (कॉरपोरेट गारंटर), 177-178, मेन मार्किट, काठमंडी, ओल्ड बस स्टैण्ड के पास, चरखी दादरी, भिवानी, हरियाणा-127021 8. मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. (कॉरपोरेट गरंटर) 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, दिल्ली-110005	1. व्यवसायिक दुकान नं. 7, प्रथम तल, गोल्ड साउक, मॉल, ब्लॉक-सी, सुशांत लोक-I, गुडगॉव, हरियाणा में स्थित हैं, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,241 वर्ग फीट	19-12-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.35 करोड़ / ₹ 13.50 लाख / ₹ 1.00 लाख	31-12-2019 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपरांह 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)
	2. दुकान नं 6 और 7, वैडिंग साउक माल, पीतमपुरा, दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,152 वर्ग फीट (577+575)	20-12-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.19 करोड़ / ₹ 11.90 लाख / ₹ 1.00 लाख	
	3. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 8570, भूतल, प्लॉट नं. 6, ब्लॉक-54, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। यह सम्पत्ति मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1105 वर्ग मी. / निर्मित क्षेत्रफल 4753 वर्ग फीट	18-12-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 17.57 करोड़ / ₹ 1.76 करोड़ / ₹ 3.00 लाख	
	4. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3168-64, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 99, ब्लॉक-पी, गली नं. 32-33, बिडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित हैं, यह सम्पत्ति श्री अनिता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	18-12-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 2.00 करोड़ / ₹ 20.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	
	5. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3162-64, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. 99, ब्लॉक-पी, गली नं. 32-33, बिडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित हैं, यह सम्पत्ति सुश्री अनीता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	18-12-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.78 करोड़ / ₹ 17.80 लाख / ₹ 1.00 लाख	

बैंकों के नाम	सरफेसी अधिनियम 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सूचना में अंकित बकाया राशि (आईएनआर)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	04.08.2014	58,40,17,587/-
कार्पोरेशन बैंक	16.07.2014	25,23,30,122.66
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	01.07.2014	24,64,17,494/-
पंजाब नैशनल बैंक	25.08.2014	26,71,50,113.17 + दिनांक 01.08.2014 से ब्याज
केनरा बैंक	12.08.2014	15,53,39,906/-
द सारस्वत को-ओपरॉटिव बैंक लि.	08.08.2014	27,19,61,313.59
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	01.02.2015	29,81,86,803.72
लक्ष्मी विलास बैंक	09.05.2015	11,43,99,183.57
	कुल	218,98,02,523.71 साथ में लागू भविष्य का ब्याज और अन्य खर्चे

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण A/c No. 00071181000141, E-auction under SARFAESI- A/c M/S Diamond Hut India Pvt. Ltd., IFSC Code - ORBC0100007

नियम व शर्तें

1. ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 27.12.2019 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी सम्पत्तियां फ्री होल्ड सम्पत्तियां है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।
5. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलॉडिंग करने, बोली जमा करने, ई- बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गॉव, हरियाणा-122015, हैल्प लाईन न. 0124-4302020, 4302021, 4302022, 4302023, 7291981124 / 1125 / 1126 और ईमेल: delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री विनोद चौहान, मो. +91-9813887931 / 7291981129) और सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु श्री विजय बिहारी प्रसाद, 011-49191121, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एच एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्री किरणजीत कुमार, प्रबंधक, 011-49191134/ 35/36, ई-मेल: bm0007@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
6. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।
7. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
8. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण / रूपांतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
9. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियों जो कि ई-नीलामी में लगी है की निलामी असफल होने की स्थिती में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctions.com देखें)

दिनांक 13-12-2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

भारत सरकार वित्त मन्त्रालय
कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

विजया बैंक बनाम मैसर्स वेगा डायमण्ड प्रा.लि. एवं अन्य

ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 241/2019 दिनांक : 14.11.2019

"आदेश"

मेरे आदेश दिनांक 14.11.2019 के अनुसार विजया बैंक बनाम मैसर्स वेगा डायमण्ड प्रा.लि. एवं अन्य के मामले में अधोवर्णित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी बिक्री के माध्यम से की जायेगी। नीलामी बिक्री वेबसाइट "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 29.01.2020 को 03.00 बजे अपराह्न से 04.00 बजे अपराह्न के बीच (यदि आवश्यक हुआ तो बन्द होने के पूर्व अन्तिम 5 मिनटों में संविदा के मामले में स्वतः विस्तार उपबन्ध सहित)

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	निजी सं. 206, दूसरा तल, क्षेत्रफल सम्पत्ति का 13 फीट x 18 फीट, म्युनिसिपल सं. 2059 की सम्पत्ति, वार्ड सं. VI, ब्लॉक जी, गली नं. 39, गुरुद्वारा रोड, नाई वाला, करोल बाग, दिल्ली में स्थित।	रु. 56,91,600/- (रुपये छप्पन लाख इक्यानबे हजार छः सौ मात्र)। ज.ध.रा. रु. 5,69,160/- (रुपये पाँच लाख उनहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी/संविदा वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जायेगी।
2. इच्छुक संविदाकार को अग्रिम में सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी पंजीकृत करा लेनी चाहिए और ई-नीलामी में भाग लेने हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब निर्धारित माध्यम से अपेक्षित जमा धरोहर राशि अदा कर दी गयी हो।
3. ज.ध.रा. मुहरबन्द लिफाफे में वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से 27.01.2020 तक जमा की जानी है।
4. पैन कार्ड, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. तथा यदि वे स्वयं अपनी ओर से या अपने प्रतिनिधि की ओर से बोली लगा रहे हों तो घोषणा-पत्र। बाद वाले मामले में, उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं जिसमें चूक करने पर उनकी संविदा निरस्त कर दी जायेगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी के प्रतिनिधान/अटार्नी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसे जमा की रसीद/काउण्टर फाइल कथित सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा कथित तिथि तक जमा कर देनी है और हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करनी है।
5. सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मै. ई-प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07948135416/मो. : 6351896834 अथवा 8980690773, फैक्स: +91-7940016876, सम्पर्क व्यक्ति : श्री नितीश झा, ई-मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, सम्पर्क नं. 7982880393, ई-मेल आईडी support@auctiontiger.net, http://drt.auctiontiger.net से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरण के सम्पर्क करें : सम्पर्क श्री अमित तिवारी, सीएच बैंक के अधिकारी, मोबाइल नं. : 9175178968.
6. सम्भावित संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट http://drt.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है।
7. सम्पत्ति का विक्रय अरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।
8. संविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में बढ़ायेंगे।
9. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जायेगी।
10. सफल उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद विक्रय प्रक्रिया के 25% का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन अवकाश या रविवार है तो अगले कार्यालयी दिवस पर।
11. सफल उच्चतम बोलीदाता को अन्तिम संविदा राशि का शेष 75% सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन तक या इससे पूर्व जमा करना होगा। यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो उपर्युक्त पैरा में वर्णित के अनुसार निर्धारित माध्यम में 15वें दिन के पश्चात अगले बैंक कार्य दिवस पर जमा करना होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त क्रेता को वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास रु. 1,000/- तक 2% की दर से तथा कथित रु. 1,000/- से अधिक होने पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से पाउण्डेज शुल्क भी अदा करना होगा।
12. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में विक्रय के व्यय को डिफ्रे करने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो जमा धनराशि सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता क्रेता का सम्पत्ति अथवा जमा की राशि पर सभी प्रकार का दावा समाप्त हो जायेगा। बिक्री की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा तथा बाद में बिक्रीत राशि के मूल्य के बीच किसी कमी या अन्तर को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
13. वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. असफल संविदाकार/रों को अपनी ज.ध.रा. की वापसी हेतु आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाणपत्र सहित आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/आगामी तिथि पर वापस कर दिया जायेगा। मामले के दर्ज करने, विक्रय घोषणा की सेवा के शपथपत्र तथा आगे की कार्यवाही के लिए 15.01.2020 को सूचीबद्ध किया जाये।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, अतिरिक्त प्रभार

STATE BANK OF INDIA
एसएमई सेंटर, 65 नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) श्री श्री एन.वी. सत्यनारायण (साझेदार) तथा श्री सुरेश चन्द कौशिक (साझेदार) मैसर्स अंचल एन्टरप्राइजेज प्लॉट सं. 1595-1596, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद (हरियाणा)-121004 से सूचना में लिखित राशि रु. 6,50,401.00 (रुपये छः लाख पचास हजार चार सौ एक मात्र) तथा 01.09.2019 से ब्याज का कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 9 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 6,25,456.00 (रुपये छः लाख पच्चीस हजार चार सौ छप्पन मात्र) तथा 06.12.2019 से उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, सम्पत्ति का पूर्वी भाग श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द के नाम पर, ग्राम ऊँचा गाँव (आर्य नगर), तहसील बल्लभगढ़, एमसीएफ सं. बी-101/106, आर्य नगर में स्थित खसरा नं. 33/14/2 में प्लॉट सं. 63 एवं 64 का भाग निर्मित करने वाली 110 वर्ग गज माप की सम्पत्ति। सम्पत्ति की सीमा इस प्रकार है : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : गलियारा, पूर्व : खाली प्लॉट सं. बी-102, पश्चिम : मकान नं. बी-100

तिथि : 13.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद

STATE BANK OF INDIA
एसएमई सेंटर, 65 नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) श्री श्री एन.वी. सत्यनारायण (साझेदार) तथा श्री सुरेश चन्द कौशिक (साझेदार) मैसर्स अंचल एन्टरप्राइजेज प्लॉट सं. 1595-1596, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद (हरियाणा)-121004 से सूचना में लिखित राशि रु. 6,50,401.00 (रुपये छः लाख पचास हजार चार सौ एक मात्र) तथा 01.09.2019 से ब्याज का कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 9 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 6,25,456.00 (रुपये छः लाख पच्चीस हजार चार सौ छप्पन मात्र) तथा 06.12.2019 से उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, सम्पत्ति का पूर्वी भाग श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द के नाम पर, ग्राम ऊँचा गाँव (आर्य नगर), तहसील बल्लभगढ़, एमसीएफ सं. बी-101/106, आर्य नगर में स्थित खसरा नं. 33/14/2 में प्लॉट सं. 63 एवं 64 का भाग निर्मित करने वाली 110 वर्ग गज माप की सम्पत्ति। सम्पत्ति की सीमा इस प्रकार है : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : गलियारा, पूर्व : खाली प्लॉट सं. बी-102, पश्चिम : मकान नं. बी-100

तिथि : 13.12.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद

सार्वजनिक घोषणा

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 31(2) के अधीन

पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के दावेदारों के ध्यानार्थ

परिसमापक द्वारा प्राप्त दावों के प्रमाण के लिए दावेदारों की श्रेणीवार सूची दाखिल करना

क्रम सं.	दावेदारों की श्रेणी	दावा प्राप्ति		स्वीकार्य दावा	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
1.	वित्तीय लेनदार (सुरक्षित)	4	386985676	4	386985676
2.	वित्तीय लेनदार (असुरक्षित)	5	21318277	4	21193568
3.	कारीगर तथा कर्मचारी	8	9120294	6	1309080
4.	संचालित लेनदार	7	351594889	6	343790895
5.	अन्य दावेदार (सरकारी)	9	569474579	7	263373443
	कुल	33	1338493715	27	1016652663

सूचना दी जा रही है कि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बैंच कोर्ट-III के 23 सितंबर, 2019 के आदेश के अनुसार पेट्रोलयूब इंडिया लिमिटेड की चल रही परिसमापन कार्यवाही के अनुसार, अभिनियमितियों के साथ दावेदारों की सूची दाखिल करने की घोषणा की गई है माननीय अधिकरण 10.12.2019 पर। परिसमापक द्वारा 27 सितंबर, 2019 को फॉर्म बी में सार्वजनिक घोषणा के अनुसार स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त दावों के प्रमाण के आधार पर दाखिल किया गया था।

दावेदारों की विस्तृत सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होगी- http://petrolubeliquidation.com/

उपरोक्त किसी भी अन्य प्रश्न या विवरण के लिए, इस घोषणा की तारीख से 7 दिनों के भीतर, दावेदारों को नीचे बताए गए विवरण पर अधोहस्ताक्षरी के संपर्क में रहना चाहिए।

पता: C-402, कावेरी सेरेनिटी # 10 / 1-1, राघवेंद्र एक्सटेंशन, तुमकर रोड यशवंतपुर, बैंगलोर, कर्नाटक, 560022 / ईमेल आईडी: liquidatorpetrolube@gmail-com

दस्ता/-
अश्वनी कुमार गुप्ता
परिसमापक: पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के लिए
पंजीकृत सं. IBBI/IPA-001/IP-P00626/2017-18/11082
C-402, कावेरी सेरेनिटी # 10 / 1-1, राघवेंद्र एक्सटेंशन, तुमकर रोड यशवंतपुर, बैंगलोर, कर्नाटक, 560022

दिनांक: 13.12.2019
स्थान : बैंगलोर

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

परफेक्ट कलर डिजिटल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	परफेक्ट कलर डिजिटल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28.04.2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली, भारत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74993DL2003PTC120065
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	दुकान नं. 2, प्रेम नगर मार्केट, त्यागराज नगर, नई दिल्ली-110003
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	9 दिसम्बर, 2019 (आदेश 12.12.2019 को प्राप्त हुआ) आदेश-(आईबी)-1974 (एनडी) 2019 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ द्वारा निर्गत
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	09 जून, 2020 जो आदेश की तिथि से 180वाँ दिन है
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	शशि भूषण प्रसाद IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-19/12114
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : जी-4/9, प्रथम तल, निकट कृष्णा मन्दिर, मालवीय नगर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110017 ई-मेल: shashibpd@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पता : सूट सं. 116, प्रथम तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
एचडीएफसी बैंक लि. बनाम मै. अगरवाल एण्टरप्राईजेज

आर.सी. नं. 186/2013 **"आदेश"** **तिथिः 29.11.2019**

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 29.11.2019 के अनुसार 16.1.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी।
यह नीलामी वेबसाईटःhttps://drt.auctiontiger.net पर "आन लाइन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समयः 16.1.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरुरी हुआ 5 मिनट की अविध के विस्तार के साथ।)

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति अर्थात् सी-1, खसरा नं. 47/12 में, माप 320 वर्ग यार्ड्स (60x48 फीट) टेम्पल कॉलोनी, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-समयपुर, दिल्ली-110042
(ii) आरक्षित मूल्यः रु. 2,34,00,000/- (रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख मात्र)
(iii) धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी): रु. 23,40,000/- (रुपये तैईस लाख चालिस हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली "आर.सी. नं. 186/2013" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा अथवा अधोलिखित खाता-एचडीएफसी बैंक लि., खाता नं. 50200006492171, आईएफएससी कोडः HDFC0000240 के पक्ष में एनईएफटी आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी भुगतान के मूल प्रमाण पत्र के साथ पहचान के स्व-सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति तथा व्यक्तिगत मामले में यदि बोली स्वयं की जा रही हो, उनके प्रधान की ओर से उद्घोषणा अधिकतम 14.1.2020 के 4.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। बाद के मामले में बोलीदाता को उनका प्राधिकार जमा करना होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त ईएमडी वाले लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 186/2013' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** तथा **"जो भी वहाँ है आधार"** पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drtauctiontiger.net देखें।
6. संभावित बोलीदाता को मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, संपर्क नं. 9265562821, 079-61200511/594/598/568/587/538, सम्पर्क व्यक्ति श्री नितीश झा, सम्पर्क नं.-7982880393, ई-मेलः delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ईएमडी जमा करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है जो उपरोक्त ई-नीलामी में भाग लेने के लिये अनिवार्य है।
7. ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक बोलीदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, संपर्क नं. 9265562821, 079-61200511/594/598/568/587/538, सम्पर्क व्यक्ति श्री नितीश झा, सम्पर्क नं.-7982880393, ई-मेलः delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैद्य यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. संभावित बोलीदाता 8.1.2020 तथा 9.1.2020 को 10.30 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक साईट पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. जो इच्छुक बोलीदाता 14.1.2020 के 4 बजेअप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 16.1.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
11. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
12. असफल बोलीदाता रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच, बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के कार्यालय से ई-नीलामी बोली प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
13. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के 4.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आरसी नं. 186/2013" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे इस अधिकरण में जमा करना होगा।
14. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, के पक्ष में पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता नं. "आरसी.नं. 186/2013" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, के पक्ष शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्तिके किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
16. बिक्री उद्घोषणा क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन का मूल प्रमाण सुनवाई की अगली तिथि को दाखिल करें।
18. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

संपत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	दावे यदि कोई हो जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जिसमें इसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
सम्पत्ति सं. सी-1, खसरा नं. 47/12 में, माप 320 वर्ग यार्ड्स (60x48 फीट) टेम्पल कॉलोनी, मंदिर मोहल्ला, ग्राम-समयपुर, दिल्ली-110042	ज्ञात नहीं	कोई भार नहीं	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी के उद्देश्य से सर्विस (ट्रैक परिणामों क्वा स्पीड पोस्ट तथा कूरिअर सहित) तथा दस्ती, समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा व्यापक प्रचार के मूल प्रमाणों के साथ ई-नीलामी बिक्री सूचना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मामले को 21.12.2019 को सूचीबद्ध कराई जाए।

(अविनाश चन्द्रा)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

वसूली अधिकारी-II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 249/2018 **बिक्री उद्घोषणा** दिनांकित: 25.11.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स नीरज होजरी

1. मैसर्स नीरज होजरी, इसके प्रोपराइटर श्री नीरज के माध्यम से, 1198, मैन रानी बाग, नई दिल्ली -110034
2. (1) श्री नीरज, मैसर्स नीरज होजरी के प्रोपराइटर
   पुत्र श्री देश बंधु, डब्ल्यूजेड-723-ए ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली -34
3. सुश्री वीना रानी पत्नी श्री देश बंधु, डब्ल्यूजेड-723-ए ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली -34

चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र **ओए नं. 831/2016/डीआरटी-।।। दिनांकित 24.02.2018** के अनुसार **₹ 3,27,09,452.80/- (रूपए तीन करोड़ सत्ताईस लाख नौ हजार चार सौ बावन और पैसे अस्सी मात्र)** और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय ब्याज और लागत की राशि आपके पास बकाया है, जिसका आप भुगतान करने में विफल रहे हैं।

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणत्र के सापेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी के आदेश दिये है।

चूंकि **₹ 3,27,09,452.80/- (रूपए तीन करोड़ सत्ताईस लाख नौ हजार चार सौ बावन और पैसे अस्सी मात्र)** की राशि के साथ में आकस्मिक खर्च और उस पर साधारण ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ओए यानि 16.11.2016 को दाखिल करने की तारीख से, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, जब तक पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति आपके/सभी सीडी के प्रतिकूल नहीं होती है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **25.01.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच** (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा **यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" वेबसाइट द्वारा मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुड़गांव, पहली मंजिल, हरियाणा - 122015, हेल्प लाइन नंबर +91-124- 4302020/21/22/23/24, मोबः 09813887931, ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com** के द्वारा की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- श्री नीरज रस्तोगी, सीएच बैंक के अधिकारी, मोबाइल नं. 9871286176। इच्छुक क्रेता जो ईएमडी तिथि से पहले संपत्ति का निरीक्षण करना चाहते हैं, वे उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त नामित प्रतिवादी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पति की ब्रिकी की जाएगी और कथित सम्पति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया हैं।

अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पति के लॉट ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पति के किसी एक भाग की ब्रिकी पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। लॉट को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि ब्रिकी आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (ब्रिकी की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी ब्रिकी से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पति की ब्रिकी में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। ब्रिकी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तो और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तो का पालन करते हुए की जाएगी।

सलंग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

1, आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पति नहीं बेची जाएगी वह इस प्रकार हैः

क्र.सं.	संपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	**संपत्ति का प्लॉट नंबर डब्ल्यूजेड -723, पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार के, खसरा नंबर 369 में से, ग्राम सलीमपुर, माजरा मादीपुर, आबादी, अब ऋषि नगर, शकूर बस्ती, रानी बाग, दिल्ली है।**	**रु. 18,59,400/- ईएमडी रु. 1,85,940/-**

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी **रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।

3. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।

4. ईएमडी का भुगतान **23.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलागी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटरफाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।

6. उपयुक्त आवेदन को स्थानांतरित करने के बाद, डीआरटी-III, दिल्ली द्वारा नीलामी के अगले दिन असफल बोली(यां) लगाने वाले की ईएमडी उस/उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

7 सफल उच्चतम बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के **3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार** उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी **अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान** करना होगा।

8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपति की बिक्री की तिथि से **15वें दिन या उससे पूर्व** तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो **15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस** में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में **अतिम बोली राशि के शेष 75%** का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रु.1000/- तक 2% की दर से तथा रु.1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क** का भी भुगतान करना होगा।

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

10. संपति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जा रही हैं।

11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सं.	सह-स्वामियों के नामों के साथ बेचे जाने वाली संपत्ति का विवरण जहां संपत्ति डिफॉल्टर की है और किसी अन्य व्यक्ति को सह-स्वामी के रूप में।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	दावें, यदि कोई हो, जो संपत्ति के लिए आगे रखा गया है, और कोई भी अन्य ज्ञात विशेष इसकी प्रकृति और मूल्य पर असर डालते हैं
1.	2.	3.	4.	5.
1.	संपत्ति का प्लॉट नंबर डब्ल्यूजेड -723, पहली मजिल, बिना छत के अधिकार के, खसरा नंबर 369 में से, ग्राम सलीमपुर, माजरा मादीपुर, आबादी, अब ऋषि नगर, शकूर बस्ती, रानी बाग, दिल्ली है।	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का दावा रुपये 53,297.64

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 25.11.2019 को जारी किया गया।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, अतिरिक्त प्रभार

भागलपुर में इनामी बदमाश गिरफ्तार

भागलपुर 12 दिसंबर (जनसत्ता)।

पचास हजार रुपए का इनामी शातिर बदमाश राकेश राय को गुरुवार सुबह एसटीएफ और जिला पुलिस ने कटिहार के फलका गांव से दबोच लिया। वह भागलपुर जिले के गंगापार तुलसीपुर का रहने वाला था।

पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

झारखंड में तीसरे चरण में 62.60 फीसद मतदान

रांची, 12 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में अधिकतर गैर आदिवासी शहरी इलाकों की 17 सीटों पर गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से 62.60 फीसद मतदान होने की सूचना है। गुरुवार को 17 सीटों के लिए 56 लाख से अधिक मतदाताओं ने 309 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में सील किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि सभी 17 सीटों पर मतदान का समय शाम पांच बजे समाप्त होने तक 62.60 फीसद मतदान हुआ है और कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि कोडरमा में 58.20, बरकट्ठा में 61.18, बरही में 63.40, बड़कागांव में 64.53, रामगढ़ में 70.50, मांडू में 62.41, हजारीबाग में 57.18, सिमरिया में 62.00, धनवार में 59.86, गोमिया में 67.18, बेरमो में 61.13, ईचागढ़ में 73.11, सिल्ली में 76.98, खिजरी में 63.09, रांची में 49.10, हटिया में 53.63 और कांके में 62.83 फीसद मतदान हुआ है।

गुरुवार को सबसे पहले मतदान करने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और रांची की झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ माझी शामिल थीं। धनवार में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मताधिकार का उपयोग सुबह ही कर लिया। इसके अलावा रांची के विधायक एवं राज्य के काबीना मंत्री सीपी सिंह, विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने भी सुबह दस बजे मतदान किया।

चुनाव आयोग ने इन सीटों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए लगभग चालीस हजार चुनाव कर्मी तैनात किए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि इन 17 सीटों के लिए कुल 7016 मतदान केंद्र बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि 96 दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को हेलिकॉप्टर से पहुंचाया गया है। सुरक्षा कारणों से दस मतदान केंद्रों का स्थान परिवर्तित किया गया।

इस चरण के चुनाव में जिन 17 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें दो सीटें अनुसूचित जाति व एक आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित है। शेष 14 सीटें अनारक्षित हैं। इस दौर के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा सभी 17 सीटों पर और भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चौथे चरण में 16 दिसंबर को और पांचवें चरण में 20 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 दिसंबर को एक साथ होगी।

E-Auction – Taurus Agile Technology Corporation Private Limited (in Liquidation)
Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Sale of assets and property owned by Taurus Agile Technology Corporation Private Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal bench, New Delhi vide order dated September 26, 2019.

Interested applicants may refer to the detailed EOI process document and the Asset Sale Process Memorandum uploaded on the website : **http://primusresolutions.in** and also on E-auction website **www.right2vote.in/eauction/primus**.

The auction sale will be done through the E-Auction platform (with unlimited extension of 5 min each); **www.right2vote.in/eauction/primus**.

Particulars	Manner of sale	Inspection date	Date and Time of Auction	Reserve price	EMD Value and submission deadline
				In INR	In INR
Plant & Machinery (Lot 1) and Land & Building (Lot 2) located at Village Lalru, Handesra Road, Punjab	As Going Concern	Till December 25, 2019	December 27, 2019 12:00 hours to December 27, 2019 14:00 hours	3319 lakh (Excluding any Taxes)	331.9 lakhs on or before December 23, 2019

For any query regarding E-Auction, contact: **Mr. Subhash Kumar Kundra at 0124-4285388/+91 9540007506 or E-mail: taurusagile@primusresolutions.in**

-sd/-
Mr. Subhash Kumar Kundra
Liquidator
Communication Address: C-4-E/135, Janak Pun, New Delhi- 110058

Debts Recovery Tribunal-I, Delhi
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

OA. 334/2018

Syndicate Bank
Applicant
M/s Hunter Security Services & Manpower Sol. & Ors.
Defendants

To
1. **M/s. Hunter Security Services & Manpower Sol.,** Shop/Office At: B-12A Mittal Security Services & Manower So. Shankar Ki Dhani Orchid Gurgaon (HR) Through Its Prop. Mr. Dharmesh Narayan Tripathi
2. **Mr. Dharmesh Narayan Tripathi** S/o. Late Shri K.N. Tripathi,
3. **Mrs. Kusum Tripathi** **W/o Mr. Dharmesh Narayan Tripathi, Both R/o.** B-12A, Mittal Royal Orchid Shankar Ki Dhani Bhora Kalal Gurgaon (H.R.)
4. **Mr. Jitender Pandey** **S/o. Shri Vishwa Nath Pandey** R/o. 184, Block-B, Lane 5, Shitla Colony, Gurgaon, Haryana.

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 14,40,421.99/- (Rupees Fourteen Lacs Forty Thousand Four Hundred Twenty One and Ninety Nine Pasie Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on **15.01.2020** at 10.30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this **21st Day of November, 2019**

By Order of the Tribunal
Assistant Registrar
DRT-I, New Delhi

Date : 12-12-2019
Place : Delhi

Court Notice
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next Date, Purpose Of Case Orders And Judgment as well as other case information is available on http://ecourts.gov.
CNR No : PBLO03-021718-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
BAJAJ FINANCE LTD
V/S
SATVIK ENTERPRISES
Publication issued To: Satvik Enterprises
Address - Shop No 5, Panchili Dharamshala, srigangа Nagar
Whereas it has proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused/ accused person can't be served the Ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction That you should appear personally before this Court on 28-01-2020 at 10.00 am or within 30 Days from the days of publication of this proclamation
Take notice that, in case of default On your part appear as directed above said Case will be heard and determined as per law in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?hs=district_no#district:Ludhiana
Dated: This day of 08.12.2019 Jmic ludhiana

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
वेल होम डेकोर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51900DL2010PTC206101)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **हाउस नं. 11, पहली मंजिल, ब्लॉक-सी, पॉकेट-5, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "मध्य प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु **11 दिसम्बर, 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रकोष्ठ को एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करे अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित / विषय के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **हाउस नं. 11, पहली मंजिल, ब्लॉक-सी, पॉकेट-5, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **वेल होम डेकोर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड**
राज कुमार गुप्ता
(निदेशक)
दिनांक: 12 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 06837195

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
नांगलोई शाखा नं. 1, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली-110041
दूरभाष : 011-25943363 फैक्स : 011-25943319
ई-मेल : br.9015@syndicatebank

संदर्भ सं. आरओ II/9015/2019 दिनांक : 12.12.2019

परिशिष्ट-IV-A
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति का विक्रय 30.11.2019 तक प्रतिभूत लेनदार के बकाये रु. 1,29,60,950.52/- की वसूली हेतु 31.12.2019 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर निम्नलिखित से किया जायेगा :
कर्जदार :
मैसर्स डेविड सेल्स एण्ड सॉल्यूशन
प्रो. श्री देविन्दर सिंह
पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह
दुकान नं. 14, सी-126, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028
जमानती :
श्रीमती नेहा सिंह
पत्नी श्री देविन्दर सिंह

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

श्री अष्टविनायक जेम्स एण्ड स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**श्री अष्टविनायक जेम्स एण्ड स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19.02.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U52390DL2009PTC187766
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बालाजी प्लाजा, दूसरी मंजिल, 1157/1139, कूचा महाजनी, चांदनी चौक, नई दिल्ली-110006
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	10 दिसम्बर, 2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	07 जून, 2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**अशोक कुमार जुनेजा** (एलएल.बी, एफसीएस, एसीएमए, डीबीएफ, एनसीएफएम, एडीआईसीए, एम.कॉम) IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेल आईडी : ashokjuneja@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेल आईडी : ip.ashtvinayak@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	26 दिसम्बर, 2019
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(अ) प्रासंगिक दस्तावेज डाउनलोड किये जा सकते हैं : वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ब) अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 10 दिसम्बर, 2019 को **श्री अष्टविनायक जेम्स एण्ड स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कॉरपोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

श्री अष्टविनायक जेम्स एण्ड स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण **26 दिसम्बर**, 2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।।

ह./-

दिनांक : 12.12.2019 — **अशोक कुमार जुनेजा**

स्थान : नई दिल्ली — पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली शाखा

फार्मेट-बी

संदर्भ सं. 9021/**एनपीए**/791/93/2019 — **तिथि:** 4.9.2019

सेवा में,

1. श्री सचिन कुमार, पुत्र सतवीर सिंह, एच. नं. ए 365, नंद ग्राम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201003

2. श्री सचिन कुमार, पुत्र सतवीर सिंह, प्लॉट नं. 526, बाबा नगर, कृष्णा नगर, मेरठ रोड, सामनेः उत्तम इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र. राज्य)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 8,50,000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	4.9.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	सिंड एमएसएमई सावि ऋण खाता-90217910000093	रु. 8,50,000/-	रु. 3,31,929.46	30.5.2019
	कुल	रु. 8,50,000/-	रु. 3,31,929.46	

चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 30.05.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 3,31,929.46 (रुपए तीन लाख इक्कतीस हजार नौ सौ उन्नतीस एवं पैसे छियालिस मात्र) की राशि बकाया है।

हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न लिमिट्स अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैः

पंजीकरण सं.	चैसिस नं.	इंजिन नं.	मैक एवं मॉडल
UP14FT2054	MBUWEL4XMW0214999	SLTHT5MW208651	स्वराज मजदा ISUZU 14 फीट लम्बा बिल्ट अप ट्रक WB3335MM (4+1) टायर्स

जो श्री सचिन कुमार, पुत्र सतवीर सिंह स्वामी का नाम) के नाम में है। क) प्रतिभूत परिसम्पत्ति के स्वामी का नामः श्री सचिन कुमार, पुत्र सतवीर सिंह।

ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैः

क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;

ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।

उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।

कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।

कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

स्थानः हैदरपुर, दिल्ली — (प्राधिकृत अधिकारी)

तिथिः 4.9.2019 — सिंडिकेट बैंक

टिप्पणीः जहां-कहीं भी जरूरी हो, विधि अधिकारी/पैनल अधिवक्ता की सलाह से प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन करें।

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली शाखा

फार्मेट-बी

संदर्भ सं. 9021/**एनपीए**/779/115/2019 — **तिथि:** 4.9.2019

सेवा में,

1. विशाल त्यागी, पुत्र देव प्रकाश त्यागी, एच. नं. 128 ए, भूतल, डीडीए फ्लैट, प्लैटिनम एन्क्लेव, सेक-18, रोहिणी, दिल्ली-110089

2. विशाल त्यागी, पुत्र देव प्रकाश त्यागी, फ्लैट नं. 301, सी एवं डी ब्लॉक, कनिष्क अपार्टमेन्ट, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110089

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 6,60,000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	4.9.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	सिंड वाहन खाता-902177900000115	रु. 6,60,000/-	रु. 4,11,117.20	1.7.2019
	कुल	रु. 6,60,000/-	रु. 4,11,117.20	

चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.07.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 4,11,117.20 (रुपए चार लाख ग्यारह हजार एक सौ सत्तरह एवं पैसे बीस मात्र) की राशि बकाया है।

हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न लिमिट्स अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैः

पंजीकरण सं.	चैसिस नं.	इंजिन नं.	मैक एवं मॉडल
DL10CG8912	MAT624029FLH24424	101A20000596575	टाटा मोटर एंड जेस्ट XMSQ-JET90PSABSBSIV

जो श्री विशाल त्यागी, पुत्र देव प्रकाश त्यागी (स्वामी का नाम) के स्वामित्व में हैः क) प्रतिभूत क्रेडीटर के स्वामी का नामः श्री विशाल त्यागी, पुत्र देव प्रकाश त्यागी।

ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैः

क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;

ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।

उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।

कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

स्थानः हैदरपुर, दिल्ली — (प्राधिकृत अधिकारी)

तिथिः 4.9.2019 — सिंडिकेट बैंक

टिप्पणीः जहां-कहीं भी जरूरी हो, विधि अधिकारी/पैनल अधिवक्ता की सलाह से प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन करें।

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली शाखा

फार्मेट-बी

संदर्भ सं. 9021/**एनपीए**/991/10/2019 — **तिथि:** 4.9.2019

सेवा में,

1. श्री हरपाल यादव, पुत्र तेज राम यादव एच.नं. बी के 1, 142, सी, जनता फ्लैट, केला गौदाम के निकट, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

2. श्री हरपाल यादव, पुत्र तेज राम यादव एच.नं. 643 सी, 2रा तल, बीएच जनता फ्लैट, केला गौदाम के निकट, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 5,00,000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	4.9.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	सिंड ट्रान्सपोर्ट खाता-91789910000010	रु. 5,00,000/-	रु. 1,73,010.84	2.5.2019
	कुल	रु. 5,00,000/-	रु. 1,73,010.84	

चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 02.05.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 1,73,010.84 (रुपए एक लाख तिहत्तर हजार दस तथा पैसे चौड़ासी मात्र) की राशि बकाया है।

हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न लिमिट्स अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैः

पंजीकरण सं.	चैसिस नं.	इंजिन नं.	मैक एवं मॉडल
DL1ZA2855	MALA741CLGM173116*C	G4LAGM988619	ह्युण्डई एक्सेन्ट बीटी बीटीवीएसआईवी

जो श्री हरपाल यादव, पुत्र तेज यादव के स्वामित्व में है (स्वामी) का नाम), क) प्रतिभूत परिसम्पत्ति के स्वामी का नामः श्री हरपाल यादव, पुत्र तेज राम यादव

ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैः

क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;

ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।

उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।

कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

स्थानः हैदरपुर, दिल्ली — (प्राधिकृत अधिकारी)

तिथिः 4.9.2019 — सिंडिकेट बैंक

टिप्पणीः जहां-कहीं भी जरूरी हो, विधि अधिकारी/पैनल अधिवक्ता की सलाह से प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन करें।

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

भौतिक कब्जा सूचना

[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल)**, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (2002 का 54) (इसके बाद **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में :

1. **मैसर्स श्री पार्थ ग्राफिक्स (कर्जदार)**, इसके प्रोपराइटर श्री सुभाष सोनी के माध्यम से, कार्यालयः यूजी 36, श्री बालाजी टॉवर, खजूरी बाजार मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001.
2. **श्री सुभाष सोनी (जमानती)**, निवासी ए-501, शुभ लाभ हाइट्स, एम.आर.-9, रिंग रोड, इंदौर-452001.
3. **श्रीमती अनुराधा सोनी (जमानती)**, निवासी ए-501, शुभ लाभ हाइट्स, एम.आर.-9, रिंग रोड, इंदौर-452001.

से 18.07.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,37,03,393.85/- **(रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ तिरानबे एवं पचासी पैसे मात्र)** तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 23.07.2018 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर **11 दिसम्बर, 2019** को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 1,37,03,393.85/- **(रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ तिरानबे एवं पचासी पैसे मात्र)** तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए एचएफसीएल के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्र	दस्तावेज
(अ)	कोमोरी कॉर्पोरेशन	"कोमोरी" ब्राण्ड चार कलर शीट-फेड-ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, एन्थ्रोन 29" मॉडल : ई-429	1	दृष्टिबंधक हेतु अनुबन्ध तथा दृष्टिबंधक दिनांक 30.04.2016 की सुनिश्चितीकरण/घोषणा

ह./-

तिथि : 11.12.2019 — **अधिकृत प्राधिकारी**

स्थान : इंदौर एवं उदयपुर — **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड**

सीआईएनः U74899DL1991PLC046774 | दूरभाषः 011-49487150 | फैक्सः 011-49487197 ई-मेल : legal@herofincorp.com | वेबसाइटः www.herofincorp.com

---

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com,info@shivkamalimpex.com
Website: www.shivkamalimpex.com CIN: L52110DL1985PLC019893

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year Ended September 30, 2019

(Rs. In lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2019 (unaudited)	Half year ended 30.09.2019 (unaudited)	Quarter ended 30.09.2018 (unaudited)
1.	Total Income from Operations	8.63	15.85	6.94
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.74	10.24	3.19
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.74	10.24	3.19
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.55	7.88	2.36
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.55	7.88	2.36
6.	Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	Rs. 0.45	Rs. 0.78	Rs. 0.23
	2. Diluted	Rs. 0.45	Rs. 0.78	Rs. 0.23

Note:

1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.shivkamalimpex.com.
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on December 12, 2019
3. The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019. The above financial results have been prepared in accordance with principles as laid down in Ind AS-34 - Interim Financial Reporting.

By the Order of the Board
For **Shivkamal Impex Limited**
Sd/-
Manu Jain (Director)
DIN-07801467

Place: New Delhi
Date: 12.12.2019

अनुसूची

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	10.11.1987
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर, उत्तर प्रदेश
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L29120UP1987PLC091016
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालयः यूनिट नं. 8, ब्लॉक-ए, ककराला मैन रोड, सेक्टर 80 इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201305 कॉर्पोरेट कार्यालयः 159, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 उत्पादन संयंत्रः 1. ए-146 (बी एंड सी) रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाडी जिला अलवर, राजस्थान-301019 2. इंडस्ट्रियल एरिया, कला-अम्ब, त्रिलोकपुर रोड, सिरमौर, नाहन, हिमाचाल प्रदेश 3. प्लॉट नं. 24, सेक्टर 2, आईआईई, सिडकुल, पंतनगर, उत्तराखंड 4. प्लॉट नं. एस 21 एवं 22, नान एसईजेड, फेज-III, सिपकॉट रोड, मुगुन्दरायापुरम, रानीपेट, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु 5. बहादराबाद मेहदूद, इंडस्ट्रियल पार्क, 2, सलेमपुर, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड 6. ग्राम निजामपुर, ताऊरु-रेवाड़ी, तहसील ताऊरु, जिला मेवात, हरियाणा
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	9.12.2019 (आदेश 10 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	6.6.2020 (अर्थात् दिवाला आरंभ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	अनिल रुस्तगी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00683/2018-2019/12382
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	एच.नं.-524, टावर-6, एचई डब्ल्यूओ-1, सेक्टर-56, गुड़गाँव, हरियाणा, 122011 anil_rustgi@yahoo.co.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	एच.नं.-524, टावर-6, एचई डब्ल्यूओ-1, सेक्टर-56, गुड़गाँव, हरियाणा, 122011 leelelectricals.cirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	24.12.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा

कार्यालय:खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि.क्षे. अमेठी, जनपद-अमेठी

पत्रांक:नि0/253/2019-20 दिनांक: 12.12.2019

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत 137 विद्यालयों में कार्यरत लगभग 400 शिक्षक/अनुदेशक एवं शिक्षामित्रों की वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक विभिन्न होने वाले प्रशिक्षण में भोजन एवं जलपान की व्यवस्था हेतु लघु समय निविदा दिनांक 19.12.2019 तक आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र नियम शर्तें कार्यालय अवधि में रूपया 50.00 रूपये जमा कर प्राप्त की जा सकती है

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड-अमेठी
जनपद-अमेठी

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान अमेठी
जनपद-अमेठी

कॉल, डाटा के लिए न्यूनतम शुल्क दर तय करने की मांग पर गौर : ट्राई

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संकेत दिया है कि वह कॉल और डाटा के लिए न्यूनतम शुल्क दर तय करने की उद्योग की मांग पर विचार कर सकता है। इससे दूरसंचार उद्योग की वहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी।

दूरसंचार नियामक पूर्व में न्यूनतम शुल्क दर या शुल्क दर की सीमा तय करने के लिए हस्तक्षेप से इनकार करता रहा है। ट्राई के रुख में यह बदलाव भारती एअरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल द्वारा बुधवार को दूरसंचार सचिव से मुलाकात के बाद आया है। मित्तल ने दूरसंचार सचिव से डाटा के लिए न्यूनतम शुल्क या न्यूनतम दर तय करने की मांग की है। ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने एवीआइए इंडिया वीडियो-360 के कार्यक्रम में यहां कहा कि दूरसंचार शुल्क पिछले 16 साल से कठिन परिस्थितियों में भी नियंत्रण में रहे हैं और यह बेहतर तरीके से काम करते रहे हैं। और अब नियामक उद्योग की न्यूनतम शुल्क तय करने की मांग पर गौर कर रहा है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो द्वारा निशुल्क वॉयस कॉल और सस्ता डाटा की पेशकश से उद्योग में काफी अफरातफरी रही। उसके बाद अन्य कंपनियों को भी शुल्क दरें कम करनी पड़ीं।

शर्मा ने कहा, 'दूरसंचार कंपनियों ने हाल में हमें एक साथ लिखा है कि हम उनका नियमन करें। यह पहली बार है। पूर्व में 2012 में मुझे याद है कि उन्होंने शुल्कों के नियमन के ट्राई के प्रयास का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि शुल्क दरें उनके लिए छोड़ दी जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि नियामक तीन सिद्धांतों उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उद्योग की वृद्धि पर काम करता है। शर्मा ने कहा कि ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और आपरेटरों द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।

शर्मा ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों ने 2017 में नियामक को न्यूनतम मूल्य तय करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय यह निष्कर्ष निकला था कि यह एक खराब विचार है।

सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्तूबर के फैसले में दूरसंचार कंपनियों के सांविधिक बकाए की गणना में गैर दूरसंचार राजस्व को भी शामिल करने के सरकार के कदम को उचित ठहराए जाने के बाद यह प्रस्ताव फिर आया है। इस फैसले के बाद भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों को पिछले बकाया का 1.47 लाख करोड़ रुपए चुकाना है।

मित्तल ने बुधवार को दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात के बाद कहा था कि न्यूनतम शुल्क तय करना काफी महत्त्वपूर्ण होगा। मित्तल का कहना है कि शुल्क दरों को बढ़ाने और उद्योग को व्यवहार्य बनाने की जरूरत है।

नोमुरा का दिसंबर तिमाही के लिए आकलन

जीडीपी वृद्धि दर 4.3 फीसद रहने का अनुमान

सिंगापुर, 12 दिसंबर (भाषा)।

जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा के अनुसार इस दिसंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा का मानना है कि 2020 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में मामूली सुधार होगा और यह 4.7 प्रतिशत रह सकता है।

नोमुरा की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत एवं एशिया) सोनल वर्मा ने कहा, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का संकट लंबा खींच जाने के कारण घरेलू ऋण उपलब्धता की स्थिति गंभीर बनी हुई है।' बाजार का मानना है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर अपने निचले स्तर पर आ चुकी है और अब आगे इसमें सुधार होगा। नोमुरा का मानना है कि वृद्धि दर में अभी और गिरावट आ सकती है। उसने देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए 5.3 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत, 2020 के लिए 6.3 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत और 2021 के लिए 6.5 प्रतिशत कर दिया। वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'वित्त वर्ष के हिसाब से हमें जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 में 4.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020-21 में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि सुधार में विलंब हो रहा है और इसकी गति 2020 के अंत तक संभावित गति की तुलना में कम रह सकती है।' वर्मा ने 'एशिया 2020 परिदृश्य' में कहा कि रिजर्व बैंक 2020 की दूसरी तिमाही में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: अशोका होटल, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अशोका होटल, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **25/09/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स विरनॉयर मेटल (भागीदारों- श्री राकेश बिल्ला एवं श्री सुरिन्दर सिंह भसीन),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.74,66,970/- (चौहत्तर लाख छियासठ हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 10 दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.74,66,970/- (चौहत्तर लाख छियासठ हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अशोका होटल, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सुरिन्दर सिंह भसीन एवं श्रीमती बलजीत कौर के नाम में साम्यिक बंधक भूमि/फ्लैट के सभी भाग एवं हिस्से जो तीसरा तल फ्लैट (टैरेस अधिकार के साथ) असर सं.6, पीछे की तरफ, प्लॉट नं.55, ब्लॉक आर, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 500 वर्ग यार्ड, फ्लैट का क्षेत्रफल 810 वर्ग फीट, भूखंड जो घिरा है:

उत्तर: मकान नं. आर-57 दक्षिण: मकान नं.आर-53
पूर्व: 15 फीट चौड़ी सर्विस लेन
पश्चिम: इसी सम्पत्ति में अन्य फ्लैट और 80 फीट चौड़ी सड़क

स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 10.12.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

पैदावार कम होने से प्याज के दाम बढ़े : तोमर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि उत्पादन कम होने की वजह से प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार प्याज का निर्यात बंद करने और विभिन्न देशों से आयात करने जैसे कदम उठाने के अलावा विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर इस समस्या के निपटने के लिर ठोस कदम उठा रही है।

निचले सदन में 'विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और किसानों पर प्रभाव' विषय पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री तोमर ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में प्याज का मुद्दा ज्वलंत है। लोगों को तकलीफ हो रही है। हम इससे अवगत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से प्याज के उत्पादन को लेकर जो अनुमान दिया गया था, उससे कम पैदावार हुई है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी हुई।

मंत्री ने कहा कि प्याज के दाम बढ़ने के तत्काल बाद इसके निर्यात पर रोक लगाई गई और आयात का आदेश दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी कहा गया है कि वे प्याज के दाम को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाएं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने पूछा किया कि क्या आप प्याज खाते हैं? इसके जवाब में तोमर ने कहा, मैं प्याज खाता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे किसानों को न्याय नहीं मिलेगा।

तोमर ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन भी किसानों के लिए समस्या बना है और सरकार पेरिस समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लोगों को लाभ मिला है। हालांकि वह इससे सहमत हैं कि इसमें और पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो साल में फसल बीमा योजना के तहत किसानों से 47 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया। इस संबंध में 38499 करोड़ रुपए के अनुमानित दावे आए और 38351 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों को लेकर सिर्फ लंबे-लंबे दावे करती है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

हिमाचल में विक्रेता 20 किलो से ज्यादा नहीं रख सकेंगे

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), 12 दिसंबर (भाषा)।

प्याज की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी ने व्यापारियों के लिए इसके भंडारण और इस पर मुनाफे की अधिकतम सीमा तय कर दी है।

जिलाधिकारी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि आदेश के मुताबिक कोई भी खुदरा व्यापारी 20 किलो से अधिक प्याज नहीं रख सकता है और सिर्फ 24 फीसद ही मुनाफा कमा सकता है। वहीं, थोक कारोबारियों के लिए मुनाफे की दर अधिकतम पांच फीसद तय की गई है।

इन दोनों मामले में मुनाफे में प्याज की ढुलाई, उसे वाहन पर चढ़ाने और उतारने आदि भी शामिल है। जिलाधिकारी ने पुष्टि की है कि थोक विक्रेताओं को खुदरा विक्रेताओं का रसीद जारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऊंची कीमतों पर प्याज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक सूचना
ओपल बीपीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U72900DL2015FTC286658
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष बी-2 विंग, दूसरा फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 30(5)(ए) के मामले में और
ओपल बीपीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी/11, 301-तीसरा फ्लोर, पटेल हाउस, रंजीत नगर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110008, इंडिया** पर स्थित है
के मामले में ...आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि वाली है जिसके तहत **25, नवम्बर, 2019** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य'** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर खुद कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी
पंजीकृत कार्यालय: बी/11, 301-तीसरा फ्लोर, पटेल हाउस रंजीत नगर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110008.
कृते **ओपल बीपीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/-
ड्यास जैकब
निदेशक
DIN: 07805990
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.12.2019

सोना 71 रुपए चमका, चांदी 359 रुपए चढ़ी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं में लाभ के बीच गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 71 रुपए बढ़कर 38,564 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को सोना 38,493 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24 कैरट हाजिर सोने का भाव 71 रुपए चढ़ गया। (**भाषा**)

सूचकांक 169 अंक मजबूत, बैंक व धातु शेयर चमके

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार को 169 अंक की तेजी के साथ 40,581.71 अंक पर बंद हुआ। बैंक और धातु कंपनियों के शेयरों में तेजी के साथ शेयर बाजारों में मजबूती रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दर को यथावत रखते हुए अगले साल तक भी ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का संकेत दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर बाजार धारणा को बल मिला है।

कारोबार के दौरान सूचकांक एक समय 300 अंक से अधिक अंक मजबूत हुआ था। हालांकि, अंत में यह 169.14 अंक यानी 0.42 फीसद की बढ़त के साथ 40,581.71 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61.65 अंक यानी 0.52 फीसद बढ़कर 11,971.80 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में टाटा मोटर्स को सर्वाधिक 7.17 फीसद लाभ हुआ। इसके बाद येस बैंक के शेयर में 5.96 फीसद, वेदांता में 3.68 फीसद, टाटा स्टील में 3.29 फीसद, स्टेट बैंक में 2.91 फीसद और कोटक बैंक में 1.76 फीसद की तेजी रही।

एचडीएफसी बैंक 1.18 फीसद जबकि लार्सन एंड टूब्रो 1.23 फीसद मजबूत हुए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटो कार्प, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी रही। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से आइटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। इंफोसिस में 2.63 फीसद, ओएनजीसी 1.68 फीसद, एचसीएल टेक 1.51 फीसद, टीसीएस 1.20 फीसद और भारती एयरटेल में 0.95 फीसद की गिरावट रही।

जम्मू-कश्मीर सरकार उद्यमियों को देगी 57 हजार एकड़ से अधिक जमीन

जम्मू, 12 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने संभावित उद्यमियों को औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए राज्य में 57 हजार एकड़ से अधक जमीन की पहचान की है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनमें से 15 हजार एकड़ जमीन कश्मीर घाटी में हैं जबकि 42,500 एकड़ जमीन जम्मू क्षेत्र में हैं। उपराज्यपाल के सलाहकार के.के.शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को उपयुक्त और पर्याप्त जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपयुक्त जमीन की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि जो उद्यमी राज्य में संयंत्र लगाना चाहें उन्हें जमीन मिलने में कोई दिक्कत ना हो।

'पीएमसी बैंक जमाकर्ताओं की चिंताएं रिजर्व बैंक के समक्ष उठाई जाएंगी'

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार संकट में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जर्माकताओं की चिंताओं को रिजर्व बैंक के समक्ष उठाएगी। महाराष्ट्र के राज्यमंत्री जयंत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के 79वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से यह बात कही।

उन्होंने कहा, 'मैं एक-दो दिन में रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के साथ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करने पर बातचीत करूंगा। पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार की पूरी सहानुभूति है।' पाटिल ने कहा, 'मेरा मानना है कि पीएमसी बैंक के किसी अन्य अच्छे बैंक में विलय से जमाकर्ताओं की मदद की जा सकती है। हम इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से बात करेंगे।' उन्होंने कहा कि उन्होंने एमएससी बैंक के चेयरमैन को पीएमसी बैंक के विलय का सुझाव दिया था। हालांकि, मुझे बताया गया कि यह विलय संभव नहीं है। डूबे कर्ज को छिपाने को लेकर पीएमसी बैंक को 23 सितंबर को छह महीने के लिए रिजर्व बैंक प्रशासक के तहत कर दिया गया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोरावजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

08.01.2020 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पढ़ा गया।

जैसा कि, आम जनता तथा उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल सम्पत्ति को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के पास बंधक किया गया था जिस पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया गया है, जिसे **"जैसा है जहाँ है", "जो है" तथा "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री **दिनांक 08.01.2020** को वेबसाईट: **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण

रू. लाखों में

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन न.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्ती का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (रू.)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि
1.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	**विश्वास ट्रैक्टर्स लि. के नाम पर फैक्टरी/औद्योगिक शेड:** खेवट/खाता नं.884-885/867, रेक्ट. नं.113, किला नं.19 एवं 22/1, गाँव - दीघोट, तहसील-होडल, जिला-पलवल, हरियाणा। कुल लैंडेड क्षेत्र 13के-8 मरला (1.625 एकड़)	28.12.2016 रू. 6,52,85,521.00 + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	21.11.2018 भौतिक कब्जा	₹ 140.00 लाख	₹ 14.00 लाख	₹ 2.00 लाख
2.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स एस.के. स्टील एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर	**श्री सुदर्शन आर्य पुत्र श्री बी डी आर्य (मालिक)** के नाम पर प्लॉट नं.13 पर बेसमेंट, सैनी एन्क्लेव, शाहदरा, दिल्ली-110092, परिमाप 355.33 वर्ग यार्ड अर्थात् 297.09 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 222.81 वर्ग मीटर।	रू. 6,12,19,331/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.09.2019 भौतिक कब्जा	₹ 155.00 लाख	₹ 15.50 लाख	₹ 2.00 लाख
3.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स एस.के. स्टील एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर	**श्री सुदर्शन आर्य पुत्र श्री बी डी आर्य (मालिक)** के नाम पर प्लॉट नं.13 पर भूतल, सैनी एन्क्लेव, शाहदरा, दिल्ली-110092, परिमाप 355.33 वर्ग यार्ड अर्थात् 297.09 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया 222.81 वर्ग मीटर। पार्ट एरिया 1350.70 वर्ग फीट भूतल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किरायेदार के रूप में कब्जा, मासिक किराया रू.1,31,288/- (किराया) + रू.14,588/- (टैक्स) किरायेदार के अधिकार के साथ ई-नीलामी।	रू. 6,12,19,331/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.09.2019 भौतिक कब्जा	₹ 360.00 लाख	₹ 36.00 लाख	₹ 3.00 लाख

नियम एवं शर्तें:-
1. ई-नीलामी **"जैसे है जहाँ है" तथा "जैसे है जो है आधार"** पर की जा रही है।
2. प्रतिभूति परिसम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जाएगी।
3. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
4. ई-नीलामी पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से **08 जनवरी, 2020 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे** तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित, आयोजित की जाएगी।
5. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल: **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से (यूजर आईडी एवं पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम का पंजीयन कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए धरोहर राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ अपनी बोली जमा करा सकते हैं। धरोहर राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाते : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोरावजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, खाता सं.3062155258 (आईएफएससी कोड: CBIN0280318) में **06.01.2020 को अप. 05:00 बजे से पूर्व** (तिथि एवं समय) जमा करानी होगी। कृपया नोट करें कि चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पर्क: श्री विनोद कुमार-9813887931 (सपोर्ट ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com) तथा सम्पत्ति सम्बन्धी किसी भी पूछताछ के लिए सम्बन्धित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से उनके नाम के समक्ष वर्णित टेलीफोन नं. अथवा **श्री डी.सी. लोहानी, मोबाइल: 9315433030** से सम्पर्क करें। नियमों एवं शर्तों के विवरणों के लिए कृपया देखें :- **https://www.bankeauctions.com** or **www.centralbankofindia.co.in**

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक: 13.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: पलवल / दिल्ली **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, करोल बाग, नई दिल्ली**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा: इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर-63, नोएडा; सर्किल कार्यालय : नोएडा (उ.प्र.)
वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत अनडिलीवर्ड माँग सूचना

हमने पहले ही वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत आपके पास बकाया की सूचना सहित पंजीकृत डाक द्वारा माँग सूचना निर्गत की है जिसे अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया। आप/कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को परामर्श दिया जाता है : (1) अधिक एवं पूर्ण विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरी से कोरियर/पोस्टल अथॉरिटी द्वारा वापस की गयी और अपको सम्बोधित मूल सूचना/कवर ग्रहण करने तथा (2) सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित शेष बकाया राशि एवं अन्य लागतों का भुगतान करने के लिए।
आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सरफाएशी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत आप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।

ऋणकर्ता/जमानती के नाम	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	प्रतिभूत आस्ति(यों) का विवरण
1. श्री प्रणव तिवारी 2. श्रीमती कविता मिश्रा 3. श्री सुबोध कुमार खाता सं. 666200NC00007822	19.11.2019	01.11.2019 तक रु. 22,28,258.00/- + पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं लागत	आवासीय प्लॉट सं. 2बी/911, प्रथम तल (छत के अधिकार रहित), सेक्टर 2बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.) का इक्विटेबल बन्धक।
1. श्री राज कुमार गुप्ता 2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल खाता सं. 666200N00003923	16.10.2019	25.09.2019 तक रु. 12,56,889.00/- + पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं लागत	एचआईजी फ्लेट सं. इं, द्वितीय तल (छत के अधिकार सहित) प्लॉट सं. 9/92, सेक्टर 3, टीएचए आवासीय कॉलोनी, राजिन्द्रा नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) पर निर्मित का इक्विटेबल बन्धक

तिथि : 10.12.2019
स्थान : नोएडा (उ.प्र.) अधिकृत प्राधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

शाखा: सेक्टर-63, नोएडा; सर्किल कार्यालय : नोएडा (उ.प्र.)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/चल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(4) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधिकृत प्राधिकारी ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर माँग सूचना निर्गत की थी।
ऋणकर्ताओं तथा जमानतियों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ताओं तथा जमानतियों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ताओं तथा जमानती को एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प

नागरिकता विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुसलिम लीग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

इंडियन यूनियन मुसलिम लीग ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लीग का कहना है कि विधेयक से संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और इसका मकसद धर्म के आधार पर एक तबके को अलग रखते हुए अवैध शरणार्थियों के एक वर्ग को नागरिकता प्रदान करना है।

वकील पल्लवी प्रताप के माध्यम से दायर इस याचिका में नागरिकता संशोधन विधेयक और विदेशी नागरिक संशोधन (आदेश) 2015 व पासपोर्ट (नियमों में प्रवेश), संशोधन नियम 2015 के अमल पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका स्पष्ट मकसद मुसलमानों के साथ भेदभाव करना है क्योंकि प्रस्तावित कानून का लाभ सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को ही मिलेगा।

याचिका में कहा गया है- याचियों को शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं है लेकिन याची की शिकायत धर्म के आधार पर भेदभाव और अनुचित वर्गीकरण को लेकर है। गैरकानूनी शरणार्थी अपने आप में ही एक वर्ग है और इसलिए उनके धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के आधार के बगैर ही उन पर कोई कानून लागू किया जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अहमदिया, शिया और हजारा जैसे अल्पसंख्यकों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखने के बारे में कोई स्पष्टीरण नहीं दिया है। इन अल्पसंख्यकों का लंबे समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्पीड़न हो रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून में इन तीन पड़ोसी देशों का चयन करने के पीछे किसी मानक सिद्धांत या पैमाने का जिक्र नहीं है। जबकि यही लाभ श्रीलंका, म्यांमा, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी कवायद के बाद इससे बाहर रखे गए अवैध मुसलिम शरणार्थियों पर मुकदमा चलाया जाए और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को भारतीय नागरिक के रूप में देशीकरण का लाभ दिया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह से राष्ट्रीय नागरिक पंजी से बाहर रखे गए मुसलिम समुदाय के लोगों को विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी नागरिकता साबित करनी होगी क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई नहीं बल्कि मुसलिम हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से भेदभाव है और नागरिकता संशोधन कानून असंवैधानिक ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांत के भी खिलाफ है।

मेधा पाटकर की परेशानी बढ़ी, जब्त हो सकता है पासपोर्ट

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की कार्यकर्ता मेधा पाटकर की परेशानी बढ़ाने वाले एक कदम के तहत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई उनके पासपोर्ट को जब्त करने वाला है। पाटकर द्वारा पासपोर्ट आवेदन के समय उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के चलते ऐसा किया जा सकता है।

पासपोर्ट कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि चूंकि उन्होंने पहले ही नौ दिसंबर को अपने यात्रा दस्तावेज सौंप दिए हैं, इसलिए यह अपने आप जब्त हो गया है। एक पत्रकार ने इस साल जून में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि पाटकर ने आरपीओ मुंबई से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर पासपोर्ट हासिल किया था।

सैकड़ों करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में 13 ठिकानों पर छापे

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने पी एंड एस ज्वेलरी लिमिटेड से जुड़े 568.52 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज धोखाधड़ी प्रकरण में मामला दर्ज करने के बाद मुंबई और लोनावाला में 13 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने कंपनी और इसके निदेशकों-परेश शाह, साहिल परेश शाह, विराज चेतन शाह और अज्ञात लोकसेवकों तथा अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं और अन्य के तहत मामला दर्ज किया।

उन्होंने बताया कि एजंसी ने मामला दर्ज करने के बाद मुंबई और लोनावाला में निदेशकों के परिसरों पर छापेमारी की।

पासपोर्ट पर कमल का निशान सुरक्षा विशेषता का हिस्सा : मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

विपक्षी सदस्यों द्वारा लोकसभा में नए पासपोर्ट पर कमल का निशान छापने को लेकर उठाए गए सवाल के एक दिन बाद गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फर्जी पासपोर्ट का पता लगाने और सुरक्षा मजबूत करने की विशेषताओं का हिस्सा है व अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का भी बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाएगा।

कांग्रेस सदस्य एमके राघवन ने केरल के कोझिकोड में बांटने के लिए आए नए पासपोर्ट पर कमल का निशान होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के चुनावी चिह्न कमल के साथ यह सरकारी प्रतिष्ठानों का और भगवाकरण है। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह निशान हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और यह फर्जी पासपोर्ट का पता लगाने के लिए लाई गई परिष्कृत सुरक्षा विशेषता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'ये सुरक्षा विशेषता अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आइसीएओ) के दिशानिर्देशों का हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि कमल के अलावा बारी-बारी से अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का भी उपयोग किया जाएगा। अभी कमल का इस्तेमाल किया गया था। अगले महीने कुछ और होगा। ये प्रतीक भारत से जुड़े हैं जैसे राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय पशु।

इसरो ने रिसैट-2बीआर1 उपग्रह का एंटिना खोला

चेन्नई, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने यहां से 130 किलोमीटर दूर स्थित श्रीहरिकोटा से उपग्रह रिसैट-2बीआर1 को प्रक्षेपित करने के एक दिन बाद गुरुवार को अंदर मौजूद एंटिना को खोलने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

इसरो ने ट्वीट किया, 'गुरुवार को दो बजे रिसैट-2बीआर1 उपग्रह के रेडियल रिब एंटिना (छतरी आकार के) को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यह जटिल प्रौद्योगिकी है जिसमें 3.6 मीटर व्यास के एंटिना को खोला जाता है। एंटिना प्रक्षेपण के दौरान उपग्रह के अंदर बंद रहता है।' इसरो के मुताबिक एंटिना को खोलने के मिशन को नौ मिनट 12 सेकेंड में पूरा किया गया। इसरो ने बुधवार को नौ विदेशी उपग्रह के साथ रिसैट-2बीआर1 को पीएसएलवी-सी48 रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया था। पीएसएलवी का यह 50वां मिशन था। रिसैट-2बीआर1 भारत का रडार मानचित्रण आधारित भू निगरानी उपग्रह है जिसका इस्तेमाल कृषि, वन और आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उपग्रह को प्रक्षेपित करने के बाद स्वतः ही दो सौर सारणी आबंटित की गई और माना जा रहा है कि बंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने इसका नियंत्रण ले लिया। इसरो ने बताया कि आने वाले दिनों में उपग्रह को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

भारत और अमेरिका के बीच '2+2' वार्ता 18 को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

भारत और अमेरिका के बीच दूसरी '2+2' वार्ता 18 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी, जिसमें दोनों देश रणनीतिक संबंधों के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रवीश कुमार ने कहा, 'हमने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, अन्य हितधारकों से संपर्क किया है। उम्मीद है कि वे हमारी स्थिति को समझेंगे।' भारत-जापान शिखर सम्मेलन 15 से 17 दिसंबर तक गुवाहाटी में होगा या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।दूसरी ओर, अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली '2+2' वार्ता में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर बात होगी। दक्षिण और मध्य एशिया की कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर की भारत की ऐतिहासिक यात्रा की 60वीं वर्षगांठ पर बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अगले सप्ताह हो रही 2+2 वार्ता में मानवाधिकारों पर चर्चा नहीं की जाएगी।

संस्कृत और तमिल पर भाजपा-द्रमुक में नोकझोंक

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (जनसत्ता ब्यूरो)। संस्कृत और तमिल भाषा के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को भाजपा और द्रमुक के सदस्यों के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी।

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली
हैदरपुर गाँव, नई दिल्ली-110085
ईमेल: br.9021@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 103070 रेफ. नं.: 18.11.2019
सेवा में,
ऋणधारकों:
जीतेन्द्र कुमार राणा, पुत्र नैन सिंह राणा
21, जैन नगर, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद-201001
स्युरिटीज
1. अनीता राणा, पत्नी जीतेन्द्र कुमार राणा
एच. नं. 21, जैन नगर, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद-201001
प्रिय महोदय/ महोदया
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 49,00,000/- (रुपए उन्चास लाख मात्र) की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	02.8.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	90211250000937	रु. 49,00,000/-	रु. 6409252.26	30.7.2018
	कुल	रु. 49,00,000/-	रु. 6409252.26	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने ऊपर वर्णित तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 6409252.26 (रुपए चौसठ लाख नौ हजार दो सौ बावन एवं पैसे छब्बीस मात्र) की राशि बकाया है।
3. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
4. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत ऋण अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है:
मोहल्ला लक्ष्मी विहार कॉलोनी, ग्राम जटवारा कलान, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित खसरा नं. 589 में भूमि तथा आवासीय मकान, म्यूनिसिपल नं. 30, क्षेत्रफल माप 141.25 वर्ग यार्ड्स जिसका चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्वः श्रीमती रक्षा सिंघल का मकान नं. 30 ए, पश्चिमः 14 फीट चौड़ी गली उत्तरः मकान सं. 29 का भूमि एवं भवन, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा सर्विस लेन
5. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल है:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
स्थानः हैदरपुर, नई दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी)
तिथिः 18.11.2019 सिंडिकेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली
हैदरपुर गाँव, नई दिल्ली-110085
ईमेल: br.9021@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9021/एडीबी/ सरफेसी रेफ. नं.: 18.11.2019
सेवा में,
ऋणधारकों:
कम्पीटेन्ट इंडस्ट्रीज
सी/ओ हिमांशु सोती
कल्लुपुरा 30, लक्ष्मी विहार कॉलोनी-2, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश
स्युरिटीज
1. हिमांशु सोती
प्लॉट नं. 2, गली नं. 1, पोश्या सादिक नगर गाँव के सामने, मेरठ रोड, उत्तर प्रदेश
2. डैनी सोती
एच. नं. 30, लक्ष्मी विहार कॉलोनी जटवारा कलान, मालीबारा के निकट, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश
3. श्रीमती सुमन सोती
निवासीः एच. नं. 30, लक्ष्मी विहार कॉलोनी जटवारा कलान, मालीबारा के निकट, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश
4. डा. अंशु शर्मा, पत्नी डा. संजय शर्मा
आरजेड-2 सी, पालम, दिल्ली-110077
5. श्रीमती निशा कौशिक
पत्नी श्री मेमान्त कौशिक
एसबी-90, शास्त्री नगर गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश
6. श्री नौशाद अहमद
पुत्र मोह. नसरुद्दीन
निवासीः एच. नं. 1106, गली नं. 1, हिष्पुन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001
प्रिय महोदय/ महोदया
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 49,00,000/- (रुपए उन्चास लाख मात्र) की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	2.8.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	90211250000930	रु. 49,00,000/-	रु. 6409252.26	30.7.2018
	कुल	रु. 49,00,000/-	रु. 6409252.26	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 6409252.26 (रुपए चौसठ लाख नौ हजार दो सौ बावन एवं पैसे छब्बीस मात्र) की राशि बकाया है।
3. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
4. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत ऋण अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है:
गली नं. 20, गामरी, भजनपुरा, दिल्ली-110053 की आबादी में ग्राम घोण्डा गुजरान खादर में स्थित भूमि माप 92.5 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 77.33 वर्ग मी., कुल क्षेत्रफल माप 185 वर्ग यार्ड्स में से, खसरा नं. 62, नं. डी-821 तथा पुराना नं. 823 पर निर्मित एक मंजिल का भवन। चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गली नं. 20
5. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल है:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
स्थानः हैदरपुर, दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी)
तिथिः 18.11.2019 सिंडिकेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली
हैदरपुर गाँव, नई दिल्ली-110085
ईमेल: br.9021@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 35927 रेफ. नं.: 18.11.2019
सेवा में,
ऋणधारकों:
स्काई कन्स्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स
शॉप नं. 2, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, मैन जीटी रोड, लालकुआं, जीबी नगर, 201301, उ.प्र.
स्युरिटीज
1. सुनील कुमार यादव, पुत्र राम मूर्ति यादव
बी-73, पंचशील कॉलोनी, लाल कुआं गौतम बुध नगर, गाजियाबाद-201301, उ.प्र.
2. राजीव कुमार यादव, पुत्र राम मूर्ति यादव
बी-73, पंचशील कॉलोनी, लाल कुआं गौतम बुध नगर, गाजियाबाद-201301, उ.प्र.
3. पंकज यादव, पुत्र रिशी पाल यादव
एच. नं. 333, शाहपुर बमहेटा गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
4. रविन्दर कौर, पत्नी श्री पविन्दर सिंह
निवासीः प्लॉट नं. 343, 2रा तल, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
प्रिय महोदय/ महोदया
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 35,00,000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	साख का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	2.8.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	90211250000830	रु. 3500000/-	रु. 5010013.27	27.9.2018
	कुल	रु. 3500000/-	रु. 5010013.27	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 5010013.27 (रुपए पचास लाख दस हजार तेरह एवं पैसे सत्ताईस मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत ऋण अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है:
जीटी रोड, ग्राम चिपयिाना बुजुर्ग, परगणा एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर में स्थित खसरा नं. 174 में प्लॉट नं. 8, एरिया माप 100 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 83.16 वर्ग मी. में प्लॉट नं. 8 का भूमि एवं भवन, चौहद्दीः पूर्वः अन्य स्वामी की सम्पत्ति, पश्चिमः 15.3 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्री राजेश कुमार यादव की सम्पत्ति तथा प्लॉट नं. 5 एवं 6, दक्षिणः प्लॉट नं. 7
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल है:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना;
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
स्थानः हैदरपुर, दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी)
तिथिः 18.11.2019 सिंडिकेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर, दिल्ली
हैदरपुर गाँव, नई दिल्ली-110085
ईमेल: br.9021@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 31227 रेफ. नं.: 18.11.2019
सेवा में,
ऋणधारकों:
कृष्णा एण्टरप्राईजेज
एच. नं. ई-78, पटेल नगर-II, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
स्युरिटीज
1. मुकेश कुमार गर्ग
एच. नं. ई-78, 1ला तल, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, पटेल नगर, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
2. राजीव कुमार गर्ग, पुत्र केके गर्ग
एच. नं. ई-78, 1ला तल, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, पटेल नगर, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
3. मोनिका गर्ग, पुत्र राजीव कुमार गर्ग,
एच. नं. ई-78, 1ला तल, ई-ब्लॉक, राम मंदिर के निकट, पटेल नगर, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
4. नौशाद अहमद, पुत्र मोह. नसरुद्दीन
निवासीः एच. नं. 1106, गली नं. 1, हिंडन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001, उ.प्र.
प्रिय महोदय/ महोदया
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 40,00,000/- (रुपए चालीस लाख मात्र) की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	साख का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	2.8.2019 को विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	90211400000349	रु. 4000000/-	रु. 6441959.93	29.8.2018
	कुल	रु. 4000000/-	रु. 6441959.93	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 6441959.93 (रुपए चौंसठ लाख इकतालिस हजार नौ सौ उन्सठ तथा पैसे तिड़ान

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, एमसीए, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 30(5) मामले में

तथा

मै. स्नो लेलोपार्ड एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1994PTC057351) जिसका पंजीकृत कार्यालय कम्युनिटी शॉपिंग काम्प्लैक्स (सीएसटी) सेक्टर बी, पॉकेट-1 (बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के सामने वसंत कुंज, दिल्ली-110070 में है, के मामले में

----आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "संघ क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 20 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

स्नो लेलोपार्ड एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता.
अजीत बजाज
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 00570056
पता: कम्युनिटी शॉपिंग काम्प्लैक्स (सीएसटी) सेक्टर बी, पॉकेट-1 (बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के सामने वसंत कुंज, दिल्ली-110070
तिथि: 11.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की अम्बे ऑटो, राकेश कुमार सरणा, अनुराधा बब्बर, भारत भूषण बब्बर (ऋणधारक-सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाये 13.5.2019 को आईएनआर 72271085/- की वसूली के लिये 31.12.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 5,71,50,000/- (रुपये पाँच करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 57,15,000/- (रुपये सत्तावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. ए-14, खसरा नं.-570/1, देवली रोड, खानपुर एक्टेंशन, दिल्ली का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 12.12.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
(सीआईएन : L63011DL1988GOI030915)
पंजीकृत कार्यालय : कॉनकॉर भवन, सी-3, डीजीसी डिस्टपालिस के सामने, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110076, फोन : 91-11-41673093-96, फैक्स : 91-11-41673112
वेबसाइट : www.concorindia.com

निविदा सूचना : कॉन/आईटी/2547/19/01 (केवल ई-टेंडरिंग माध्यम)

अन्य सरकारी प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए अन्य मॉड्यूल्स एवं प्रणाली की ऑनलाइन सपोर्ट/रख-रखाव सहित कॉनकॉर के एरिजम एवं घरेलू लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के लिए एकल वाणिज्यिक प्रणाली के सॉफ्टवेयर डवलपमेंट, माइग्रेशन व इम्प्लीमेंटेशन हेतु ई-टेंडरिंग माध्यम से **दो बोली** प्रणाली में ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज ₹ 1,000/- का भुगतान करके केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

अनुमानित लागत	₹ 13,78,36,178.78
पूर्णता अवधि	वारंटी अवधि (6 माह) तथा ऑनसाइट सपोर्ट/रख-रखाव (5 वर्ष) के अतिरिक्त 460 दिन।
धरोहर जमा राशि	₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा दस्तावेज की कीमत	₹ 1000.00 सभी करों व प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क	₹ 4,500.00 तथा कर, जैसा लागू हो (अप्रतिदेय) ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	13.12.2019 1100 बजे से 04.01.2020 (1600 बजे तक)
पूर्व-बोली बैठक की तिथि	19.12.2019 को 1500 बजे
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	06.01.2020 को 1600 बजे
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	07.01.2020 को 1130 बजे

कॉनकॉर के पास बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। सम्पूर्ण विवरण हेतु www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। कार्यपालक निदेशक (एचआईएस)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की पीएसबी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉप. इकबाल बहादुर सिंह बवेजा, इकबाल बहादुर सिंह बवेजा, तेजिन्दर कौर बवेजा, परमीत सिंह बवेजा, जसनीत कौर बवेजा, डीआरके एण्टरप्राईजेज, प्रॉप. तेजिन्दर कौर बवेजा, जेके सैल्स कॉर्पोरेशन, प्रॉप. जसनीत कौर बवेजा (ऋणधारक-सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाये 25.3.2019 को आईएनआर 3,92,61,507.31/- की वसूली के लिये 31.12.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड़ मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

छत के अधिकार के साथ सम्पत्ति का पता प्लॉट नं. जे-13/18, बीएफ एवं एसएफ, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 12.12.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, गोहाना मेन शाखा बड़ौदा रोड, सोनीपत-131301, हरियाणा

ईमेल : sbi.50100@sbi.co.in

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 3) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **मैसर्स चंदर भान सुरजीत कुमार (प्रोप. और कर्जदार/गारंटर: बूथ नं. 321 एनजीएम गोहाना सोनीपत- 131301 हरियाणा और निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटर्स : 1. श्रीमती धुपल पत्नी श्री चंदर भान (गारंटर), पीपीओ-दुबेहता, मोल माजरी, खानपुर सोनीपत - 131301 (हरियाणा) को मांग नोटिस दिनांक 06.07.2018 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रु. 23,45,835/- (रु. तेईस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पतीस मात्र) दिनांक 28.06.2018 तक और उपरोक्तानुसार राशि संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्नवर्णित **संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4)** के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत **दिनांक 07.12.2019** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक**, के प्रभार वास्ते **रु. 23,45,835/- (रु. तेईस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पतीस मात्र) दिनांक 28.06.2018 तक और उपरोक्तानुसार राशि संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा, निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृपया ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

अचल संपत्तियों का विवरण

साम्यिक बंधक दुकान बूथ नं. 321, जोकि एनजीएम गोहाना सोनीपत, हरियाणा - 131301 में स्थित, क्षेत्रफल 36.66 वर्ग गज, सेलडीड नं. 3671, दिनांकित 29.07.2013, यह सम्पत्ति श्रीमती धुपल पत्नी श्री चंदर भान के नाम पर है।

दिनांक : 07-12-2019, स्थान : सोनीपत हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन
प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में
तथा
एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन में है, के मामले में
आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25.11.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालय: 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन

कृते एवं के लिए आवेदक
हर्षदा निखिल बानी
तिथि: 13.12.2019 निदेशक
स्थान: दिल्ली **DIN: 08515052**

एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन
प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में
तथा
एफ 6 कैपिटल एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन में है, के मामले में
आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25.11.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालय: 4566/13, जय माता मार्केट, त्रिनगर, दिल्ली, डीएल 110035 आईएन

कृते एवं के लिए आवेदक
हर्षदा निखिल बानी
तिथि: 10.12.2019 निदेशक
स्थान: दिल्ली **DIN: 08515052**

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 552/2019 डीआरटी-III
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम श्री हिमांशु बालानी एवं अन्य
(आवेदक) (प्रतिवादीगण)
सेवा में,

डी-1.	श्री हिमांशु बालानी, पुत्र श्री ओम प्रकाश बालानी, निवासी डब्ल्यू जेड - 2269, प्रथम तल, राजा पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली-110034 साथ ही: डब्ल्यू जेड - 2373, दूसरा तल, राजा पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली-110034 साथ ही: बार्क्लेज-एन 2 बिल्डिंग (बार्क्लेज बैंक) सैक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.-201301
डी-2.	श्री सुमांशु बालानी, पुत्र श्री ओम प्रकाश बालानी, निवासी: डब्ल्यू जेड - 187, भूतल, रिशी नगर, रानी बाग, नई दिल्ली-110034, साथ ही: डब्ल्यू जेड - 2373, दूसरा तल, राजा पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली-110034
डी-3.	मै. आम्रपाली सेन्चुरिअन पार्क प्रा. लि., एफ - 46/2, पांडव नगर, दिल्ली-110091

जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 18.12.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 28 अक्टूबर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

मुहर

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
कॉनकॉर CONCOR एक नवरत्न कंपनी

आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

"पूर्ण रुप से आरडीएसओ विशिष्टियों के आधार पर सीएनएलसी/बाड़मेर (राजस्थान) में 6000 मेन इंटरसीडिएट डिस्टेन्स लोक सेमी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव की आपूर्ति" हेतु विश्वसनीय निर्माताओं अर्थात् उनके अधिकृत डीलर से जिन्हें ई-टेंडर माध्यम से पात्रता मानदंड के आधार पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) के माध्यम से रु. 1000.00 का ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात कॉनकॉर दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	कॉन/एसएंडटी/टीकेडीएम/इंटरमीडिएट डिस्टेंस लोक सेमी ऑटोमेटिक/2019
अनुमानित लागत	₹ 85,85,600/-
विक्रय अनुसूची	क्रय आदेश जारी करने की तिथि से 120 दिन के अन्दर सामग्री का विक्रय होना चाहिए
धरोहर जमा राशि	₹ 1,31,712/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की लागत	₹ 1000/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग फीस	₹ 3588/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अप्रतिदेय) है।
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	13.12.2019 को 15:00 बजे से 27.12.2019 को 18:00 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.12.2019 को 15:00 बजे तक
ई-निविदा खुलने की तिथि व समय	30.12.2019 को 15:30 बजे

विस्तृत जानकारी एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से निवेदन है कि वे नियमित रूप से वेबसाईट को देखें। कॉनकॉर किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है। समूह महा प्रबंधक (टैक)/उत्तरी क्षेत्र

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)/डब्ल्यूजेड
ओल्ड जोनल बिल्डिंग, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27

नि.आ.सू.

नि.आ.सू. सं. ईई/इलेक्ट्रिकल/वेस्टजोन/2019-20/29, वेस्ट जोन में लाइन सं. 01, दिनांक 11.12.2019, कार्य का नाम : एम.सी. प्राइमरी स्कूल असालतपुर, बी-2 रघुबीर नगर, चंचल पार्क, डीआईए जनकपुरी, हरि नगर घण्टा घर, जेजे हस्तसाल सं. 2, नांगल राया, न्यू जेजे हस्तसाल सं. 1, रजापुर खुर्द सं. 2, रजापुर खुर्द सं. 3, रजापुर खुर्द सं. 4, पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी पार्क, ट्रांजिट कैम्प रघुबीर नगर एवं उत्तम नगर ओल्ड में फायर फाइटिंग सिस्टम का प्रावधान।

निविदा दस्तावेज वेबसाइट **www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

RO No. 132/DPI/S/2019-20 अधिशासी अभियन्ता (ई)/डब्ल्यूजेड

एसआरएस लिमिटेड- परिसमापन में

CIN: L74999HR2000PLC040183

संयुक्त कार्यालय

एसआरएस मल्टीप्लैक्स, दूसरा तल, सिटी सेंटर, सैक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौते या व्यवस्था की योजना को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण

एसआरएस लिमिटेड (वर्तमान में परिसमापन के अंतर्गत) के लिए कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौते या व्यवस्था की योजना के आमंत्रण हेतु सूचना।

इच्छुक पार्टियां पात्रता मानदंड, एसआरएस लिमिटेड की योजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के दस्तावेज तथा अन्य विवरण वेबसाइट www.srsparivar.com को देख सकते है। योजना को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 होगी। योजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के दस्तावेज के साथ अन्य सूचनाओं की स्थिति में कृपया ip.srs@rbsa.in पर जाएं।

ह./- अशोक कुमार गुल्ला
IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174
ashok.gulla@rbsa.in
आरबीएसए रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी एलएलपी,
फ्लैट नं. 25, आइ ए पी एस हाऊस, दूसरा तल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 13.12.2019

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014
के नियम 30 के अनुपालन में]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दुसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष (प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) (ए) के मामले में

और

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (सीआईएन: L51909DL1933PLC009509) जिसका पंजीकृत कार्यालय **4अ, हन्सालय, 15, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली- 110001**

.....याचिकाकर्ता

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** मे उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने के लिए **दिनांक दिसंबर 10, 2019** को डाक मत पत्रों तथा ई-वोटिंग द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, **वे एम सी ए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें** अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, और नीचे दिये हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें :

"4अ, हन्सालय, 15, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली- 110001"

कृते एवं हित
सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता./-
(अजय कुमार जैन)
कम्पनी सचिव

तिथि : 13.12..2019
स्थान : नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (ई एंड एम)-II
लोधी रोड ऑटो वर्कशॉप, सेवा नगर फ्लाई ओवर के नीचे, नई दिल्ली-110003
ई-मेल : ee-auto2-sdmc@mcd.gov.in, टेलीफोन नं. : 011-24620140

प्रेस निविदा आमंत्रण सूचना

सं.: ईई (ई एंड एम)-II/एसडीएमसी/2019-20/डी-595 दिनांक: 10.12.19 **एनआईटी सं.: 10**

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधि. अभियन्ता (ई एंड एम)-II प्रतिष्ठित एवं पात्र ठेकेदारों से दो भाग बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली में वेबसाइट https://www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर ऑनलाइन मद दर निविदाओं के माध्यम से नीचे लिखे कार्यक्रमानुसार निविदाएँ आमंत्रित करते हैं :

निविदा दस्तावेज फॉर्म जारी करने की तिथि : 18.12.19 को प्रातः 11:30 बजे तक, **बोली जमा करने की अंतिम तिथि** : 18.12.19 को दोपहर 12:30 बजे, **तकनीकी बोली खुलने की तिथि** : 18.12.19 को दोपहर 01:00 बजे, **वित्तीय बोली खुलने की तिथि** : 18.12.19 को अपरान्ह 03:30 बजे।

क्र.सं. 1. कार्य का नाम : एसडीएमसी के सभी चारों जोनों में 27 अदद ट्रेलर पर माउंट किए हुए दस सीट वाले चल शौचालय वाहनों को किराए पर लेने का प्रावधान, **लेखा शीर्षक** : F-100-1064, **निविदा राशि** : रु. 51,29,530/-, **धरोहर जमा राशि** : रु. 1,02,600/-, **निविदा मूल्य** : रु. 500/-, **परिपूर्णन अवधि** : 30 दिन, **दर वैधता अवधि** : 120 दिन, **दर** : आईआर।

अन्य विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट **https://www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER** से देखी जा सकती हैं।

आर.ओ. नं. 133/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 ईई (ई एंड एम)-

खबर कोना

बैंकाक में गुरुवार को एक शाही कार्यक्रम में हिस्सा लेती थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकीतियाभा

आइजनहावर के दिल में भारत के लिए खास जगह थी : रिचर्ड वर्मा

वाशिंगटन, 12 दिसम्बर (भाषा)।

भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर भारत के लोकतंत्र के अपने अधिकार का समर्थन करना चाहते थे। वर्मा ने कहा, 'पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर को भारत से प्यार था और उनके दिल में देश के लिए खास जगह थी।' आइजनहावर 1953 से 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1959 में भारत की यात्रा करने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वर्मा ने कहा कि आइजनहावर भारत के लोकतंत्र के अपने अधिकार का समर्थन करना चाहते थे। वर्मा ने कहा, 'भारत के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्टाफ ने जो कुछ किया, वे उससे खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत, पाकिस्तान जैसा बन जाए।' पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर की भारत की ऐतिहासिक यात्रा की 60वीं वर्षगांठ पर बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी सईद की पेशी

लाहौर, 12 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद को वकीलों की हड़ताल के कारण गुरुवार को पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने के मामले में सईद और उसके तीन अन्य सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद को धन मुहैया करने के मामले में सईद और अन्य के खिलाफ सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी।

अदालत ने बुधवार को इस मामले में जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख और उसके सहायकों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आरोपी करार दिया था और अभियोजन को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया, 'वकीलों की हड़ताल के कारण न तो सईद और न ही अन्य तीनों संदिग्धों, न ही किसी अन्य गवाह को अदालत के सामने पेश किया जा सका।' उन्होंने कहा कि लाहौर के एक अस्पताल में उपद्रव के मामले में अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इसी वजह से शुक्रवार को भी सुनवाई होने के आसार नहीं हैं।' पंजाब के अभियोजक अब्दुर रउफ ने अदालत को बताया था कि आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा और अन्य, आतंकवाद को वित्तीय मदद प्रदान करने में संलिप्त थे और पंजाब पुलिस के पास 'ठोस साक्ष्य' हैं।

अमेरिका ने आरोप तय करने का स्वागत किया

वाशिंगटन, 12 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका ने हाफिज सईद पर आरोप तय किए जाने का स्वागत किया और पाकिस्तान से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की तर्ज पर पूर्ण रूप से मुकदमा चलाने और तेजी से सुनवाई करने का अनुरोध किया। दक्षिण और मध्य एशिया की कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने बुधवार को ट्वीट किया, 'हम हाफिज सईद और उसके साथियों पर आरोप तय किए जाने का स्वागत करते हैं।' वेल्स ने यह भी कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की तर्ज पर पूर्ण मुकदमा चलाने और तीव्र सुनवाई करने का आह्वान करता है।

इमरान अपने देश पर ध्यान दें : भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लारा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि उन्हें अपने देश के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के हर बयान पर हमें प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ज्यादातर बयान अनुचित होते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को बेतुके बयान देने की जगह अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भारत के आंतरिक मामलों पर बयानबाजी करने से भी बचना चाहिए।'

इससे पहले गुरुवार की दोपहर को इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'हिंदू वर्चस्ववाद एजंडा' (हिंदू सुपरमेसिस्ट एजंडा) की तरफ बढ़ रहा है। भारत में अल्पसंख्यक अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'भारत योजनाबद्ध तरीके से हिंदू वर्चस्ववाद की तरफ बढ़ रहा है। पहले इसने कश्मीर की अवैधानिक घेराबंदी कर दी और इसे जारी रखे हुए है, फिर असम में 20 लाख मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी और उनके लिए नजरबंदी शिविर बना दिए और अब नागरिकता बिल पास कर दिया है।'

भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देते हुए इमरान ने ट्वीट जारी रखते हुए कहा, 'और, यह सब कुछ भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग के साथ-साथ हुआ है।

अफगानिस्तान में भूस्खलन से छह लोगों की मौत

काबुल, 12 दिसंबर (एपी)।

पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित एक दूरस्थ जिले में भूस्खलन से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सोना-खनन करने वाले गरीब ग्रामीण थे।

प्रांतीय काउंसिल के सदस्य अब्दुल्ला नाजी नजरी ने कहा कि भूस्खलन बुधवार को बदख्शां प्रांत के रघिस्तान जिले में हुआ। हिंदू कुश और पामीर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ और चीन की सीमा पर स्थित यह प्रांत देश के सबसे दूरदराज इलाकों में से एक है।

सभी छह मृतक सोने के लिए खुदाई करने वाले दर्जनों ग्रामीणों में शामिल थे। सोने की खुदाई करना इन गरीब ग्रामीणों के लिए आम बात है। सोने से समृद्ध यह क्षेत्र 2015 से तालिबान के नियंत्रण में है। तालिबान अपनी आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अवैध खानों का इस्तेमाल करता है ।

नजरी ने कहा कि भूस्खलन के बाद कीचड़ और मलबे के नीचे दब कर 30 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए और कई घंटों तक लापता रहे। अफगानिस्तान में जानलेवा भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं।

2014 में बदख्शां में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में कम से कम 350 लोग मारे गए थे और 2,000 से अधिक लोग लापता हो गए। उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में बागलान प्रांत में 2012 में हुए भूस्खलन 71 लोगों की जान गई थी।

भारत की ताकत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है : एमी बेरा

वाशिंगटन, 12 दिसंबर (भाषा)।

शीर्ष भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति और नागरिकता संशोधन विधेयक पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत की ताकत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जिसका प्रमुख पहलू अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है।

शीर्ष सीनेटर एमी बेरा ने कहा, 'भारत की ताकत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने का मतलब है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी भारत के प्रति यही नजरिया था।'

एफ-16 विमान के दुरुपयोग पर पाकिस्तान को फटकार

वाशिंगटन, 12 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका ने साझा सुरक्षा प्लेटफॉर्म और ढांचों को खतरे में डाल कर एफ-16 लड़ाकू विमानों के दुरुपयोग के लिए अगस्त में पाकिस्तान वायु सेना के प्रमुख को फटकार लगाई थी। मीडिया में यहां आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब महीनों पहले भारतीय वायुसेना ने कश्मीर में हवाई युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के एक एफ-16 विमान को मार गिराया था।

यूएस न्यूज ने बुधवार को बताया कि हथियार नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की तत्कालीन अवर विदेश मंत्री एंड्रिया थॉम्पसन ने इस मामले को लेकर अगस्त में पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को पत्र लिखा था।

खबर में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि पत्र में 26 फरवरी के बालाकोट हवाई हमलों के फौरन बाद हुई घटनाओं का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है हालांकि इसमें फरवरी में कश्मीर में एफ-16 विमान का इस्तेमाल करने को लेकर अमेरिका की चिंताओं को उठाया गया है।

थॉम्पसन ने अपने पत्र में लिखा, 'हमें आपने यह बताया कि ये विमान राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों से उड़ाए गए थे लेकिन अमेरिकी सरकार विमानों को अमेरिकी के गैर अधिकृत अड्डों तक लाने को एफ-16 समझौते के तहत चिंताजनक और असंगत मानती है।' पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और दूतावास ने इस पत्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह के एक आत्मघाती हमलावर ने 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के कई जवानों को मार दिया था।

भारत ने इसके बाद 26 फरवरी को बालाकोट में जेईएम के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में मिग-21 विमान को मार गिराया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया था।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

एशिया प्रशांत में लगभग 50 करोड़ लोग अब भी कुपोषण के शिकार

बैंकाक, 12 दिसंबर (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र की एजंसियों द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत में लगभग 50 करोड़ लोग अब भी कुपोषण के शिकार हैं और 2030 तक भुखमरी को मिटाने के लिए हर महीने खाद्य असुरक्षा से लाखों लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है।

विश्व निकाय की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण के कारण उम्र और लंबाई के हिसाब से बच्चों में कम वजन और बौनेपन तथा अन्य समस्याओं से निपटने जैसे क्षेत्रों में प्रगति की गति धीमी है और कई मामलों में तो यह पीछे की तरफ चली गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता की खराब होती स्थिति का मतलब यह है कि क्षेत्र में अपेक्षाकृत तेज आर्थिक वृद्धि और आय लाखों लोगों के लिए पर्याप्त और पोषक आहार सुनिश्चित करने में मदद के वास्ते पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है तथा लाखों लोग अब भी गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि सरकारों को गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों से जोड़ना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों में भुखमरी के खात्मे और सभी लोगों के लिए वर्ष भर पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने का आ''ान किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) में क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुंधावी कादिरेसन ने कहा, 'हम सही रास्ते पर नहीं हैं। अल्प पोषण में कमी लाने के कार्य में पिछले कई बरसों में प्रगति धीमी देखी गई है।' इसमें कहा गया है कि एशिया प्रशांत में कुल आबादी का पांचवें से अधिक हिस्सा हल्की से लेकर गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है।

> *रिपोर्ट* में कहा गया है कि असमानता की खराब होती स्थिति का मतलब यह है कि क्षेत्र में अपेक्षाकृत तेज आर्थिक वृद्धि और आय लाखों लोगों के लिए पर्याप्त और पोषक आहार सुनिश्चित करने में मदद के वास्ते पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है तथा लाखों लोग अब भी गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि सरकारों को गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों से जोड़ना चाहिए।

खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में अल्पपोषित 47.9 करोड़ लोगों में आधे से ज्यादा दक्षिण एशिया में रहते हैं जहां एक तिहाई से अधिक बच्चे जीवन भर के लिए कुपोषण के शिकार हैं।

भारत में लगभग 21 फीसद बच्चे उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन की समस्या से पीड़ित हैं जो कुपोषण का परिणाम है।

ईडी ने धनशोधन मामले में शिविंदर को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में कोष की कथित हेराफेरी से जुड़े धनशोधन के मामले में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम यहां स्थित तिहाड़ जेल पहुंची और शिविंदर को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हाल ही में उसे और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था जिसके बाद शिविंदर तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इस मामले में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने पूर्व में शिविंदर के भाई मलविंदर मोहन सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसने कोष के गबन से जुड़े धनशोधन के एक अलग मामले में मलविंदर और गोधवानी की न्यायिक हिरासत 23 दिसंबर तक बढ़ा दी।

गोरक्षकों की शिकायत पर छह पुलिसकर्मी निलंबित

चंडीगढ़, 12 दिसंबर (भाषा)।

हरियाणा के करनाल में गोरक्षकों से दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर एक उपनिरीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। करनाल के पुलिस अधीक्षक सुरिंदर भोरिया ने गुरुवार को कहा कि गोरक्षकों ने तीन सिपाहियों सहित छह पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। पुलिसकर्मियों ने भी गोरक्षकों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से अगले दो से तीन दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच पूरी होने और पूरा मामला स्पष्ट होने तक छह पुलिसकर्मी निलंबित रहेंगे।

नागरिकता विधेयक केरल में लागू नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री

तिरुवनंतपुरम, 12 दिसंबर (भाषा)।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि संसद में पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। विजयन ने भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि असंवैधानिक विधेयक के लिए केरल में कोई जगह नहीं होगी और राज्य इसे लागू नहीं करेगा।

विजयन ने ट्वीट कर कहा, 'देश में लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका मुख्य राजनीतिक औजार सांप्रदायिकता है। यह दुनिया के समक्ष भारत को अपमानित करता है।' उन्होंने दावा किया कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रहा है।

शरणार्थियों में बढ़ी नागरिकता की आस

इंदौर, 12 दिसंबर (भाषा)।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को संसद की हरी झंडी के बाद मध्य प्रदेश के उन सभी इलाकों में जश्न का माहौल है जहां पाकिस्तान से पलायन कर आए हिंदुओं ने शरण ले रखी है।

कथित प्रताड़ना के चलते अपनी मातृभूमि को अलविदा कह आए इन लोगों को उम्मीद है कि नया नागरिकता कानून बनने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी।

पंकजा मुंडे ने जताई नाराजगी लेकिन नहीं छोड़ेंगी भाजपा

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने गुरुवार को पार्टी छोड़ने के कयासों को खारिज दिया लेकिन पार्टी की राज्य कोर कमेटी का सदस्य नहीं रहने की घोषणा कर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी।

दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर बीड में एक रैली को संबोधित करते हुए पंकजा ने कहा कि भाजपा उनके पार्टी में रहने को लेकर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। बताते चलें कि पंकजा पिछले पांच साल से अपने पिता की जयंती पर रैली आयोजित करती रहीं हैं, लेकिन इस साल राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से लोगों में इसको लेकर कौतूहल था। कयास लगाए जा रहे थे कि वे 21 अक्तूबर को चुनाव में मिली आश्चर्यजनक हार के बाद भाजपा छोड़ सकती हैं।

इन कयासों को तब बल मिला जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में बदलाव के बाद भविष्य की राह और लोगों की सेवा को लेकर विचार करने की जरूरत है। पंकजा मंगलवार को राज्य भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई और गुरुवार को उन्होंने घोषणा की कि लोकतंत्र की अनुपस्थिति में कोर कमेटी का सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अपने भाषण में पंकजा ने हालिया विधानसभा चुनाव में पर्ली सीट से अपने रिश्ते के भाई और राकांपा नेता धनंजय मुंडे से मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ भाजपा नेता (परोक्ष रूप से देवेंद्र फडणवीस के लिए) इस सीट से उनकी जीत नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे जनवरी में पूरे महाराष्ट्र में 'मशाल रैली' निकालेंगी।

पंकजा की रैली में लगे बैनर में भाजपा का पार्टी निशान कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नदारद रही। भाजपा छोड़ने के कयासों पर पंकजा ने कहा कि बगावत उनके खून में नहीं है। मैं भाजपा नेतृत्व से उम्मीद करती हूं कि वह पता लगाए कि उनके पार्टी छोड़ने की बहस को मीडिया में किसने हवा दी। क्या जानबूझकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी कि मैं पद के लिए पार्टी पर दबाव बना रही हूं।

पंकजा ने कहा कि भाजपा पहले कुछ लोगों की पार्टी थी लेकिन बाद में राज्य के बहुसंख्य लोगों ने इसे स्वीकार किया। यह योगदान है मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे का। इसलिए मैं कहती हूं कि यह पार्टी मेरे पिता की है। अगर यह पार्टी फिर कुछ लोगों के हाथ में जा रही है तो मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए।

सभा में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों को दिलाया भरोसा

अक्षुण्ण रहेगी आपकी संस्कृति व परंपरा

धनबाद (झारखंड), 12 दिसंबर (भाषा)।

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को पारित होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम में हो रही हिंसा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपील की कि पूर्वोत्तर के लोग, विशेषकर युवा उन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि उनकी संस्कृति, विरासत, भाषा, परंपरा और जीवनचर्या को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखा जाएगा।

साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस और उसके सहयोगियों के भ्रम जाल में ना फंसें क्योंकि भाजपा पूर्वोत्तर को देश का 'ग्रोथ इंजन' बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

झारखंड विधानसभा चुनावों के 16 दिसंबर को होने वाले चौथे चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को यहां कहा कि भाजपा 'संकल्प को सिद्धि' में परिवर्तित करने के लिए सदा कृतसंकल्प रहती है। अतः उत्तर पूर्व के लोग विशेषकर युवा मुझ पर भरोसा रखें कि उनकी संस्कृति, विरासत, भाषा, परंपरा और जीवनचर्या को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखा जाएगा।' उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा विशेषकर असम के युवा और आम लोग कांग्रेस और उसके सहयोगियों के भ्रम जाल में ना फंसें क्योंकि वे नागरिकता संशोधन कानून पर पूर्वोत्तर राज्यों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

> *पूर्वोत्तर* के लगभग सभी राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके साथी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पूर्वोत्तर को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए कृतसंकल्प है। अतः उनके हितों पर किसी भी कीमत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम कर रही है, वहां रेल लाइनें बनाई जा रही हैं, सड़कें, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। लोगों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

www.readwhere.com

खबर कोना

चैंपियन लीग ग्रुप ए मुकाबले के दौरान पीएसजी और गलातासारे के बीच मैच में गोल दागने के बाद नेमार के साथ जश्न मनाते एडिसन कवानी।

दिल्ली में राष्ट्रीय सिख खेलों का आयोजन नौ जनवरी से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

गुरु नानक देव के 550वें जयंती वर्ष पर दिल्ली में राष्ट्रीय सिख खेल -2020 का आयोजन होगा। नौ जनवरी से ग्यारह जनवरी के बीच दिल्ली में होने वाले इस प्रतियोगिता में 16 स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें दस राज्यों के करीब 2500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

डीडीसीए लीग : मनप्रीत की पारी से एनएससीसी क्लब विजयी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर।

डीडीसीए लीग में एनएससीसी क्लब के पहले मैच में टीम की तरफ से कप्तान मनप्रीत सिंह ने विस्फोटक शतकीय पारी खेलते हुए मात्र 91 गेंदों में 124 रन बनाए। इसमें उनके 16 चौके और सात छक्के शामिल हैं। यह मैच बीएसएनएल और एनएससीसी क्लब के बीच खेला गया। बीएसएनएल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में नौ विकेट खो कर 222 रन बना पाई। इसके जवाब में एनएससीसी क्लब की टीम ने 28.3 ओवर में तीन विकेट खोकर यह लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर लिया।

भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें पहले वनडे के लिए चेन्नई पहुंची

चेन्नई, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारत और वेस्ट इंडीज की टीम एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच के लिए गुरुवार को यहां पहुंची। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है जिसका कैप्शन दिया है, 'चेन्नई पहुंच गए हैं।'

चंदेला और राणा ने लगाया शतक

दिल्ली ने केरल से ड्रॉ खेला

थुम्बा, 12 दिसंबर (भाषा)।

कुणाल चंदेला (125) और नीतिश राणा (114) के शतकों की मदद से दिल्ली ने गुरुवार को केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप 'ए' मैच ड्रॉ कराया। पहली पारी में 142 रन पर आउट होने के कारण दिल्ली को फालोआन खेलना पड़ा। उसने खेल के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी एक विकेट पर 142 रन से आगे बढ़ाई। चंदेला और राणा के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी से केरल की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरा। दिल्ली के कप्तान ध्रुव शोरे (20) सुबह जल्दी आउट हो गए। इसके बाद चंदेला और राणा ने बखूबी जिम्मेदारी संभाली। चंदेला ने अपनी पारी में 219 गेंदे खेली। जोंटी सिद्धू 30 और ललित यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। केरल ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 525 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

रणजी ट्रॉफी

पंजाब की राजस्थान पर बड़ी जीत : पंजाब ने गुरुवार को राजस्थान को दस विकेट से करारी शिकस्त देकर जयपुर में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। पंजाब के सामने जीत के लिए 68 रन का लक्ष्य था जो उसने 11.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। शुभमन गिल 36 और सनवीर सिंह 26 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी आठ विकेट पर 157 रन से आगे बढ़ाई और केवल 11 रन जोड़कर 168 रन पर आउट हो गई। पंजाब की तरफ से सनवीर ने तीन जबकि बलतेज सिंह, मयंक मार्कंडेय और गुरकीरत सिंह ने दो-दो विकेट लिए।

हरियाणा ने महाराष्ट्र को पारी के अंतर से हराया : तेज गेंदबाज हर्षल पटेल और आशीष हुड्डा की घातक गेंदबाजी से हरियाणा ने महाराष्ट्र को दूसरी पारी में 86 रन पर ढेर करके रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच में पारी और 68 रन से जीत दर्ज की। हरियाणा की पहली पारी के 401 रन के जवाब में महाराष्ट्र की टीम 247 रन पर आउट हो गई। इसके बाद उसे फालोआन करना पड़ा। महाराष्ट्र ने सुबह अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 61 रन से आगे बढ़ाई लेकिन 25 रन के अंदर उसने बाकी बचे पांच विकेट गंवा दिए।

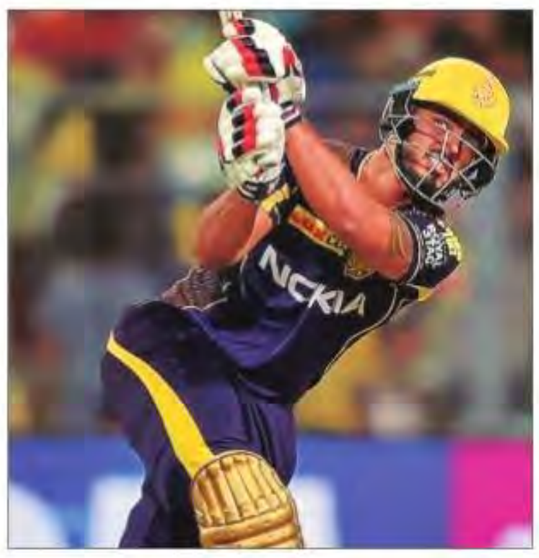

मुंबई ने बड़ौदा को 309 रन से हराया

पृथ्वी साव के वापसी पर जमाए गए धमाकेदार दोहरे शतक के बाद स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन से मुंबई ने बड़ौदा को 309 रन से करारी शिकस्त दी। बड़ौदा के सामने 534 रन का लक्ष्य था। उसने मैच के चौथे और अंतिम दिन तीन विकेट पर 74 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसकी पूरी टीम 224 रन पर आउट हो गई। दीपक हुड्डा (61) और अभिमन्यु सिंह राजपूत (53) ही टिककर खेल पाए।

भारतीय शतरंज का भविष्य उज्ज्वल : आनंद

चेन्नई, 12 दिसंबर (भाषा)।

पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने गुरुवार को कहा कि भारतीय शतरंज का भविष्य उज्ज्वल है और कुछ खिलाड़ी फिडे रैंकिंग में जल्द ही शीर्ष दस में जगह बनाएंगे। आनंद अभी फिडे रैंकिंग में 15वें स्थान पर हैं और उनको लगता है पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती जैसे खिलाड़ी आगामी वर्षों में शीर्ष दस में जगह बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हरि, विदित, सूर्या (शेखर गांगुली), शशि (के शशिकिरण) भविष्य के स्टार हैं। जल्द ही भारत से कोई खिलाड़ी शीर्ष दस में जगह बनाएगा। भारत में शतरंज का भविष्य उज्ज्वल दिखता है क्योंकि हमारे यहां काफी प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रगु (आर प्रगानानंदा), निहाल सरीन, डी गुकेश, रौनक साधवानी जैसे खिलाड़ी हैं। भारतीय शतरंज के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं।

हमारे पास प्रगु, निहाल सरीन, डी गुकेश, रौनक साधवानी जैसी प्रतिभाएं हैं।

बुधवार को अपना 50वां जन्मदिन मनाने वाले आनंद ने स्वीकार किया कि नार्वे के विश्व के नंबर एक मैगनस कार्लसन और बाकी खिलाड़ियों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों जैसे फैबियानो कारुआना और चीन के डिंग लीरेन ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अभी कार्लसन और अन्य के बीच अंतर काफी अधिक है।

'भारत को गुलाबी गेंद टैस्ट के लिए मनाना आसान'

मेलबर्न, 12 दिसंबर (भाषा)।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबर्ट्स का मानना है कि विराट कोहली की टीम का अगर विश्व टैस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना तय है तो उसे आस्ट्रेलिया दौरे पर गुलाबी गेंद से टैस्ट खेलने के लिए मनाना आसान होगा।

राबर्ट्स ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से कहा कि मेरा मानना है कि भारत के खिलाफ अगले साल हम गुलाबी गेंद से एक टैस्ट खेलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व टैस्ट चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और उसका 2021 में फाइनल खेलना तय लग रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अगले सत्र में दिन रात के टैस्ट के लिए उन्हें मनाना आसान होगा। भारत का अगर टैस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना तय है तो दिन रात का टैस्ट खेलने से इनकार का कोई कारण नहीं दिखता।

टीम में जगह को लेकर चिंतित नहीं होता : राहुल

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की नहीं होने पर चैन से रहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम में जगह की परवाह किए बिना अपनी बल्लेबाजी से खुश होना सीख लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 91 रन बनाने वाले राहुल को शिखर धवन के चोटिल होने के कारण टीम में चुना गया।

राहुल ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि दबाव नहीं था। टीम से भीतर बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता।

राहुल ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि दबाव नहीं था। टीम से भीतर बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विरोधी टीम के दबाव को झेलने की आदत डालने में समय लगता है। ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसके खिलाफ आप आसानी से रन बना सकें। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। मेरे वश में यही है कि मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। मैं उस मुकाम पर नहीं हूं कि अगले टूर्नामेंट में टीम में अपनी जगह को लेकर सोचता रहूं। राहुल ने कहा कि मैं मौका मिलने पर टीम के लिए मैच जीतना चाहता हूं और अपनी बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठाना चाहता हूं। मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए लय में बने रहना अहम है। आप कितना भी अभ्यास करें लेकिन मैदान के भीतर हालात अलग होते हैं।

श्रृंखला में रणनीति पर अमल नहीं कर सके : पोलार्ड

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारत के हाथों टी-20 श्रृंखला में 2-1 से मिली हार के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान किरेन पोलार्ड ने कहा कि उनकी टीम पूरी श्रृंखला में रणनीति पर अमल नहीं कर सकी। आखिरी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम आठ विकेट पर 173 रन ही बना सकी।

पोलार्ड ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने 240 रन बनाए। हम अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर सके। उनकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन हमने कुछ विकेट लेकर वापसी की। उस समय हम हालांकि अपनी रणनीति पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सके। पूरी श्रृंखला में कमोबेश यही कहानी रही।

उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने 230 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

बिग बाउट लीग : राइनोज ने ओड़ीशा को 4-3 से हराया

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

नॉर्थ ईस्ट राइनोज ने गुरुवार को बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (आइबीएल) के मुकाबले में ओड़ीशा वॉरियर्स को 4-3 से हराकर चौथा स्थान हासिल कर लिया। निखत जरीन के बिना खेल रही राइनोज को जासुरबेक लातिपोव के अयोग्य करार दिए जाने से फायदा मिला।

नॉर्थ ईस्ट की टीम तीसरे स्थान पर पहुंचना चाहती थी लेकिन अंतिम दो मैच नहीं जीत पाने के कारण वह 11 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। गुजरात जाएंट्स 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर है जबकि ओड़ीशा के चार मैचों में 13 अंक हैं। पंजाब पैंथर्स टीम 12 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। राइनोज को उस समय फायदा हुआ जब जासुरबेक लातिपोव को लालडिन माविया के खिलाफ 52 किग्रा के मुकाबले में गलत मुक्का लगाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

लालडिन माविया बैकफुट पर थे। दो राउंड के बाद उज्बेकिस्तान के लातिपोव जीत की स्थिति में थे लेकिन नॉकआउट पाने की चाह में लातिपोव ने कमर के नीचे मुक्का लगाया और लालडिन को गिरा दिया। इसके बाद जजों ने रेफरी के साथ विचार-विमर्श कर बिना देरी किए 28 साल के लातिपोव को अयोग्य करार दिया।

इससे राइनोज की बढ़त दोगुनी हो गई क्योंकि पहले मैच में पिलाओ बासुआतारी ने संध्या रानी को हराते हुए राइनोज का खाता खोला था। पुरुषों के 69 किग्रा में मनदीप जांगड़ा ने जाखनगीर राखमोनोव को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। ओड़ीशा की शिक्षा ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भारवर्ग में मीनाक्षी को हराकर राइनोज की जीत के इंतजार को थोड़ा बढ़ा दिया।

ओलंपिक से पहले ध्यान फिटनेस और रिकवरी पर : रानी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि तोक्यो ओलंपिक की तैयारी के तहत उनकी टीम शीर्ष टीमों के खिलाफ अच्छे मैच खेलना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनका फोकस फिटनेस और रिकवरी पर रहेगा। भारतीय टीम बंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग ले रही है जो 15 दिसंबर तक चलेगा।

क्रिसमस और नववर्ष पर तीन सप्ताह के ब्रेक के बाद टीम पांच जनवरी को फिर एकजुट होकर न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी करेगी। रानी ने कहा कि हमारा फोकस फिटनेस और रिकवरी पर रहेगा। ओलंपिक से पहले हम शीर्ष टीमों के खिलाफ अच्छे मैच खेलना चाहते हैं।

फुटबॉलरों की हेअरस्टाइल कॉपी करते हैं कई क्रिकेटर : रोहित

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

जिनेदीन जिदान के प्रशंसक रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट में खुद को स्थापित कर चुके कई क्रिकेटर हेअरस्टाइल के मामले में फुटबॉलरों को कॉपी करते हैं। रोहित को ला लिगा क्लब रीयाल मैड्रिड का भारत में ब्रांड दूत बनाया गया है। वह ला लिगा के इतिहास में पहले गैर फुटबॉलर हैं जिन्हें ब्रांड दूत बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या जैसे युवा खिलाड़ी फुटबॉल के शौकीन हैं। वे फुटबॉलरों की हेअरस्टाइल भी अपनाते हैं। उनके पसंदीदा फुटबॉलर और क्लब के बारे में पूछने पर रोहित ने जिदान और रीयाल मैड्रिड का नाम लिया। रोहित चाहते हैं कि रीयाल मैड्रिड चैंपियंस ट्रॉफी जीते। फीफा विश्व कप में उनकी पसंदीदा टीम स्पेन है।उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं कि मैं ला लिगा से जुड़ा हूं। मुझे जिनेदीन जिदान का खेल बहुत पसंद है। उन्हें देखकर ही मैं फुटबॉल का शौकीन बना। स्पेन के कौशल का मैं मुरीद हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी टीम का ज्लाटन इब्राहिमोविच ईशांत शर्मा है। एमएस धोनी नंबर एक फुटबॉलर हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ अर्से में भारतीय फुटबॉल ने काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। आइएसएल ने युवा भारतीय फुटबॉलरों को मंच दिया है जिस तरह आइपीएल ने क्रिकेट में योगदान दिया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 26, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com